



**भारतीय विधि संस्थान**  
(मानित विश्वविद्यालय)  
भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110 001

**INDIAN LAW INSTITUTE**  
(Deemed University)  
Bhagwan Das Road, New Delhi-110 001

**64वीं वार्षिक प्रतिवेदन**  
**64th ANNUAL REPORT**  
**2020 - 2021**



---

**64<sup>th</sup> ANNUAL REPORT**  
**2020 - 2021**



**INDIAN LAW INSTITUTE**

**(Deemed University)**

**Bhagwan Das Road, New Delhi – 110 001**

**01-04-2020 TO 31-03-2021**

**Phones : 23387526, 23382190,  
23386321, 23389429  
Telefax : 011-23386321/ 23782140**

**E-mail: [ili@ili.ac.in](mailto:ili@ili.ac.in)  
Website: <http://www.ili.ac.in>**

---



---

# CONTENTS

---

I.	The Indian Law Institute .....	1
II.	President .....	4
III.	Director .....	4
IV.	Registrar.....	4
V.	Meetings of The Committees .....	4
VI.	Membership.....	5
VII.	State Units of The Indian Law Institute.....	5
VIII.	Distinguished Fellows.....	6
IX.	Honorary Professors .....	6
X.	Publication.....	6
XI.	Academic Programmes .....	8
XII.	Activities at The Institute.....	9
XIII.	E-Learning Certificate Course .....	19
XIV.	Faculty Activities .....	20
XV.	Superannuation .....	29
XVI.	Forthcoming Activities .....	29
	List of Governing Council Members of ILI .....	33
	Members - Executive Committee .....	35
	Members – Academic Council .....	36
	Members - Finance Committee .....	37
	Annual Financial Statements (Financial Year 2020-21) .....	39

---

## विषय सूची

I.	भारतीय विधि संस्थान .....	59
II.	अध्यक्ष .....	62
III.	निदेशक .....	62
IV.	रजिस्ट्रार.....	63
V.	समिति की बैठकें .....	63
VI.	सदस्यता.....	63
VII.	भारतीय विधि संस्थान की राज्य ईकाइयां .....	64
VIII.	प्रतिष्ठित फैलोज.....	65
IX.	मानद प्रोफेसर.....	65
X.	प्रकाशन .....	65
XI.	शैक्षणिक कार्यक्रम.....	67
XII.	संस्थान के कार्यकलाप .....	68
XIII.	ई-लर्निंग सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम.....	80
XIV.	संकाय कार्यकलाप .....	81
XV.	सेवानिवृत्ति .....	91
XVI.	आगामी क्रियाकलाप .....	91
	भारतीय विधि संस्थान की गवर्निंग कौंसिल के सदस्यों की सूची .....	95
	सदस्य - कार्यकारी समिति .....	96
	सदस्य सूची - शैक्षणिक परिषद् .....	97
	सदस्य सूची - वित्त समिति .....	98
	वार्षिक वित्तीय विवरणी वित्तीय वर्ष 2020-21 .....	99



## I. INDIAN LAW INSTITUTE

### **■ e Institute**

The Indian Law Institute (ILI) was founded in 1956 primarily with the objective of promoting and conducting legal research. It was established as a result of the efforts of the leading jurists of India for over a number of years. It is a truism that a sound legal order is the basis of a democratic society, because law is one of the major instrumentalities by which a society can hope to prosper and develop. There were many important reasons impelling the establishment of a national legal research centre. First, there was a need for reinvigorating legal research as the law, the legal research and the legal education had been neglected areas in India, both before and after Independence. Second, there was a need for a sustained institutionalized research encompassing projects requiring field studies and group thinking. Third, it was necessary to bring together different branches of the legal profession, namely, judges, lawyers and law teachers with a view to develop an integrated approach to law in society.

The objectives of the Institute are to cultivate the science of law, to promote advanced studies and research in law so as to meet the social, economic and other needs of the Indian people, to promote systematization of law, to encourage and conduct investigations in legal and allied fields, to improve legal education, to impart instructions in law, and to publish studies, books, periodicals, etc.

The Institute is an autonomous body registered under the Societies Registration Act, 1860. The autonomous character of the Institute and its independence ensure the requisite academic freedom to carry out its objectives and meaningful research. Its funds come mainly from the Government of India, Ministry of Law & Justice and also from membership fees and sale of its publications. The membership of the Institute is now nearly three thousand four hundred thirty two representing the persons interested in the study and advancement of law.

Hon'ble Chief Justice of India is the ex-officio President of the Institute. The Law Minister of Government of India is its ex-officio Vice President. Judges of the Hon'ble Supreme Court of India and High Courts, Lawyers, Government officials, Vice Chancellors, Deans and Professors of Law are represented in the Governing Council of the Institute.

### **Deemed University**

The Indian Law Institute was granted Deemed University status in 2004 vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-9/2001-U.3 dated 29.10.2004. Institute has been accredited with 'A' Grade (CGPA 3.35 out of 4.00) by NAAC in March 2017. After the visit and review by the UGC Expert Committee, the UGC approved the inclusion of Indian Law Institute u/s 12B of the UGC Act in June 2018. The Indian Law Institute was granted Grade II Autonomy by University Grants Commission on the basis of score accreditation.

After the declaration of the Indian Law Institute a Deemed University in the year 2004, the Institute launched research oriented LL.M. – 2 Year (Full Time) and Ph.D. programmes. In the year 2009-2010, the institute introduced LL.M. – 3 year (Evening) programme. The Institute has introduced its flagship LL.M - 1-year (Full-Time) programme for the academic session 2013-14. The programme is designed in such a way that the students are equipped with comparative understanding of legal systems and concept of 'justice' in the globalized world. The Institute believes to create individuals who can play a significant role in evolving new concepts and interpretations best fitted with global practices when they join bar, bench or academic. The LL.M. Programmes covers important areas like International Trade Law, Intellectual Property Rights Law, Criminal Law, Human Rights and Judicial Administration. The peculiarity of the LL.M. course of the Indian Law Institute is in



the writing of research paper by students as an essential ingredient of the Programme. The idea is to help the students to acquire sufficient expertise in teaching and doing research simultaneously so that in future there may be a band of law teachers for universities and national law schools.

The Institute has Ph.D. Programme. As of now, there are 28 scholars. The regulation is structured in such a manner that only a person with outstanding ability acquires the degree of Ph.D. from the Indian Law Institute.

The Institute conducts Post Graduate Diploma Courses in vital areas like Corporate Law and Management, Cyber Law, Intellectual Property Rights Law and Alternative Dispute Resolution (ADRs) etc. The P.G. Diploma Programmes have been attracting students from different segments of the society. Diploma in Corporate Law is recognized by the Government of India for jobs as Company Secretaries in companies having paid up share capital of less than rupees two crores. The courses in other Diplomas are structured in such a manner that the takers can engage themselves as practitioners/consultants. These courses are taught through latest techniques and methodology. The *syllabi* blending theory and practice help the students to acquire sufficient knowledge in the areas concerned. This makes them highly competitive and dynamic. The minimum qualification prescribed for admission to the P.G. Diploma Courses is a Graduate Degree recognized by Indian University.

The Institute also provide Online Certificate Courses of duration three months in “IPR and Information Technology in the Internet Age” and “Cyber Laws”.

### Building

The Institute was housed in the Supreme Court building till 1962. Later it constructed its own building opposite to Supreme Court at Bhagwan Dass Road, New Delhi on one and a half acre of land. The building is a magnificent structure, having four floors. The ground floor covers the Institute’s library, stack rooms for books,

Conference Halls, Seminar and class rooms and offices for the faculty, research and administrative staff. All classrooms & lecture halls were renovated. The class rooms and halls are equipped with latest audio gadgets and lighting arrangements needed for conducting seminars, training programmes and workshops in the Institute.

### Library

The Institute’s library is one of the leading law libraries in India and contains around 82,500 volumes. It receives about 180 current legal periodicals including serial publications. The library remains open from 9.00 a.m. to 8.00 p.m. on all working days; from 10.00 a.m. to 5.30 p.m. on Saturdays and from 10.00 a.m. to 4.00 p.m. on Sundays. The library remains closed on National and Gazetted Holidays. Mezzanine Floor of the library remains closed on Sundays.

A separate wing of library issues books to the students of the Post Graduate Diploma and LL.M. programmes. The ILI Library has computerized its entire catalogue to provide access to the computerized information about the availability of books, journals, Commissions and Committees Reports and other publications with the help of OPAC and WEB OPAC. A separate collection of 5,000 books donated by the legal dignitaries is kept at the mezzanine floor of the main hall of the Library. The Library enriched its collection by adding eBooks of various renowned publishers such as Oxford University Press, Cambridge University Press, Hart Publishing and Elgar Online.

The library subscribes renowned databases such as West Law India, JSTOR, Hein Online, SCC Online, Manupatra, Economic and Political Weekly Online, The Laws, Taxmann.com etc. The students/ users can access these databases through IP within the campus.

The Institute also deposits its Ph.D theses in UGC- Shodhganga. The institute theses can be accessed from Shodhganga Database. The Institute is also a part of National Digital Library of India and the digitized collection of





the institute is also accessible through National Digital Library of India.

The library is well equipped to facilitate the visually impaired students with JAWS Talking Software, Pearl Instant Reader and Angel Pro Talking Digital Pocket Daisy Player, E- Book Reader, keyboard, Music Player, Radio Cum Voice Recorder- All in One.

Library has Off Campus Access for its subscribed eResources, which is provided only to the authorized users of the Library. User IDs and passwords are provided to the authorized users for accessing the E-Resources from remote locations. Library has Wi-Fi Technology. This facility is provided to our students bearing Laptop through campus intranet system. Previous year question papers for LL.M and various Diploma offered by the Institute are accessible through the website of the library.

The Research support softwares such as Reference Management Software- ENDNOTE, Anti-Plagiarism Software -Turnitin and URKUND are also available for the researchers for maintaining research ethics and professional integrity.

The Library organize training programme on Research management softwares and tools, Research ethics and plagiarism, content development, Library databases and Services

### Legal Information Resource Centre (LIRC)

The ILI has set up a Legal Information Resource Centre with latest technology computers and heavy-duty printers with Wi-Fi Connectivity. All the computers have been equipped with facility to access all renowned legal databases. Legal information, relating to case laws, Constitutions, legislations, rules & regulations, Parliamentary debates, Commissions' & Committees' Reports, legal articles and rare documents can be retrieved by the Centre. The retrieved information is provided through printouts and e-mails to readers. Legal Information Resource Centre (LIRC) remains closed on Saturdays and Sundays.

### Digitization of ILI Publications and Rare Documents

The Indian Law Institute has digitized its publications and rare documents of the library. The institute has released its publications, rare documents and law reports on the website for free and wider access. Digitized Material available on the Website includes Journal of The Indian Law Institute from 1958 to 2021, volume 1 to 63, Annual Survey of Indian Law from 1965 to 2019, Volume 1 to 55, Index to Indian Legal Periodicals from 1963 to 2017, volume 1 to 55, various Commission and committee reports, Indian Law Institute Publications, Rare documents, Federal Court Reports, Indian Law Reports- Allahabad, Bombay, Calcutta, Lahore, Lucknow, Madras, Patna and Rangoon from 1876 to 1940, Bengal Law Reports from 1868 to 1875, Weekly Reporter- Sutherland from 1887 to 1893, Indian High Court Reports- Calcutta, Bombay High Court Reports from 1862-1875 and Madras High Court Reports from 1862- 1875. The link to access the collection is : <http://14.139.60.114:8080/jspui>.

### Publications

Apart from the publication of books, reports and studies of its research projects, the ILI has been publishing a quarterly *Journal of the Indian Law Institute* (ISSN No. 00019 5731) carrying research articles on topics of current importance. It is a very highly rated Journal of international repute. Besides, the Institute brings out every year a very prestigious publication: *Annual Survey of Indian Law* (ISSN No. 0570 2666) in which the latest trends in every branch of law of importance is captured and presented. In addition, Indian Law Institute has introduced *ILI Law Review Journal* (Online Quarterly Journal) wherein articles of the students are also considered for publication (ISSN (Online) Number ISSN 0976 – 1489).

The ILI also publishes a Newsletter every quarter. Information on all the activities of the Institute as well as critical comments on important decisions handed out by the Supreme Court are regularly

published for the benefit of members of the Institute/ legal fraternity.

### National Academic Depository

The Indian Law Institute has joined the digital depository in NAD through NSDL Database Management Limited for the purpose of Lodging, retrieving, authentication and online verification of Academic Awards in March 2018. It maintains the authenticity, integrity and confidentiality of academic awards.

### International Conference/ Workshops, Summer Courses/ Training Programmes and Project Studies

The Institute organizes national and international seminars, conferences, summer courses, symposia, lectures and training programmes from time to time. The Institute also undertakes project studies from various government departments on important topics of law.

## II. PRESIDENT

During the period under report, the Institute had the honour of being headed by Hon'ble Mr. Justice S.A.Bobde (18.11.2019 to 31.3.2021), Chief Justice of India in the ex officio capacity as President of the Institute.

## III. DIRECTOR

Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha was the Director of the Institute for the reporting period.

## IV. REGISTRAR

Shri Shreenibas Chandra Prusty was the Registrar of the Institute for the reporting period.

## V. MEETINGS OF THE COMMITTEES

The various committees constituted under the chairmanship of the Hon'ble Judges, Supreme Court of India during the period under report for the effective functioning of the Institute are hereunder:

S.No.	Name of the Committee	Chairman of the Committees
1.	Academic Council	Hon'ble Mr. Justice U.U.Lalit
2.	Finance Committee	Hon'ble Mr. Justice L. Nageswara Rao
3.	Library Committee	Hon'ble Mr. Justice Ashok Bhushan
4.	Building Committee	Hon'ble Mr. Justice A.M. Khanwilkar
5.	Membership Committee	Hon'ble Mr. Justice A.M. Khanwilkar

During the period under report, the different Committees of the Institute met on the following dates:

Academic Council	27.02.2021
Finance Committee	16.03.2021
Library Committee	17.03.2021
Membership Committee	20.02.2021
Building Committee	20.02.2021



## VI. MEMBERSHIP

S. No.	Type of Membership	No. of Members as on 31.3.2021
1.	Founder	30
2.	Life	2807
3.	Ordinary	100
4.	Corporate	141
5.	Honorary	20
6.	Ex- Officio	246
	Total	3294

## VII. STATE UNITS OF THE INDIAN LAW INSTITUTE

**At present the following are the State Units of the ILI:**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Allahabad State Unit of the ILI<br>Allahabad High Court<br>Allahabad, U.P. 211 001                              | 9. Kerala State Unit of the ILI<br>High Court of Kerala<br>Kochi, Kerala 682 031                     |
| 2. Andhra Pradesh State Unit of the ILI<br>Hyderabad High Court<br>Hyderabad 500 034                               | 10. Maharashtra State Unit of the ILI<br>High Court of Bombay,<br>Mumbai, Maharashtra 400 032        |
| 3. Assam State Unit of the ILI<br>Gauhati High Court<br>Gauhati, Assam 781 001                                     | 11. Orissa State Unit of the ILI<br>Orissa High Court, Cuttack,<br>Odisha 753 002                    |
| 4. Chhattisgarh Unit of the ILI<br>High Court of Chattisgarh<br>Bilaspur, Chattisgarh 495 220                      | 12. Punjab and Harayana State Unit of<br>the ILI<br>Chandigarh 160 001                               |
| 5. Gujarat State Unit of the ILI,<br>High Court of Gujarat,<br>Ahmedabad Gujarat 380 060                           | 13. Rajasthan High Court of the ILI<br>Rajasthan High Court,<br>Jodhpur Rajasthan 342 005            |
| 6. Himachal Pradesh State Unit of the<br>ILI<br>High Court of Himachal Pradesh<br>Shimla, Himachal Pradesh 171 001 | 14. Sikkim State Unit of the ILI<br>High Court of Sikkim,<br>Gangtok Sikkim 737 101                  |
| 7. Jammu and Kashmir Unit of the ILI<br>High Court of Jammu and Kashmir<br>Srinagar,<br>Jammu and Kashmir 190 001  | 15. Tamil Nadu Unit of the ILI<br>Madras High Court,<br>Chennai, Tamil Nadu 600 104                  |
| 8. Karnataka State Unit of the ILI<br>High Court of Karnataka,<br>Bengaluru<br>Karnataka 560 001                   | 16. Uttarakhand State Unit of the ILI<br>High Court of Uttarakhand,<br>Nainital, Uttarakhand 263 002 |
|  | 17. West Bengal Unit of the ILI<br>Calcutta High Court, Kolkata<br>West Bengal 700 001               |

## VIII. DISTINGUISHED FELLOWS

The Indian Law Institute was honoured to have the following eminent persons as distinguished fellows of the Institute:

- Mr. Justice M.N Venkatachaliah

## IX. HONORARY PROFESSORS

The Institute is honoured by the association of the following scholars, who have shown keen

lively interest in Indian Law Institute and third world socio- legal developments:

- Dr. Rajeev Dhavan, Senior Advocate, Supreme Court of India, Formerly of the University of West London.
- Professor Clarence J.Dias, International Centre for Law in Development, New York.
- Professor Yash Ghai, Professor of Public Law, University of Hong Kong.
- Professor A.R Blacksheild, La Trobe University, Australia

## X. PUBLICATION

### Research Publications Released

#### i. Journal of Indian Law Institute

The Indian Law Institute has been publishing the quarterly journal, the Journal of the Indian Law Institute (JILI). It contains research articles on topics of current importance. It is a referred journal of international repute. The following issues of the journal have been published during the period:

- *Vol. 62 No. 2 (April – June, 2020)*  
Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha
- *Vol. 62 No. 3 (July – Sept., 2020)*  
Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha
- *Vol. 62 No. 4 (Oct – Dec, 2020)*  
Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha
- *Vol. 63 No. 1 (Jan – Mar. 2021)*  
Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha

The digitized version of *Journal of the Indian Law Institute* from 1958 to 2019, volume 1 to

62 was released on the website of the Indian Law Institute.

#### ii. ILI Law Review (Online)

ILI Law Review 2020 (Summer Issue & Winter Issue)– E-Journal is available at the ILI website.

Institute published ILI Law Review – 2020 (Covid Special Issue)

#### iii. Annual Survey of Indian Law (2019) (Vol: LV)

Editor : Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha

The areas covered in the above Survey are: Administrative Law, Civil Procedure, Company Law, Competition Law, Conflict of Laws, Constitutional Law, Consumer Protection Law, Criminal Law, Criminal Procedure, Cyber Law, Election Law, Environmental Law, Forensic Law, Hindu Law, Intellectual Property Law, International Law, Labour Management Relations, Non Profit Voluntary Organisations, Mercantile Law, Muslim Law, Property Law,



Socio Security Crimes, Social Security and Labour Law, Tort Law, Women and the Law, Central Legislation,

The following faculty members of the Indian Law Institute contributed to the Annual Survey of Indian Law - 2019:

1. Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
International Law
2. Professor (Dr.) S. Sivakumar  
Central Legislation
3. Dr. Anurag Deep  
Socio Economic Offence
4. Dr. Jyoti Dogra Sood  
Criminal Law
5. Ms. Arya A. Kumar  
Company Law
6. Dr. Deepa Kharb  
Cyber Law
7. Dr. Latika Vashist  
Women and the Law

#### **UPDATION OF “DIGITIZED VERSION OF ANNUAL SURVEY OF INDIAN LAW (1965 – 2019)”**

The digitized version of “*Annual Survey of Indian Law*” containing ASIL published since 1965 has been updated. It contains 54 volumes from 1965 to 2019. The Digitized version of ASIL is in PDF format. The Digitized version in single DVD is user friendly. The search engine of DVD contains metadata search (Author, Title, and Combination); Full Text search and search within documents options.

#### **iv. ILI Newsletter**

The Indian Law Institute has been publishing

quarterly ‘ILI Newsletter’. The newsletter contains details of the activities undertaken by the Institute during the quarter and the forthcoming activities. It also carries the case comments written by the ILI faculty on the leading cases decided by the Supreme Court during the quarter. The following issues of the Newsletter were published during the period (April 2020 – March 2021).

Vol. XXI No. 2 (April – June, 2020)

Vol. XXI No. 3 (July – Sept., 2020)

Vol. XXI No. 4 (Oct. – Dec., 2020)

Vol. XXIII No. 1 (Jan. – March, 2021)

#### **v. Book on Human Rights of Vulnerable Groups: National and International Perspectives Editors: Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha and Arya A. Kumar**

The book titled Human Rights of Vulnerable Groups: National and International Perspectives brings out the issues of the vulnerable groups in general and specifically in the Indian context and how these issues have been addressed under the legal parlance nationally and internationally. An analysis of the existing literature on the subject i.e. ‘Human Rights of the Vulnerable Groups’ reveals that there is a dearth of literature in this important area of law. Hence, this edited volume comprises of a set of papers reflecting diverse perspectives of human rights issues of the vulnerable groups. Contributors of the book are mainly from the experts in the concerned area of law. The theme of the book ‘Human Rights of the Vulnerable Groups’ is a new and novel thought, which has not been addressed by any academicians in so focused manner earlier. In addition to this, group rights have been a subject of law included in the curriculum of many reputed universities in India. This book is expected to benefit the academic community all over the world.

## XI. ACADEMIC PROGRAMMES

### Admissions for the Academic Session 2020-2021

The scheme for conducting of LL.M. – 1 yr. Programme has been adopted as per the UGC guidelines. The admission process for LL.M. (Full Time – 1 year), and Post Graduate Diploma programmes was started as per the schedule approved by the Academic Council. The Common Admission Test to the LL.M. Programmes was conducted on 11.10.2020 at Delhi at the Indian Law Institute. 890 candidates appeared for LL.M. – 1 yr. Programme. The result of All India Common Admission Test was notified on 29.10.2020 as per the approved schedule. The total number of admission made for Academic year 2020-2021 is as under:

Ph.D.	05 students
LL.M (1Year)	41 students
Post Graduate Diploma Courses	280 students
Total Number of students admitted	326 students

The classes for LL.M 1 year commenced from 01.12.2020. Whereas the classes for Post Graduate Diploma Courses were commenced from 02.11.2020.

### Examination – 2019-2020

#### Entrance Examination – Ph.D. & LL.M.

The All India Admission Test -2020 to the LL.M. (1 Year) Programme and Ph.D. Programme was conducted on 11.10.2020 at Maharaja Agrasen College, Vasundhara Enclave, Delhi. For LL.M. 890 applications received by the Institute for admission out of which a total of 485 candidates appeared for the Entrance Test. For Ph.D. 141 applications received out of which 78 from Exempted category and 63 were from non-exempted category out of which only 25 candidates appeared for the Entrance Test.

5100 candidates appeared for LL.M. and Ph.D. Admission Test respectively. The results of All India Admission Test & Ph.D. Admission Test were notified as per the approved schedule.

The viva-voce for admission to LL.M. 1 year Programme (2020-2021) were held between November 9-11, 2021. The result as per merit was declared on November 16, 2020.

The interview/ presentation for Ph.D. Admission 2020 for exempted & Non-exempted category candidates were held on December 3-4, 2020. The result for Ph.D. Admission 2020 was declared on December 22, 2020.

#### Ph.D. Course Work Examination

The Ph.D. Course Work Examinations – 2020 (Paper I & II) were conducted from September 2-10, 2020 and the result was declared on October 22, 2020.

#### Semester Examination – LL.M.

The LL.M. 1 Year (II<sup>nd</sup> Semester) Examination were conducted during August 21-31, 2020 and Dissertation viva-voce/ Presentation were conducted in the month of October 14-15, 2020 and the result of the same was declared in the month of October 27, 2020.

#### Post Graduate Diploma Examination

The Annual Examination-2020 of Post Graduate Diploma Courses (Session 2020-21) were conducted successfully during August 18, 2020 to September 12, 2020. The result of the Annual Examination was declared in the month of November, 2020.

The Supplementary Examination for Post Graduate Diploma Courses was conducted in the month of April 2021 and the result of the same was declared in the month of July, 2021.



## XII. ACTIVITIES AT THE INSTITUTE

### A. WEBINARS/ LECTURES

#### Web Series of Lectures

Azadi ka Amrit Mahotsav: Conference on Celebration of 75<sup>th</sup> Anniversary of India's Independence, on March 12, 2021



*Prof. (Dr.) Ranbir Singh and Shri Anoop Kumar Mendiratta, addressing the audience of the programme*

To mark the launch of Azadi ka Amrit Mahotsav, the series of celebratory events initiated by the office of the Hon'ble Prime Minister, Mr. Narendra Modi, to commemorate the 75<sup>th</sup> Anniversary of India's Independence, a conference was organised on March 12, 2021 by the Indian Law Institute in collaboration with the Ministry of Law and Justice, Government of India. The date of 12<sup>th</sup> March holds a special significance for all Indians since this historic day in 1930 marked the commencement of the momentous 'Salt Satyagraha' movement. The movement is known for its notable contribution in the Indian independence struggle and was seen as a clarion

call for the people of India to eschew obedience to the oppressive colonial rule and to come out in open defiance of the repressive colonial regime. Thus, the day merits a special mention in any celebration of the Indian freedom struggle and taking note of its crucial significance, the day was chosen to begin the festival of the successful completion of 75 glorious years of Indian independence.

Eminent dignitaries who graced the occasion included Professor (Dr.) Ranbir Singh, Former Vice Chancellor, National Law University, Delhi, who presided over the event as the Chief Guest. Guest of Honour for the event were Professor (Dr.) Manjula Batra, Former Dean, Faculty of Law, Jamia Millia Islamia and Shri Anoop Kumar Mendiratta, Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Govt. of India.



*(From L to R) Prof (Dr. Manoj Kumar Sinha, Shri Anoop Kumar Mendiratta, Prof. (Dr.) Ranbir Singh and Prof. (Dr.) Manjula Batra*

Post the welcome address, Professor (Dr.) Manjula Batra, former Dean, School of Law, Jamia Milla Islamia University, New Delhi delivered the special address for the event. In line with the theme of the conference and commemorating the eventful day of March 12, 1930, Professor (Dr.) Batra detailed out the historic significance of the *Dandi March* and elaborated upon the events that had led to the call by Mahatma Gandhi to the people of India to boycott the Indian Salt Act of 1882.



Professor (Dr.) Batra described how the twenty-four-day long march was the collective beginning of a mass resistance movement against the British tyranny. Highlighting the role played by Mahatma Gandhi, the towering figure of the Indian freedom struggle, she mentioned how the crowds after the end of each day would stop at different villages and sit together to listen to Gandhi and his views on the need for peaceful resistance movement against the oppressive regime. His words would mobilise the masses and his ideology became one of the most potent weapons in the arsenal of Indians fighting against the repressive forces of the colonial masters.



A talk by Sayres Rudy on “The Gandhian-Fanonian Body Between Law and Justice” on December 12, 2020

The Indian Law Institute organized a talk by Sayres Rudy on “The Gandhian-Fanonian Body Between Law and Justice” on December 12, 2020. The writings of Frantz Fanon, psychoanalyst and political philosopher of great international repute, in the field of post-colonial studies and his discourse on deconstruction of violence in anti-colonial movements, have generated worldwide attention. Narratives around the ideas of truth, violence and colonial struggles have often looked at the contrast between the Gandhian values of *ahimsa* and the justifications of the use of violence for overthrowing oppressive, imperialist regimes. The engaging talk exposed the several intersections and divergences in the Gandhian-Fanonian discourse and left the participants with many interesting questions and ideas to ponder over.

## Webinar on “Constitution Day” on November 26, 2020

The Constitution of a nation state performs multiple functions, it is a legal, social and a political document. It lays down the bedrock of legal system and the citizen’s rights as well as the power map of the institutions of governance. A constitution is often characterized as the basic charter of the state’s identity that represents the shared values and aspirations of the whole political community. The stability of the nation state and its fate is rooted in the endurance value of its constitution and thus the history of the enactment of the constitution of any state encapsulates both the struggles of the past and the aspirations and ideals for the future development of the nation state. The story of the enactment of the Constitution of India is no different. It captures the essence of the freedom struggle and the ideals that guided the independence movement. The adoption of the Constitution of India on the 26<sup>th</sup> November, 1949 marked the culmination of the diverse aspirations of the heterogeneous Indian community and the firm resolve to constitute the diversities into one nation state that would be founded upon the principles of justice, liberty, equality and fraternity among all. To commemorate the historic day, each year November 26, is celebrated as National Law Day or the National Constitution Day. To mark this momentous day, the Indian Law Institute organized a webinar on “Constitution Day” on November 26, 2020 which saw the participation from learned members of academia as well as the legal fraternity. Professor (Dr.) Ranbir Singh, Former and Founder Vice Chancellor of National Law University, Delhi graced the occasion as the chief guest and Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI delivered the welcome speech wherein through his words, he expressed his reverence for the supreme law of the land and shared his views on the significance of remembering the core values that inspired the framers of our constitution. Shri Rakesh Munjal, Senior Advocate, Supreme Court of India/President, SAARC Law India was the

Guest of Honour and a special address was also delivered by Mr. Sudhanshu Ranjan, Senior Journalist, Doordarshan, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

### **National Webinar on the occasion of “20th Anniversary of Security Council Resolution 1325” on October 29, 2020**

The Indian Law Institute organised a national webinar on the occasion of “20th Anniversary of Security Council Resolution 1325” on October 29, 2020. The resolution as adopted by the UN Security Council on October, 30, 2000 had intended to reaffirm the role of women in the prevention and resolution of conflicts, peace negotiations, peace-building, peacekeeping, humanitarian response and in post-conflict reconstruction.

Distinguished international law scholar, Professor Hilary Charlesworth was the keynote speaker for the event. In her talk, she presented a strong critique of what she has called “institutional orthodoxy with respect to women and peace”, essentialist claims about women being inherently peaceful; women’s “competitive vulnerability”; demands for their participation in peace negotiations given their affinity with peace and collapsing of the term gender with women.

She argued for a shift in the terms of the debate about women, peace and security by pushing for a substantive equality framework (which is based on historical and current exclusion of women from decision making processes) and by employing gender as an analytical category, a system of meaning that permeates all reality, including ideas about peace, conflict, and militarised solutions. The talk was an enriching account of stories of despair as well as hope from Resolution 1325.

National Webinar on “National Education Policy, 2020: Right Steps Towards Inclusive Higher Education” on October 18, 2020.

The National Education Policy, 2020 has marked a paradigm shift in the education reforms in

the country and it seeks to undertake a massive overhaul of the education sector. To discuss the ramifications of the first ever comprehensive policy to be introduced after the 1986 NEP, the Indian Law Institute, hosted a webinar on October, 18, 2020. Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha welcomed the speakers and participants and gave an introduction of NEP, 2020. It was brought to attention that currently there are about 950 universities in India, out of which 412 are State universities, 124 ‘Deemed to be’ universities, 53 Central universities and 361 private universities. Each State university has about 45-50 colleges affiliated to it. NEP, 2020 has directed all the colleges to become autonomous in their functioning because it is practically impossible for a State university to keep a close watch on the functioning of these colleges, given they are so large in number.

Hon’ble (Dr.) Justice Arijit Pasayat, Former Judge, Supreme Court of India commenced his speech by shedding light on the in-depth meaning of education. His Lordship mentioned how NEP, 2020 aims at making India a global knowledge superpower and it instills deep-rooted pride. It focuses on skill development, inculcation of values, human rights and sustainable development. It lays down several factors and aims that standalone institutions become multidisciplinary institutions. With the approval of the NEP, 2020, it seems apparent that single field institutions will be phased out over time.

Professor N.L.Mitra, in his speech, started by reminding the participants that this was the first time in history that a National Education Policy even mentioned legal education. He commented that the new NEP also sought to do away with the affiliation system. He remarked that our affiliation system was again copied from the British, but Britain being a small country, could make it work, whereas in our case it doesn’t work as efficiently. Colleges as per new NEP can either merge with the university, become big by merger or acquisition or get clustered by coming together and give their own degree with a big investment.

If none of this is possible for them, they'll have to wind up. At least 400-500 colleges will close down as a result of this. It would be interesting to see if this is actually realisable.

Mr. Sujeet Kumar, Member of Parliament, lauded NEP, 2020 and hailed it to be a landmark and futuristic policy which was in many respects conducive to the needs to India. However, he also expressed his scepticism regarding NEP, 2020 and its potential in being a right step towards inclusive higher education. He expressed his concern over BSNL, the state telecom provider, intending to stop cellular service in Kalahandi district, Orissa stating commercial unviability as this would be contrary to the Prime Minister's vision of a digital India. He stressed that technology and education should be inclusive.

Professor (Dr.) C. Rajkumar, Professor OP Jindal University, stated that NEP is an outstanding vision statement and policy document which recognises the complexity and challenges of the higher education system. It has envisaged a vision for seeking substantive change with a view to harnessing the extraordinary potential of human development and India's demographic dividend. He stated that the NEP 2020 has ten big ideas for reimagining the higher education sector which includes: World-class education in the pursuit of excellence, Multi-disciplinarity and liberal education, Regulatory reforms, Expansion with quality assurance and access, Research ecosystem, Faculty focus, Governance and leadership, Public funding and private philanthropy, Internationalisation, Accreditation, Digitisation, Transparent decision-making, Institutional independence, Active and participative consultation, and Empowering IoEs.

Professor N.K.Chakrabarti focused on the important aspects of equity and accessibility in education. He appreciated the newly introduced feature in NEP, 2020, of multiple entry and exit points when undertaking a course and stressed that in legal education these are very much essential. It was added that multidisciplinary approach will give the autonomy to teachers to

design the courses to be taught more innovatively. He also stated that it would be more beneficial if higher educational institutions can plan properly for economically weaker sections on the basis of means and merit policy i.e., focusing on means available to the student in the initial years and gravitating towards a merit-based approach in awarding scholarships in the later years of the course. He also added that provisions for specially-abled individuals should be made in all institutions of higher education with special labs providing features conducive to their needs.

### **National Webinar on "Environmental Law: National and International perspective" on October 4, 2020**

Indian Law Institute organised a National Webinar on "Environmental Law: National and International perspective" with eminent scholars and practitioners in the field of environmental law. Hon'ble Mr. Justice Swatanter Kumar, Former Chairperson, National Green Tribunal and former Judge, Supreme Court of India graced the occasion as the chief guest. The speakers included distinguished experts in the field of environmental law namely: Professor. (Dr.) Armin Rosencranz, Dean, Jindal School of Environment and Sustainability; Shri. Sanjay Parikh, Advocate, Supreme Court of India; Professor Satish C. Shastri, School of Law, Modi University, Rajasthan; Professor Furqan Ahmad, Symbiosis Law School, Noida; and Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, Indian Law Institute. The discussion explored the role played by environmental legislations (both domestic and international) in the protection of environment.

In his welcome address, Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha spoke on how environmental degradation affects the very fabric of human existence i.e., from the quality of air and water, to the type of food available and also pointed out that the 'fast-paced' development and mindless 'rapid consumption' of resources in the age of globalisation is at the very core of environmental issues faced by the international community. He further elaborated upon how the environmental



law framework and principles should become the reference point for devising developmental policies and stressed on the need for synergising the same with human rights concerns. Professor (Dr.) Armin Rosencranz raised the issue of the lack of the implementation tools for the enforcement of the environmental law principles developed at the international level. He drew attention to the fact that it is only within the domestic courts that these principles could be realized. The esteemed professor gave the gathering an insight into his latest work on the topic of illegal trade in wildlife species (like rhinos) for making virility medicines. He further discussed how this trade in wildlife species has driven various species to the verge of extinction. Mr. Sanjay Parikh, on an optimistic note, pointed out in his speech that though till now human activities have adversely affected the environment, however, human beings as a community have the capacity to safeguard the environment. Taking the discussion forward, Professor Satish C. Shastri referred to the extreme weather events happening all over the world and declared that we were in a state of an environmental emergency, and emphasised upon the need to acknowledge the stress being put on earth. He also reminded the gathering that the contemporary generation was the trustee for the coming generation and that we had the responsibility to pass on the environmental resources to the future generations in the best state possible. Professor Furqan Ahmad too, discussed the pertinent issue of the lack of strict implementation of the environmental legislations and mentioned how merely development of lofty environmental principles and formulation of numerous environmental legislations, without any effective implementation, cannot serve the cause of environmental protection. The webinar was concluded with the address by the Chief Guest, Hon'ble Mr. Justice Swatanter Kumar. His Lordship enumerated the three main sources of environmental laws in India: the constitutional provisions, the statutes, and the judicial decisions. He emphasised that in the Indian experience judicial decisions have been a major source of environmental jurisprudence.

Acknowledging the universal nature of the environmental concerns, he stated that though we have organized ourselves into separate nation-states politically, however when it comes to the environment, we are but one community. And therefore, the issue of environmental degradation is one that the entire international community has to address together, thus, calling for a synergistic approach for addressing the myriad environmental challenges.

### **National Webinar on “International Humanitarian Law: Issues and Challenges” on October 2, 2020**

Narratives about International Humanitarian Law have largely pivoted around the historical development of the laws of conduct of warfare and often is confined to the traditional orthodox methodology of looking at it only through the prism of the historical war-codes and the Geneva Conventions. The history of IHL indeed documents the paradigm shift from sovereignty to humanitarianism in international law and the same must inform the renewed understandings of the discipline today. To initiate the discussion on the contemporary relevance of the subject and the emerging challenges and opportunities that the field presents, the Indian Law Institute, in collaboration with Knowledgesteerz, conducted a National Webinar on “International Humanitarian Law: Issues and Challenges” on October 02, 2020, which was attended by several students, academicians and other international law enthusiasts from across the country. Dr. Jyotika Kalra, Hon'ble member of the National Human Rights Commission, presided over the event as the chief guest. Other learned speakers included reputed members of the academia and from the International Committee of the Red Cross. The webinar deliberated upon various topics such as the specific vulnerabilities of communities, the nuances of IHL in protection of the vulnerable communities, the narratives of law surrounding women in the scheme of protection, the special circumstances in Non-International Armed Conflicts, and so on. The discussion that followed paved the way for meaningful introspection by



participants and speakers alike. The area of law being relatively less explored, coupled with the contemporary relevance of the subject due to the international climate of conflicts, the endeavour was aimed at providing a meaningful engagement with the discourse in IHL, hoping that the same would prove to be a desirable academic exercise. It was intended to stimulate within the students the urge to seek out opportunities to further explore the discipline of IHL and pursue studies in the same.

The Indian Law Institute in collaboration with All India Lawyer's Forum (AILF) organised a webinar on "Legal Education and Challenges in India" on September 26, 2020

The Indian Law Institute in collaboration with All India Lawyer's Forum (AILF) organised a webinar on "Legal Education and Challenges in India" on September 26, 2020. The Chief Guest of the programme was Hon'ble Justice Shri Surya Kant, Judge Supreme Court of India and other dignitaries Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI and Advocate Shri Vikas Verma, Co-Chairman, National Executive, AILF.

This was followed by a welcome note by Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, Indian Law Institute, New Delhi. In his note, Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha discussed numerous issues relating to the theme of the webinar and set the right tone for the webinar and announced the launch of special issue of ILILR and invited Chief Student Editor of ILILR to give brief insights about the working of ILILR.

### Virtual Webinars for students during Covid

A talk was organized titled "Perverse Economies of Intimate and Personal Labour: Resuming Domestic Work in Households after the Lockdown" by Dr. Pooja Satyogi, Assistant Professor, the Centre for Law, Governance and Citizenship at Ambedkar University, Delhi on July 6, 2020. The talk followed by an interactive session delineated how formalities of social distancing and mask-wearing have begun to inflict intimate and personalised relationships in ways that entrenches existing

hierarchies enabled by past practices. The talk tried to demonstrate the social phenomenon that the pandemic is thrusting on us. The programme was coordinated by Dr. Jyoti Dogra Sood, Associate Professor, ILI and Dr. Latika Vashist, Assistant Professor, ILI.

The Indian Law Institute organised a webinar on "Changing Dimensions of Authorship in Copyright Law" by Dr. Annamma Samuel Faculty of Law, G. D. Goenka University, Gurugram on July 23, 2020. The focus of the discussion was in today's digital world are we slowly departing from the concept of human authorship to the Artificial Intelligence systems taking its place as Author/creator of the work? The author vehemently discussed about the background of copyright law, and the criteria and basis for copyright protection, authorship and identification of lacunas in the act, Comparison of Indian law with UK and US etc. Discussion closed with question and answer round and thank you note by Dr. Jyoti D. Sood, Associate Professor, ILI. Arya. A. Kumar, Assistant Professor, ILI coordinated the programme.

Film theory considers cinema as 'cultural unconscious' that is central in understanding the formation of the society. An online discussion on "The Impossibility of Love in Meghna Gulzar's "Raazi" was organised on July 24, 2020. The speaker Mr Amit Bindal, through the landscape of the much celebrated film 'Raazi' explored how masculine worldviews get couched in terms of (woman's) valour, agency and sacrifice. He discussed how such imagination forestalls all possibilities of cultivating and nurturing love. Ms. Avani Bansal delivered a lecture on the issue of "Gender Mainstreaming: Have We Learnt the Lesson from the Pandemic?" on July 28, 2020. The talk was followed by the question answers which discussed the gender dynamics and focused on the lessons that the pandemic taught us about shaping the home and work space divide – to move the discourse on gender from binaries to a more holistic approach. Mental well being is as important, if not more, as physical well being. The pandemic brought great uncertainties in



our lives and many students as well as employees were dealing with issues of anxiety and stress. Dr Archana Krishna, holistic clinical and organisational psychologist was invited to discuss “Mental Health Matters and Psychological Coping Strategies” on July 30, 2020. The interactive session explored ways to manage anxiety and mental resilience in these stressful times. These programme were coordinated by Dr. Jyoti Dogra Sood, Associate Professor, ILI and Dr. Latika Vashist, Assistant Professor, ILI.

### **Webinars conducted by AILIA (Association of Indian Law Institute Alumni)**

#### **Webinar on “Innovator Genius: V.R. Krishna Iyer and the Cautious Protagonist– P.N. Bhagwati” on January 19, 2021**

AILIA organized a Webinar with Sheela Barse on “Innovator Genius: V.R. Krishna Iyer and the Cautious Protagonist – P.N. Bhagwati” via Zoom Platform on January 19, 2021. This was the third Webinar in the lecture series with Ms. Sheela Barse. Mr. Vinod Dubey, Advocate & Secretary, AILIA, introduced the Webinar theme to the audience. He welcomed Ms. Sheela Barse and acquainted the audience with her contribution towards society, especially in the recognition of women’s and children’s rights through her Public Interest Litigation work. He highlighted that Ms. Barse’s work has helped hundreds of people to be aware of their rights and led to important advances in the interpretation and application of law. Mr. Amit Raj, Consultant and Executive Member, AILIA, and Convenor-cum-Moderator of the event, underscored the direction received by the youth through Ms. Barse’s work and formally welcomed all to the event.

#### **Webinar on ‘Women Prisoners: World’s First Focus on Women Prisoners’ on January 17, 2021**

The Association of Indian Law Institute Alumni organised a webinar titled ‘Women Prisoners-World’s First Focus on Women Prisoners’ with veteran journalist Ms. Sheela Barse on January

17, 2021. This webinar was the second in a series of three webinars organised with Ms. Barse in January, 2021. In 1982, a letter addressed by Ms. Barse on custodial violence to women prisoners whilst confined in the police lock up in the city of Bombay was treated by the Hon’ble Supreme Court as a writ petition. The letter was based on her interviews with fifteen women prisoners in the Bombay Central Jail. This Writ Petition eventually led to the Supreme Court passing a slew of directions for the protection of female prisoners in police lockups vide its judgment titled *Sheela Barse v. State of Maharashtra* [(1983) 2 SCC 96].

#### **Webinar on ‘PIL– The Vitalizing of Indian Constitution to empower average citizens’ on January 15, 2021**

The ‘Association of Indian Law Institute Alumni’ (AILIA) in collaboration with Indian Law Institute, New Delhi organised a Webinar on ‘PIL–The Vitalizing of Indian Constitution to empower average citizens’ wherein Ms. Sheela Barse, a veteran activist, a revolutionary journalist and a lawyer was the guest speaker. Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, the Indian Law Institute, welcomed Ms. Barse and thanked her for gracing the occasion. Through her words, Ms. Barse enlightened the audience about her motivation behind the filing of various Public Interest Litigation petitions (PIL).

#### **AILIA organized a special lecture on the topic “Judicial review of Administrative Action in India” on December 13, 2020**

AILIA organized a special lecture on the topic “Judicial review of Administrative Action in India” on December 13, 2020. The lecture was delivered by Mr. Amit Raj Agrawal, Academician and Legal Consultant (Alumnus, The Indian Law Institute, New Delhi). The event was moderated by Mr. R.C Meena, the President of the AILIA. Mr. Meena, ensured that the lecture could be conducted smoothly despite the technical glitches in internet connectivity.

The event witnessed an immense participation of law students, lawyers and senior professionals. The programme came to an end with the vote of thanks by Mr. R.C Meena, the President, AILIA.

### **Webinar on the theme of “Gandhi on Religion and Secular Polity” on October 4, 2020**

Gandhian views on the impossibility of segregating religion from politics and his sustained attack on modernity in *Hind Swaraj* has attracted multiple debates in the fraternity of academicians, philosophers and scholars alike. His religious positioning has in itself been a matter of much academic discussion and continues to fascinate people. Highlighting the same, AILIA organised a webinar on the topic: Gandhi on Religion and Secular Polity on October, 4, 2020. The event began with an introduction of the programme by the event coordinator, Mr. Shivam which was followed by a welcome address by Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, Indian Law Institute and Patron, AILIA. The panellists included Mr. Sanjay R. Hegde, Senior Advocate, Supreme Court of India, Professor (Dr.) M.H. Ilias, Director, School of Gandhian Thought & Development Studies, Mahatma Gandhi University. The event concluded with a vote of thanks from Ms. Neema Noor Mohamed, Event Coordinator and Member, Executive Committee, AILIA. Ms. Surabhi Pandey, Member, Executive Committee, AILIA also served as the coordinator for the event.

### **Webinar on “Relevance of Gandhian Precepts in Articulating Resistance” on October 3, 2020**

October 2 is fondly celebrated as Gandhi Jayanti all over the country to mark the birth anniversary of Mahatma Gandhi, the father of the nation. Gandhian values of *satyagrah* and civil disobedience have continued to inspire people across the globe who have been in the pursuit to ‘be the change that they wish to see in the world’. To discuss the relevance of these precepts and to pay homage to the towering figure of

the Indian independence movement, AILIA organized a webinar on the topic: Relevance of Gandhian Precepts in Articulating Resistance. The event began with a welcome address by Event Coordinator, Mr. Shivam and Ms. Neema Noor Mohamed. The learned panelists who enriched the virtual gathering with their profound inputs on the topic included Professor (Dr.) Mridula Mukherjee, Professor of Modern Indian History (Retd.), Centre for Historical Studies, JNU, Professor (Dr.) John S. Moolakkattu, Professor & Coordinator, Centre for Gandhian Studies, Central University of Kerala, Ms. Shobha Gupta, Senior Counsel and Advocate-on-Record, Supreme Court of India. The webinar came to an end with a vote of thanks from Ms. Surabhi Pandey, Event Coordinator and Member, Executive Committee, AILIA.

### **Webinar on “116<sup>th</sup> birth anniversary of Bharat Ratna Shri Lal Bahadur Shastri” on October 2, 2020**

Former Prime Minister of India and a statesman of impeccable integrity and values, Shri Lal Bahadur Shastri was born on October 2, 1904. A webinar was organised by members of AILIA to mark the occasion of his 116<sup>th</sup> birth anniversary, this year. The resource persons included Mr. Sanjay Dixit, Retd. Senior IAS Officer, Rajasthan Govt., Vishisht Sewa Medal and Sena Medal Awardee Major General G.D. Bakshi and Mr. Anuj Dhar, author of several books on Netaji Subhash Chandra Bose and Lal Bahadur Shastri. The Convenor was Ms. Mini Srivastava, ILI Alumnus and AILIA Executive Council Member and Assistant Professor, Amity Law School Noida. It was co-convened by Mr. Amit Raj Agarwal, ILI Alumnus and AILIA Executive Council Member as well as Independent Legal Researcher. The webinar ended with a vote of thanks by Mr. R. C. Meena Sir, President AILIA.

### **Teacher’s Day celebrations with Association of ILI Alumni (AILIA)**

The Association of ILI Alumni (AILIA) celebrated the Teacher’s day along with its Alma mater, the





Indian Law Institute on September 5, 2020. Many legal luminaries joined the celebrations by marking their auspicious presence and sharing their experience at ILI. Eminent Personalities like Professor (Dr.) KNC Pillai, Former Director and Dean, ILI and National Judicial Academy, Professor (Dr.) MP Singh, Former Dean and Professor, ILI and Director – Centre for Comparative Law and Chairman of the Law School Doctoral Committee, JGLS, Dr. Kauser Edappagath, Principal District & Sessions Judge, Ernakulam and Alumni, ILI, Dr. G K Goswami, Joint Director, CBI and Alumni, ILI, Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director ILI, were invited to enrich the young budding Lawyers, Advocates, Teachers and Students.

### Law and COVID 19 Webinar Series

The Indian Law Institute and Association of ILI Alumni organised the *Webinar Series* on COVID 19 and Law. The webinar started during lock down in May, 2020 and concluded in June 2020. During lockdown the Ministry of Human Resource and Development, Government of India and UGC directed the educational institutes and academicians to engage in online intellectual activities and research endeavour. UGC also suggested taking up topics like domestic violence for Webinar series of lectures. A number of ILI alumni are in teaching profession in various universities. They took up this challenge of online research activity under the guidance of Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director and supervision of Dr. Anurag Deep, Associate Professor. Accordingly, it was thought to conduct weekly webinars on every Wednesday starting with the inaugural webinar on May 20, 2020. The contemporary topics touched upon areas like 'rights of migrant workers during Covid 19, Law Media and Covid 19, Future of Sustainable Development in a Post Covid-19 world, Domestic Violence during Lockdown, Right to Health and Covid-19 and Impact of Covid-19 on Legal Education sector. The coordinator for the webinar series was Ms. Mini Srivastava, an ILI alumni/Assistant Professor, Amity Law School, Noida.

In the **First Webinar** on May 20, 2020 "India's governance over Covid-19 with Special Focus on Migrant Workers" was discussed by panellists *viz.*, Mr. Rakesh Dwivedi Sr. Advocate, Supreme Court of India, Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, Indian Law Institute and Patron AILIA, and Mr. Amit Vashist Regional PF Commissioner, Ministry of Labour and Head, Legal division, EPF Organisation in the presence of Moderator Dr. Anurag Deep, Associate Professor, Indian Law Institute and Chief Advisor, AILIA and Convenor Ms. Mini Srivastava Assistant Professor, Amity Law School Noida and Executive Member AILIA. It was attended by 55 lawyers, academicians and Law students. Mr. Rakesh Dwivedi described the plight of migrant workers and problems being faced by them, evident by their mass exodus from the cities. Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha discussed the performance of India *vis-à-vis* developed countries during Covid-19 by highlighting the role of WHO, UN Charter, International Human Rights Instruments and the Constitution of India. Mr. Amit Vashist, Regional PF Commissioner, shared his views on Migrant labour crisis: Statutory protection, governmental response and long term plan by laying emphasis on various challenges faced by workers including proving the employer-employee relationship.

The **Second Webinar** was organised on May 27, 2020 wherein "Law, Media and Covid-19 Issues and Challenges" were discussed in which the Chief Guest was Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI and Chief Patron, Association of Indian Law Institute Alumni. Panellists were Dr. Mohan Parasain, Joint Director, Lok Sabha, and Parliament of India and Mr. Sudhnasu Ranjan, working with DD News as a TH Senior Journalist. The Convenor was Mr. Amit Raj, Legal Researcher, Legal Consultant, AILIA representative and the Co-Convenor was Ms. Upasana Singh, Assistant Professor (Law) with Delhi Metropolitan Education, (GGSIPU) and AILIA representative. It was attended by lawyers, academicians and Law students. Dr. Mohan Parasain highlighted the lack checking

programmes launched by the mainstream media. He also stressed upon understanding the importance of Cross-Institutional Accountability of the Institutions. Mr. Sudhanshu Ranjan stated that ‘no law can regulate the media *per se*’. He further highlighted that truth is the first casualty always when personal agendas take priority. Finally concluded by Professor (Dr.) Manoj Kumar Sinha that till the time fake news is not undermining any Women, Minority, Community, Individual, it should be left upon the people to introspect and decide the truth. The programme was conducted smoothly by Mr. Amit Raj, convener and Ms Upasana Singh, Co-convener of this programme.

The **Third Webinar** was organised on June 03, 2020 wherein the interlink between environment and COVID-19 was sought to be analysed with special emphasis on the future of sustainable development in a post COVID-19 world. The panel comprised of Sr. Advocate, Mr. Sanjay Sen, Supreme Court of India, Mr. Sanjay Upadhyay, Advocate, Environmental Law expert and Managing Partner of Enviro-Legal Defence Law Firm. Dr. Vishnu Konoorayar, HoD and Associate Professor, Centre for Postgraduate Legal Studies, TERI, moderated the session. The Convenors were Ms. Surabhi Pandey, Advocate, Delhi and Executive Member AILIA and Ms. Bhavna Mehrotra, Research Scholar, Faculty of Law, University of Allahabad and AILIA Representative. It was attended by around 55 lawyers, academicians and Law students. Mr. Sanjay Sen, Advocate, Supreme Court of India, focussed on the role of institutions during a crisis and brought to the notice of the audience the important fact the lack of efforts being undertaken by the National Human Rights Commission (NHRC) and how in such times of crisis when there is a flagrant violation of human rights, the only institution that is approached is the Supreme Court of India. Mr. Sanjay Upadhyay, Advocate, Supreme Court of India gave a holistic view on the co-relation between the environment and economy and stressed upon the fact that the environment and the economy

and can always co-exist and that businesses ought to take the step in this direction.

The **Fourth Webinar** was successfully conducted on June 10, 2020 on “Domestic Violence during Lockdown: An Invisible Pandemic” with Convenors being Mrs. Neema Noor Mohamed, Assistant Public Prosecutor, Mahila Court, Govt. of NCT of Delhi and distinguished speakers were Hon’ble Ms Justice Hima Kohli, Delhi High Court and Executive Chairperson DSLSA, Smt. Rekha Sharma, Chairperson for National Commission for Women and Moderator being (Dr.) P. Puneeth, Associate Professor, Jawaharlal Nehru University, Delhi. The webinar saw participation from a diverse audience consisting of law students, legal academia and members of the Bar. Hon’ble Ms. Justice Hima Kohli stated that when it comes to immediate relief, there are protection officers with powers who can act. But if the person feels that the court of law has not acted upon despite urgency, then there is Appellate Court available to reach at. Just like under the Family Courts Act, the other Courts of Law in emergent situations always try their best to act upon and provide relief. Also during this lockdown, DSLSA has also started the Vidhik Seva, Mobile APP to provide relief to the victims and ensure awareness. She also stated that it is the stark reality is paucity of basic needs of life which in turn can lead to spike in Domestic Violence cases. Ms Rekha Sharma highlighted that the experience during the entire lockdown with regard to DV Cases was not positive but only hints at the amount of work that remains to be done. Pandemic is our first experience and hence the discussion was done on the ways to work in more effective and innovative manner. A lot of measures, reaching out and works remain to be done.

The **Fifth Webinar** was organised on June 17, 2020 wherein the “Challenges to the Right to Health and Access to Healthcare in Light of the Covid-19 Pandemic” were discussed by the distinguished speakers Professor A.P.Singh, Dean, University School of Law and Legal Studies, Guru Gobind Singh Indraprastha University; Mr. Rana



Mukherjee, Senior Advocate, Supreme Court of India and Mr. Ashok Agarwal, Social Activist and Advocate, Supreme Court of India and Delhi High Court. The session was moderated by Ms. Megha Nagpal, Assistant Professor, Symbiosis Law School and convened by Ms. Radhika, Advocate and Joint Secretary, Association of Indian Law Institute Alumni. The webinar saw participation from a diverse audience consisting of law students, legal academia and member of the Bar with a total of 175 participants. Professor A.P. Singh stated the constitutional bearings of the right to health and right to access to healthcare for the citizens supplemented by precedents and landmark decisions of the court on this aspect. Mr. Mukherjee highlighted the role of courts in effecting the right to access to healthcare and the challenges in securing this right for the citizens. Mr. Agarwal stated directions to ensure that the right to access to healthcare to patients of Covid-19 is secured by the state as an activist in filing Writ Petitions before the Courts.

The **Sixth Webinar** was organised on June 24, 2020 with main theme of "Impact of Covid-19 on Legal Education Sector and its responses thereon" with main speakers Professor (Dr.) G. S. Bajpai, Professor & Registrar, NLU Delhi discussed on development of legal education on Covid-19 times. Manpower Reduction in Covid-19 and reliance on technology is less so being technology savvy needs to be enhanced and by training it can be done. Professor Arjya B. Majumdar Professor & Dean, Admissions & Outreach, Centre for Global Corporate and

Financial Law and Policy, JGLS focused on practical viewpoint 5 aspects basic teaching and learning, examinations, admissions, Internships and foreign admissions. Suggestions online classes were not equipped with learning in class turn into online learning is an obstacle. Technical Knowhow, Internet Connectivity remains a problem and still a challenge. Internet Access still remains in the hands of Minorities. Access to Research also remains problem being at offline mode. Professor (Dr.) M.K. Prasad, Fulbright Scholar, Principal V.M Salgoakar College of Law, Goa also focused on 5 areas-Admissions, Online classes, Infrastructure, Evaluation and Assessment and Attitude of a Teacher and student. Challenges remain all students not able to connect and cope up with Online Classes. Technical Knowhow is not widespread so it brings divide. New Skills are required. Power cut, Internet also remains problem. Time remains a problem as to duration of Classes. Journal offline remains problem being available at home. Laptop access remains biggest hurdle. Face to Face Classes is possible Online.

### Internship

The Institute offered online internship opportunities to the law students from various universities during April, 2020 - March, 2021. Around 16 internees participated from different universities viz., Vivekanand Institute of Professional Studies, National Law University, Jodhpur, Jitendra Chauhan College of Law, Mumbai, Central University, South Bihar.

## XIII. E-LEARNING CERTIFICATE COURSE

### (i) IPR

E-Learning Certificate Course on IPRs was initiated by the Institute as an alternative and a complement to traditional training methods in order to make course materials accessible to large audiences throughout India. It offers new teaching methodologies, specially designed course materials, evaluation tools, tailored means

of delivery, and greater accessibility. Teaching would take place in the virtual environment of the Institute's website. A network of tutors on the panel of ILI is available to guide the students. Students and teachers can interact as often as necessary during the course, because communication takes place through email.

Anyone who has access to computer and

the internet can benefit from the Institute's e-learning programme. The syllabus is divided into four components: (i) Patents; (ii) Copyright and Neighbouring Rights; (iii) Trademarks, Geographical Indications and Domain Names; (iv) Management of IPRs. The duration of the course is three months. During the period under report, the 47<sup>th</sup> to 49<sup>th</sup> Batches (three batches) were conducted and a total number of candidates enrolled were as under:

47 <sup>th</sup> Batch	42 candidates
48 <sup>th</sup> Batch	42 candidates
49 <sup>th</sup> Batch	47 candidates

Dr. Deepa Kharb, Assistant Professor was the Coordinator of the programme.

## (ii) Cyber Laws

On the lines of the e-learning course on IPR, an e-learning course of three months duration Cyber Law was introduced in the year 2008-2009. The syllabus is divided into four components: (i) Introduction to Cyber World; (ii) Legal Regime; (iii) Cyber Crime and (iv) E- Commerce and IPR in Cyber Law. During the period of the report, the 36<sup>th</sup> to 38<sup>th</sup> Batches (three batches) were conducted. The numbers of candidates enrolled for each batch were as under:

36 <sup>th</sup> Batch	68 candidates
37 <sup>th</sup> Batch	71 candidates
38 <sup>th</sup> Batch	85 candidates

Ms. Arya A. Kumar, Assistant Professor was the Coordinator of the programme.

## XIV. FACULTY ACTIVITIES

### Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha, Director, ILI

- Invited as the Guest of Honour to address the students in the Orientation Programme organised by LC II, Faculty of Law, New Delhi.
- Invited to deliver a lecture on "Research Methodology" to the Research scholars of Department of Law, organised by MD University, Rohtak on March 15, 2021.
- Invited as the Chief Guest to deliver key note address on "New Education Policy and Self Employment", organised by Swadeshi Atma Nirvhar Bharat, New Delhi on March 14, 2021.
- Invited as the Chief Guest to deliver Inaugural address on "Literature Epitomising Society & Justice" Knowledge Street, New Delhi on March 14, 2021.
- Invited as the Chief Guest to deliver

Inaugural address on "Role in New Education Policy 2020 Implementation: Awareness, Orientation, Challenges and Responses with special theme on Legal Education for Responsible Citizenship", organised by NITI Aayog, Bharatiya Shikshan Mandal & National Law School, Assam on March 13, 2014.

- Invited as the Moderator to a webinar on "Human Rights as the New Frontier to Legal Practice and Dispute Resolution –Trends Towards Accountability and Strategic Implications" Main speakers for the event were Ms. Cherie Blair and Mr. Adam Smith Anthony. It was organised by the Indian Society of International Law, March 09, 2021.
- Invited as the Guest of Honour to deliver a talk on "Violence Against Women and Girls With Physical Disabilities in India: Understanding the Issues and Promoting Legal Empowerment" in One day Webinar organised by Law Mantra Trust



- on the occasion of World Women's Day, March 08, 2021
- Delivered a talk on "Various Sources to Conduct Legal Research" to Ph.D. Research Scholars of Dharmashastra National Law University, Jabalpur, March 04, 2021.
  - Invited as a Chief Guest to Inaugurate the two-day virtual national conference on "Reforms in Intellectual Property Laws in India" organised by Maharashtra National Law School, Nagpur, February 27, 2021
  - Invited to deliver a special talk on "Climate Change and Human Rights: The Unexplored Terrains" organised by Alternative Approaches to International Law 2020-2021, February 27, 2021
  - Delivered a talk on "Human Rights: Issues and Challenges" to the probationers of Bihar Judicial Services, organised by the Bihar Judicial Academy, February 25, 2021.
  - Invited to deliver a talk on "International Human Rights" to the interns of the National Human Rights Commission of India, New Delhi, February 19, 2021.
  - Invited to deliver a talk on "Right to Health: Issues and Challenges" to the participants of Faculty Development Programme, organised by S.S. Khanna Girls' Degree College, University of Allahabad and Droit Penale Group, February 16, 2021
  - Invited to deliver a talk on "Refugee Laws- National and International Perspectives" organised by M/s Shyam Padman Associates, Kerala, on February 14, 2021.
  - Invited to deliver Dr. Zakir Hussain Memorial Public Lecture on "New Education Policy and Legal Education"
- New Delhi, January 30, 2021.
- Invited to deliver a talk on "Identification of Principal Foundations for Global Peace" in two days online international conference organised by the Institute of Objective Studies, New Delhi, January 23, 2021.
  - Invited to deliver a talk on "Protection of Human Rights of Women and Children: National and International Perspectives" in a webinar organised by Kannur University in collaboration with the National Human Rights Commission of India, January 15, 2021.
  - Delivered a talk on "How to write Doctoral Research Proposal" organised by Gujarat National Law University, Ahmedabad, January 11, 2021.
  - Invited to deliver a talk in a webinar on "Science and Technology and Development of Forestry" organised by Press Information Bureau, Guwahati, December 22, 2020.
  - Invited to address LL.B. and LL.M students in the induction programme, organised by Central University, Kashmir, December 21, 2020.
  - Invited to Chair a Session on International Human Rights, Humanitarian Law during Pandemic, 49<sup>th</sup> **Annual Conference of the Indian Society of International Law, New Delhi, December 19, 2020.**
  - Invited to address LL.M. students in the induction programme, organised by Shobhit University, Meerut, December 17, 2020.
  - Invited to address LL.M. students in the induction programme, organised by CUSAT, Kochi, December 17, 2020.
  - Invited as the Guest of Honour in a webinar on "Human Rights and Gender



- Justice” organised by Knowledge Steez, New Delhi, December 13, 2020.
- Invited as the Guest of Honour in a webinar on “Human Rights, Duties and Responsibilities” to commemorate International Human Rights Day, organised by Chanakya Law University, Patna, December 10, 2020.
  - Invited as the Guest of Honour in a webinar “Protection of Human Rights” to commemorate International Human Rights Day, organised by West Bengal Legal Services Authority, Kolkata, December 10, 2020.
  - Invited as the Guest of Honour in a webinar on “Constitutional Protection of Human Rights in India: Contemporary Issues and Challenges” to commemorate International Human Rights Day” organised by IP University, New Delhi, December 10, 2020.
  - Invited as the Guest of Honour in a webinar on International Human Rights Day” organised by DSNLU, Visakhapatnam, December 10, 2020.
  - Invited to deliver the key note address in an International webinar on “Vulnerable Groups & Human Rights” organised by Rabindra Bharati University, December 07, 2020.
  - Invited to deliver a talk on “Interface between Fundamental Rights and Fundamental Duties” to commemorate Constitution Day, organised by Law Society of Faculty of Law, AMU, Aligarh, November 26, 2020.
  - Invited to deliver a talk on “Emerging Issues on International Law”, IIT Law School, Kharagpur, November 22, 2020.
  - Invited to address LL.M. and Ph.D. students on the topic: “Find the Law in Law Library” organised by MNLU, Aurangabad, November 20, 2020.
  - Invited to deliver a talk on “Human Rights *vis-a-vis* Human Duties During Covid 19 Crisis”, organised by Constitutional Law Society, National Law School, Odisha, November 01, 2020.
  - Invited to deliver a Special talk on “Unity and Integrity of Nations” to celebrate the 70 years of National Unity on the occasion of the birth anniversary of Sardar Vallabh Patel, on October 31, 2020.
  - Invited to deliver a talk on “Refugee Law and Recent Challenges in Private International Law” organised by JIMS, Greater Noida, on October 26, 2020.
  - Invited to deliver a talk on “Legal Research Methodology” to LL.M. students via online medium, organised by Himachal Pradesh National Law University, Shimla, October 19, 2020.
  - Invited as Chief Guest to address the participants on “The Covid-19 and the Legal Profession- Challenges and Prospects” organised by St. Thomas’ College of Law, Greater Noida, October 18, 2020.
  - Invited to deliver a talk on Publication Ethics to the participants of 12-Days Capacity Development Programme on “Legal Research Methodology, Research and Publication Ethics” from October 16-28, 2020 via online medium, organised by Himachal Pradesh National Law University, Shimla, October 18, 2020.
  - Delivered a talk on “Indian Constitution and Human Rights” to the students of VIT-AP Law, Vijayawada, AP, October 14, 2020.
  - Invited to deliver the Keynote address in a webinar “Human Rights vis-a-vis



- Judiciary” organised by Connecting Governed Governing Governance (CG3) and Global Tribune, October 12, 2020.
- Invited to deliver the valedictory address in a webinar organised by Symbiosis Law School, Hyderabad in the memory of Prof. (Dr.) Shamnad Basheer on “Changing Dimensions of Intellectual Property for Development” October 11, 2020.
  - Delivered a talk on “Legal Research Paper Writing” organised by Galgotias University, October 10, 2020.
  - Invited to deliver a talk on “How to write a Research Paper”, to the students of Lloyd Law College, Greater Noida, October 04, 2020.
  - Invited to deliver a talk on “International Humanitarian Law” to the Interns of the National Human Rights Commission of India, September 16, 2020.
  - Invited to deliver a talk on “Right to Health Issues and Challenges” to the participants of webinar organised by HRDC, Pt. Ravishankar Shukla University, September 15, 2020
  - Participated as a Judge in the final round of Virtual Moot Court competition organised by Narsee Monjee Institute of Management Studies, Bangalore, September 13, 2020.
  - Invited to deliver couple of lectures on Human Rights to the participants of online Refresher programme, September 12 & 14, 2020.
  - Invited to deliver a talk on “Right to Health Issues and Challenges” to the participants of webinar organised by Gauhati University, September 11 2020.
  - Invited to deliver a talk on “Role of Regulatory Bodies in Legal Education” to the participants of Online Faculty Development Programme, Kishinchand Chellaram Law College, Mumbai, August 25, 2020.
  - Invited to deliver a talk on “Right to Health: Issues and Challenges” to the participants of Online Capacity Building Programme, organised by S.S.Khanna Girls’ Degree College, University of Allahabad and Droit Penale Group, August 22, 2020.
  - Invited to deliver a talk on “International Human Rights” to the interns of the National Human Rights Commission of India, organised by the National Human Rights Commission of India, New Delhi, August 18, 2020.
  - Invited to address Ph.D. students on “Types of Sampling” organised by the Maharashtra National Law School, Nagpur, August 16, 2020.
  - Invited as Chief Guest to inaugurate the webinar on “Child Rights and the Constitution of India” organised by Independent Thought, New Delhi, August 15, 2020.
  - Invited as Guest of Honour to participate in Justice V.R. Krishna Iyer Memorial Public Lecture on How Concurring Opinion Matter?” organised by Ronald Dwarkin Study Circle and Constitutional Law Society NLUO, Odisha, August 09, 2020.
  - Invited to deliver a lecture on “Right to Health: Issues and Challenges” to the participants of Seven day National Level Faculty Development programme in Public Law, organised by KSLU Hubli, Karnataka, August 08, 2020.
  - Invited to deliver a special lecture on “New Education Policy 2020” organised by the Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi, August



06,2020.

- Delivered a talk on “Rights of the Child as Human Rights” to the interns of the National Human Rights Commission of India, organised by the National Human Rights Commission of India, New Delhi, July 28,2020.
- Invited to Deliver a talk on “Importance of Fundamental Duties in day to day Life” organised by Legal Awareness and Literacy Committee (LALC), Amity Law School in association with Advocates Campaign for Thought Revolution, under the aegis AWGP, Shanti Kunj, Haridwar, July23’ 2020.
- Invited to deliver Valedictory address to the Participants of one week Faculty Development Programme on “Innovative Teaching Learning Methods & Research in Law: Challenges Ahead” organised by Department of Law, Sharda University, Greater Noida, July 18,2020.
- Invited to deliver a talk on “An Argument for Human Rights Clinic: A mode to have Experienced and Sensitized Professional” webinar Series cum FDP on ‘Thematic in Clinical Legal Education and Research’ organised by Himachal Pradesh National Law University, Shimla, July 16, 2020.
- Invited as Chief Guest to address the participants of International FDP on Clinical Legal Education 2020” organised by Indian Centre for Clinical Legal Education, New Delhi, July 12, 2020.
- Invited to speak on “Right to Health: National Perspectives” in a workshop on, “International Virtual workshop on “Protection of Human Rights During Pandemic” organised by Bangalore University, Bangalore, July10, 2020.
- Delivered a lecture on “Publications Ethics” to the Ph.D. scholar of Rajiv Gandhi National University of Law, July 5,2020
- Delivered a talk on “Covid 19 and Right to Health” to the participants of Faculty Development Programme, organised by ICAI university, Tripura, July 04,2020.
- Delivered a talk on “State Responsibility and International Law” to the students of the Adamas University, Kolkata, July 04, 2020.
- Invited as a Key Note speaker to talk on “Judicial Delays in Administration of Justice” organised by Kristu Jayanti College of Law, Bengaluru, July 03, 2020.
- Invited to deliver a special talk on “Right to Health: National and International Perspectives” organised by Legal Academia on June 27, 2020.
- Invited as chief guest to address the participants of the 1<sup>st</sup> **National Moot Court Competition organised by IMS, Noida on June 25, 2020.**
- Invited to address the participants of 1<sup>st</sup> **National Moot Court Competition organised by Legalfoxes, and JEMTEC in association with DLSA, New Delhi on June 22, 2020.**
- Invited to deliver a talk on “Right to Health and Responsibility of the State” to the participants of Webinar Series cum FDP on ‘Contemporary Issues of Law’ organised by School of Legal Studies, Cochin University of Science and Technology, Kerala on June 20, 2020.
- Invited as a Guest of Honour in the Inaugural function of International Webinar on , “Managing the Impact of Covid -19 on Higher Education Teaching Pedagogy: Accessibility, Affordability & Accountability Globally” organised by Jain Bundelkhand College of Law, Lalitpur on June 13, 2020.



- Invited to deliver a talk on June 11, 2020 on “International Law with Respect to Human Rights” to the participants of Webinar Series cum FDP on ‘Structured Experiential Learning on various on Practical Legal Arenas’ organised by ICFAI University, Dehradun from 6- 12, June 2020.
- Invited to deliver a talk on on June 2, 2020 on “Teaching Technique to teach International Human Rights Law in the present era” to the participants of Webinar Series cum FDP on Emerging Contours of Legal Education and Teaching Techniques organised by VIPS from 1-6, June, 2020.
- Invited to deliver a talk on May 30, 2020 on “Coping With the Transition in Legal Education during Covid-19: The Way Forward” to the participants of Webinar Series cum FDP, organised by North Cap University from May 30- June 2, 2020.
- Invited as a speaker in a Webinar to speak on “Covid- 19 in Today’s World: Challenges to the Protection of Fundamental Rights” organised by the Centre for Constitution and Public University Institute of Legal Studies, Panjab University on May 16, 2020.
- Delivered a talk on “International Human rights and Role of State in Protecting Right to Health”, organised by Christ University on May 8, 2020.

#### **Prof. (Dr.) S. Sivakumar, Senior Professor**

- Delivered Introductory Address in the ‘Commonwealth Comparative Constitution and Public Law South Asian Colloquium on Rights and Liberties in Pandemic- Constitutional Challenges and Judicial Response in South Asia’ on March 20, 2021 organised by Menon Institute of Advocacy Training (MILAT) in association with Commonwealth

Institute of Justice Education and Research (CIJER) at Lloyd Law College, Noida.

- Delivered a Lecture on ‘Regulation of the Print Media’ on March 02, 2021, in the Media Law & Ethics Certificate Programme organised by Government Law College, Thiruvananthapuram.
- Delivered a Lecture on ‘Media and Democracy: Trends and Challenges in India’ on February 25, 2021, organised by MCT College of Legal Studies, Malappuram, Kerala.
- Delivered Keynote Address in the inaugural session of ‘Media Law & Ethics Certificate Programme’ organised by Government Law College, Thiruvananthapuram on February 17, 2021.
- Was the Guest of Honour in a Webinar on “Human Rights Day Celebrations” organised by Common Wealth Legal Education Association (CLEA) & Llyod Law College, Noida on December 10, 2020.
- Was the Guest of Honour in a Webinar on “Human Rights Day” organised by Common Wealth Legal Education Association (CLEA), Asia & Mar Gregorios College of Law, Trivandrum on December 10, 2020.
- Addressed the Participants in a Webinar on “Constitution Day Celebrations” organised by Department of Law, Sri Venketeswara University, Tirupati, Andhra Pradesh on November 26, 2020.
- Addressed the Participants in a Webinar on “Constitution Day Programme” organised by School of Law, Hindustan Institute of Technology & Science, Tamil Nadu on November 26, 2020.
- Organised, chaired and addressed the

participants in a series of Webinars on 'Police System India Series' organised by the Menon Institute of Legal Advocacy Training (MILAT) along with the Indian Law Institute (ILI) and other premier legal institutions:

- o First Webinar on "Police System in Uttar Pradesh" on August 8, 2020.
- o Second Webinar on "Police System in Uttarakhand and Bihar" on August 22, 2020.
- o Third Webinar on "Police System in Maharashtra" on August 29, 2020.
- o Fourth Webinar on "Police System in Delhi and Central Police" on September 12, 2020.
- o Fifth Webinar on "Police System in Assam and Arunachal Pradesh" on September 16, 2020.
- o Sixth Webinar on "Police System in Tamil Nadu and Chattisgarh" on September 19, 2020.
- o Seventh Webinar on "Police System in Andhra Pradesh and Telengana" on September 23, 2020.
- o Eighth Webinar on "Police System in Laksha Deep, Himachal Pradesh and Kerala" on September 26, 2020.
- o Ninth Webinar on "Police System in Sikkim and Meghalaya" on September 30, 2020.
- o Tenth Webinar on "Police System in Mizoram, Punjab and Haryana" on October 2, 2020.
- o Eleventh webinar on "Police System in Karnataka and Gujrat" on October 3, 2020.
- o Twelfth Webinar on "Police System in Andaman, Jharkhand and Madhya Pradesh" on October 7, 2020.

- o Thirteenth Webinar on "Police System in Manipur and Nagaland" on October 10, 2020.
- o Fourteenth Webinar on "Police System in West Bengal, Jammu & Kashmir and Ladakh" on October 14, 2020.
- o Fifteenth Webinar on "Police System in Rajasthan, Odisha and Tripura" on October 17, 2020.
- o Sixteenth Webinar on "Central Bureau of Investigation (CBI) & National Investigation Agency (NIA)" on October 21, 2020.
- o Seventeenth Webinar on "Police System in Goa & Pondicherry" on October 28, 2020.

- Has participated in the 16<sup>th</sup> ALIN General Meeting and he was a Speaker in the International Conference on Laws for Fading Borders in Asia organised by Korean Legal Research Institute, Seoul, South Korea on virtual mode. He has presented a paper titled "Migration and Constitutionally Protected Class in India" on September 18, 2020.
- He was the chief speaker in the National Webinar organised by the Banaras Hindu University, Law School on "Law Relating to Pandemic and Health Services in India" on June 02, 2020.
- He also delivered a lecture on the topic "Prevention of sexual harassment at workplace, best practices and global norms international laws conventions and treaties etc. " in the Training cum Awareness Programme on " Sexual Harassment of Women at the Workplace – Prevention, Prohibition and Redressal" organized by Madurai Bench of Madras High Court, Madurai, at Tamil Nadu State Judicial Academy Regional centre, Madurai, on 29 February, 2020 and 1<sup>st</sup>



March, 2020.

- Delivered an introductory address in Fifth Prof. N. R. Madhava Menon SAARCLAW Mooting Competition, Law Students Conference & Colloquium 2019-20 organized by Lloyd Law College in association with SAARCLAW- South Asian Association for Regional Cooperation in Law and MILAT- Menon Institute of Legal Advocacy Training from 21-23 February, 2020. He has introduced the topic and spoke on the opening session of the Commonwealth Comparative Constitutional & Public Law (3CPL) Colloquium on “Public Law & Good Governance” on 22 & 23 February, 2020.

### Professor (Dr.) Anurag Deep

- Rule of law in the Haryana Institute of Public Administration, Gurugram on December 23, 2020.
- CRPF Academy, Gurugram on the topic Anti-Terror Laws and Human Rights; Anti-Terror Laws and Gender sensitisation on December 8, 12, 16, 2020. It was attended by many officers including DIGs.
- Law Review Consultation, for Northern Region by the National Commission of Women, in “Cyber Crime against Women – Do Indecent Representation of Women’s Act, Information Technology Act and Other Prevailing Laws Suffice” December 02, 2020.
- Addressed a synopsis presentation for Ph.D. students of Faculty of Law of Christ University, Noida on December 01, 2020.
- “Right To Health-Judicial Discourse” in Kerala Central University, three day seminar on “Legal and Judicial Perspectives of Healthcare Models” on November 30, 2020.
- Constitution day in the Integral University, Lucknow on November 26, 2020.
- One-day National webinar on “Gender-Based Violence in Digital Space” sponsored by National Commission for Women On “Cyber crimes against women” and organised by Maharaja Agrasen Institute of Management Studies (MAIMS), IPU, New Delhi on November 06, 2020.
- Chaired a technical session in Virtual National Conference 2020 on “Government Accountability and Transparency: A Global Perspective” Asian Law College (ALC) on October 17, 2020.
- Delivered Online Lectures on invitation as resource person for a webinar on “Narcotics Control Bureau and NDPS Act” conducted by Law Laboratory in collaboration with Court Kutchery on October 04, 2020.
- On invitation as research person, the following research work was prepared:
- For Criminal Law Reforms Committee (2020), a model amendment Bill in Cr.P.C. to incorporate the judicial direction in the *Armesh Kumar* Guidelines -October 10, 2020
- A study material for LL.M. course for Punjab University, Chandigarh on Interpretation of Statutes (Nov. 15) and *Mens Rea*, criminal law theme, December 10, 2020.
- On invitation, Anurag deep participated in following webinars as resource person
- Law Laboratory in collaboration with Court Kutchery organised a webinar on Digitalisation of Legal Research and Drafting on September 19, 2020.

- Refresher Course in LAW –” Current Challenging Legal Issues” September 07-19, 2020 by Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G). The topic for the lecture was “Covid -legislative measures,” (Sept 16) and “Judicial review -Current trends” on September 18, 2020.
- RMLNLU, Lucknow, and Government of UP jointly organised a webinar on “Prospects and Challenges in Multilingual Legal Education in the Perspective of New Education Policy 2020” on September 14, 2020.
- Law Department of VSSD College, Kanpur, National Webinar on *New Education Policy*, 2020 on September 8, 2020.
- Panel discussion on Conviction and Punishment of Prashant Bhushan contempt case, August 31 and “whether President Rule can be imposed in Maharashtra State” in Desh Manthan, Online News media channel on September 13, 2020.
- Webinar on Indo Pak Dialogue-How India and Pakistan can learn on educational issues, August 31, 2020.
- Five Days Virtual Legal Colloquium on ‘Changing Socio - legal Dynamics and State Responsibility amidst Covid- 19’- on the topic “Right to Health and lessons from COVID-19, Graphic Era Hill University, Dehradun, August 25, 2020.
- School of Environmental Sciences (SES) & Special Centre for Disaster Research (SCDR), JNU, New Delhi on the Role of Judiciary during Emergencies, July 14, 2 Five Days Online Programme On Legal Research Methodology, Faculty of Law, University of Lucknow, 6 July- 10 July 2020 on the topic “The Introduction of the Legal Research Methodology” on July 6, 2020.

### Professor (Dr.) Jyoti Dogra Sood

- Delivered a special lecture on “Criminology, Penology and Victimology” to the LL.M students of GLS University on March 05, 2021.
- Invited as a speaker in a *Child Rights Law Educational Webinar Series 2020* organized by Independent Thought on Sep.12, 2020, on the topic “Child in Conflict with Law: National and International Perspective”
- Chaired a technical session in national E seminar on “Access to Justice through Video-Conferencing-a way forward” on May 12, 2020 hosted by Delhi Legal Services Authority, New Delhi.
- Delivered a talk on the topic ‘Legal Aid for Children’ in a webinar “Challenges in Legal Aid during Lockdown and beyond” on May 01, 2020 hosted by Delhi Legal Services Authority, New Delhi.

### Dr. Deepa Kharb, Assistant Professor (SS)

#### Publications

- Paper titled “The Legal Conundrum over Regulation of Access and Benefit Sharing Obligations in Digital Sequence Information over Genetic Resources- Assessing Indian Position” published in Wiley’s *Journal of World Intellectual Property Law* in Volume 24, Issue 1-2, 2021.
- Publication of paper on “Cyber Law 2018” in the *ASIL* 2018.
- Paper titled “Sharing Genetic Resources Fairly between Nations” in SAGE’s *Medico Legal Journal*, 2021.
- Co-authored a chapter titled “Role of Intellectual Property Rights in Agriculture in Ensuring Food Security: An Indian Perspective” in book titled *Right to Food in South Asia*, Edited book





- by ACUMEN Publishers Utrecht, The Netherlands published in 2020.
- Co author of Paper titled “Right to Data Portability: A New Tool to Unlock Digital Competition?” published in *ILILR* Volume 2020 Issue 2.
- Cyber Law 2019 published in *ASIL* 2019 in 2020.

## XV. SUPERANNUATION

### Superannuation

Mr. R.Radhakrishnan, Senior Stenographer superannuated on 31.07.2020 after successfully serving the Indian Law Institute for almost 35 years.

## XVI. FORTHCOMING ACTIVITIES

### LL.M and PG Diploma Examinations

The examinations for PG Diploma courses will start in the month of July 2021 and the semester end LL.M examinations are scheduled to commence from September 2021.

### Publications on the Anvil

*Journal of the Indian Law Institute (JILI)*

Vol. 63 (2) (April-June 2021)

Vol. 63 (3) (July-Sep. 2021)

Vol. 63 (4) (Oct-Dec 2021)

Vol. 64 (1) (Jan-Mar 2022)

*ILI Newsletter*

Vol. XXIII No. 2 (April – June 2021)

Vol. XXIII No. 3 (July – Sept. 2021)

Vol. XXIII No. 4 (Oct. – Dec. 2021)

Vol. XXIV No. 1 (Jan. - March 2022)

Annual Survey of India Law – 2020

Index to Indian Legal Periodicals – 2018 & 2019

**Books:** Legal Research and Writing : New Perspectives



## Admissions

Admission process for Ph.D/LL.M./Post Graduate Diploma Courses (2021-2022 batches) will begin from July 1, 2021 onwards.

## Seminar / Training Programme

### Azadi ka Amrit Mahotsav: Celebration of 75<sup>th</sup> Anniversary of India's Independence

As a part of the initiative of 'Azadi ka Amrit Mahotsav' with its theme of celebration of the elixir of independence, the Institute will continue to organize various events through virtual mode commemorating the Indian independence movement in joint collaboration with the Ministry of Law and Justice, Government of India during the remaining part of the current financial year which are as follows:

Day, Date & Time	Name/ Theme of the Programme
Friday 16 <sup>th</sup> April, 2021 4.00 p.m.	Azadi ka Amrit Mahotsav : Conference on Communal Harmony and Gandhi Key Speaker : Prof. Sucheta Mahajan, JNU
Monday 9 <sup>th</sup> August, 2021 11.00 a.m.	Contemporary Development of Legal Education in India Key Speaker : Prof. N.L.Mitra, Former Vice Chancellor, National Law University, Bangalore & Jodhpur
Tuesday 10 <sup>th</sup> August, 2021 11.00 a.m.	Human Suffering, the Constitution and the Indian State : Reflections @75 Key Speaker : Prof. G. Mohan Gopal, Former Director, National Judicial Academy Bhopal & NLSIU, Bangalore/ Member, Academic Council, ILI
Wednesday 11 <sup>th</sup> August, 2021 3.00 p.m.	Indian Federal Structure and Cooperative Federalism Key Speaker : Prof. V. Vijayakumar, Vice Chancellor, National Law Institute University, Bhopal
Thursday 12 <sup>th</sup> August, 2021 11.00 a.m.	Constitutionalism and Democracy in India, Theory and Practise Key Speaker : Prof. (Dr.) M.P.Singh, Professor of Law, O.P.Jindal Global University
Friday 13 <sup>th</sup> August, 2021 2.00 p.m.	Working of the Constitution and Contemporary Challenges Key Speaker : Prof. P. S. Jaswal, Vice Chancellor, SRM University, Sonapat, Haryana
Thursday 19 <sup>th</sup> August, 2021 11.00 a.m.	The Progressive Unfolding of the Indian Constitution Key Speaker : Prof. Subir K. Bhatnagar, Vice Chancellor, RMLNLU, Lucknow
Tuesday 7 <sup>th</sup> September, 2021 3.00 p.m.	Judicial Activism Fundamental Rights and the Brazilian Supreme Court House Decisions during Covid – 19 Key Speaker : Prof. (Dr.) Deilton Ribeiro Brasil University of Ltauna, Minas Gerais, Brazil
Thursday 9 <sup>th</sup> September, 2021 11.00 a.m.	Law, Literature and Life Key Speaker : Prof. (Dr.) R.Venkata Rao Chairperson, VIIPS Former Vice Chancellor, NLSU, Bangalore





Saturday 25 <sup>th</sup> September, 2021, 11.00 a.m.	Thinking Constitutional Principles and Constitutional Cultures : The Tasks ahead Key Speaker : Prof. (Dr.) Upendra Baxi Emeritus Professor, University of Warwick
Thursday 30 <sup>th</sup> September, 2021 1.30 p.m.	The Limits of Liberty : Rights and Duties in the Indian Constitution Key Speaker : Prof. (Dr.) Viney Kapur Mehra, Vice Chancellor, Dr. B.R.Ambedkar National Law University, Sonapat
Tuesday 5 <sup>th</sup> October, 2021 5.00 p.m.	Human Rights in the Brazillian Supreme Court Achievements and Challenges Key Speaker : Prof. Jairo Meia Lima
Monday 11 <sup>th</sup> October, 2021 11.00 a.m.	Access to Justice : Sensitising Law Students to the Unmet Justice Needs of the Society Key Speaker : Prof. (Dr.) Ranbir Singh Former Vice Chancellors, NALSAR/ NLU
Wednesday 20 <sup>th</sup> October, 2021 11.00 a.m.	Environmental Rule of Law and Protection of the Environment Key Speaker : Prof. (Dr.) Satish C. Shastri, Dean of Faculty of Law, Modi Institute of Science & Technology, Sikar, Rajasthan
Tuesday 26 <sup>th</sup> October, 2021 11.00 a.m.	Gender Equality and Labour Laws in India Key Speaker : Prof. (Dr.) Manjula Batra Professor of Law, School of Law, NorthCap University, Gurgram
Sunday 31 <sup>st</sup> October, 2021 9.30 a.m.	National Unity Day & Contemporary Imperatives for Legal Research in India Key Speaker : Prof. (Dr.) M.Afzal Wani, Professor of Law & Dean, University School of Law and Legal Studies
Wednesday 3 <sup>rd</sup> November, 2021 3.30 p.m.	The Rights of the Indigenous and the Relationship with the Rights of Nature in the Inter-American court of Human Rights Key Speaker : Prof. Alek Valle Franco, Professor of Law, IAEN/PUCE University, Ecudeor
Monday 8 <sup>th</sup> November, 2021 Time : 11.00 a.m	Topic : Indian Philosophy Reflecting through the Constitution Key Speaker : Prof. (Dr.) A.P.Singh, Dean, GGS I.P. University
Tuesday 9 <sup>th</sup> November, 2021 Time : 11.00 a.m.	Topic : Victim Justice and Law Reforms in India Key Speaker : Prof. (Dr.) Nirmal Kanti Chakrabarti, Vice Chancellor, NUJS, Kolkata
Wednesday 10 <sup>th</sup> November, 2021 Time : 11.00 a.m.	Topic : Quest for Balanced Approach on Maintenance Laws in India Key Speaker : Prof. (Dr.) Vijender Kumar, Vice Chancellor, MNLU, Nagpur

Thursday 11 <sup>th</sup> November, 2021 Time : 11.00 a.m.	Topic : The Constitution in its 8 <sup>th</sup> Decade Key Speaker : Prof. (Dr.) Sudhir Krishnaswamy, Vice Chancellor, NLSIU, Bengaluru
Friday 12 <sup>th</sup> November, 2021 Time : 11.00 a.m.	Topic : Constitution and Composite Culture Key Speaker : Prof. (Dr.) S. Surya Prakash, Vice Chancellor, Sanjivayya National Law University, Visakhapatnam
Saturday 13 <sup>th</sup> November, 2021 Time : 11.00 a.m.	Topic : The Limits of Liberty : Rights and Duties in the Constitution Key Speaker : Prof. (Dr.) Dilip Ukey, Vice Chancellor, Maharashtra National Law University, Mumbai
Sunday 14 <sup>th</sup> November, 2021 Time : 11.00 a.m.	Topic : Cartographing IP Issues in Social Media Key Speaker : Prof. (Dr.) V. C. Vivekanandan, Vice Chancellor, HNLU
Friday 26 <sup>th</sup> November, 2021 Time : 9.15 a.m.	Topic : Indian Constitution : Living Document Key Speaker : Prof. (Dr.) T.V.Subba Rao, Emeritus Professor, VIPS

### Seminar/Conference/Training Programme /Workshop

The Institute shall organize series of Training Programmes in collaboration with National Human Rights Commission for Police Officers, Prison Officials, Media Personnel and Judicial Officers during the remaining period of financial year 2021-22.

### Proposed Infrastructure Development

The Institute is planning the following infrastructure & IT development work :

- Installation of Fire Fighting System and Solar Energy System

- Procurement of Storage Area Network (SAN) and its assisted Devices.
- Procurement of Video Conferencing System and PA System for Plenary Hall.
- Restructuring of Institute LAN and Wi-Fi Network.
- Procurement of Software's (Windows Server 2019, Windows 10 and MS Office 2019).
- Proposal for Procurement of Customised Campus Management Software.
- Restructuring and Upgradation of Institute Website.



## LIST OF GOVERNING COUNCIL MEMBERS OF ILI

### President

1. Hon'ble Mr. Justice S. A. Bobde  
Chief Justice of India  
Supreme Court of India  
New Delhi

### Vice President

2. Mr. Ravi Shankar Prasad  
Hon'ble Union Minister of Law & Justice  
Government of India  
Shastri Bhawan  
New Delhi

### Treasurer

3. Hon'ble Mr. Justice L. Nageswara Rao  
Judge,  
Supreme Court of India  
New Delhi

### Members

4. Hon'ble Mr. Justice Surya Kant  
Judge,  
Supreme Court of India  
New Delhi
5. Chairman,  
Law Commission of India  
New Delhi
6. Hon'ble Mr. Justice A.M.Sapre  
Former Judge  
Supreme Court of India
7. Attorney General for India  
Supreme Court  
New Delhi
8. Solicitor General of India  
Supreme Court  
New Delhi
9. Mr. Sanjay Jain  
Former Additional Solicitor General of India  
Supreme Court  
New Delhi



10. President  
Indian Society of International Law  
New Delhi
11. Secretary  
University & Higher Education  
Ministry of Human Resource Development  
Government of India  
New Delhi
12. Chairman  
University Grants Commission  
Bahadurshah Zafar Marg  
New Delhi
13. Prof. Ranbir Singh  
Former Vice Chancellor  
National Law University of Delhi
14. Prof. P. S. Jaswal  
Former Vice Chancellor  
National Law University  
Patiala  
Punjab
15. Mr. E.C.Agrawal  
Advocate  
Supreme Court of India  
New Delhi
16. Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
Director, ILI

### Secretary

17. Mr. Shreenibas Chandra Prusty  
Registrar, ILI



## MEMBERS – EXECUTIVE COMMITTEE

### President

1. Hon'ble Mr. Justice S. A. Bobde  
Chief Justice of India  
Supreme Court of India  
New Delhi

### Vice President

2. Mr. Ravi Shankar Prasad  
Hon'ble Union Minister of Law & Justice  
Government of India  
Shastri Bhawan  
New Delhi

### Treasurer

3. Hon'ble Mr. Justice L.Nageswara Rao  
Judge,  
Supreme Court of India  
New Delhi

### Members

4. Hon'ble Mr. Justice Sanjay Kishan Kaul  
Judge  
Supreme Court of India  
New Delhi
5. Secretary, Department of Legal Affairs  
Ministry of Law & Justice, Government of India  
New Delhi
6. Secretary, Department of Expenditure  
Ministry of Finance, Government of India  
New Delhi
7. Chairman - or nominee of Chairman  
University Grants Commission, New Delhi
8. Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
Director, ILI

### Secretary

9. Mr. Shreenibas Chandra Prusty  
Registrar, ILI-





## THE INDIAN LAW INSTITUTE, NEW DELHI (DEEMED UNIVERSITY)

### LIST OF MEMBERS – ACADEMIC COUNCIL

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Hon'ble Mr. Justice U. U. Lalit<br>Judge, Supreme Court of India  | Chairman  |
| 2. | Prof. G. Mohan Gopal<br>Former Director, NJA & NLSIU<br>Chairman, NCMS Committee<br>Supreme Court of India, New Delhi | Member    |
| 3. | Prof. Afzal M. Wani<br>Professor, GGSIP University  | Member    |
| 4. | Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha<br>Director, ILI  | Member    |
| 5. | Prof. (Dr.) S.Sivakumar<br>Senior Professor, ILI  | Member    |
| 6. | Prof. (Dr.) Jyoti Dogra Sood<br>Professor, ILI  | Member    |
| 7. | Dr. Deepa Kharb<br>Assistant Professor, ILI (SS)  | Member    |
| 8. | Mr. Shreenibas Chandra Prusty<br>Registrar, ILI   | Secretary |



## THE INDIAN LAW INSTITUTE, NEW DELHI

### LIST OF MEMBERS - FINANCE COMMITTEE

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Hon'ble Mr. Justice L. Nageswara Rao<br>Judge, Supreme Court of India | Chairman  |
| 2. | Nominee from Governing Council  | Member    |
| 3. | Secretary, Ministry of Law and Justice                                | Member    |
| 4. | Secretary Ministry of Finance   | Member    |
| 5. | A representative of the ,<br>University Grants Commission             | Member    |
| 6. | Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha<br>Director, ILI                        | Member    |
| 7. | Sh. Shreenibas Chandra Prusty<br>Registrar, ILI                       | Secretary |





# INDIAN LAW INSURANCE

## ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL YEAR 2020-21

**J. Lakshmi, Vaidyanath Aiyar & Co.**  
*Chartered Accountants*  
221-223 Deen Dayal Upadhyay Marg  
New Delhi-110 002

THAKUR, VAIDYANATH AIYAR & CO.  
Chartered Accountants  
New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai,  
Patna and Chandigarh

221-223, Deen Dayal  
Phones : 91-11-23236958-60, 23236959  
Fax : 91-11-23230831  
E-mail : tvande@rediffmail.com  
: tvandeca@gmail.com

### Independent Auditors' Report

To the Governing Council  
The Indian Law Institute

#### Report on the Audit of the Financial Statements

##### Opinion:

We have audited the accompanying financial statements of **The Indian Law Institute**, which comprise the Balance Sheet as at 31<sup>st</sup>, 2021, and the Statement of Income and Expenditure for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying financial statements of the Institute, read together with Accounting Policy and Notes to Accounts have been prepared in accordance with the applicable Laws, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the other accounting principles generally accepted in India.

##### Basis for Opinion:

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the organization in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

##### Responsibilities of Management for the Financial Statements:

Management of the Institute is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with applicable Laws and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statement that are free from material misstatement, whether due to fraud or error and that give a true and fair view of the financial position, financial performance in accordance with the





accounting principles generally accepted in India, including the applicable Accounting Standards. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operation, or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process.

#### **Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements:**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error and to issue an Auditor's Report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identified and assessed the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtained an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
- Evaluated the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Concluded on the appropriateness of management's uses of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exist related to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as going concern.
- We communicated with those charged with governance regarding, among other matter, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that way identified during our audit.



**Report on other Legal and Regulatory Requirements:**

- a. we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- b. in our opinion, proper books of account as required by relevant laws have been kept by the Institute
- c. so far as it appears from our examination of those books maintained by the Institute.
- d. the Balance Sheet and the Statement of Income and Expenditure, dealt with by this Report are in agreement with the books of account maintained by the Institute.
- e. in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards to the extent applicable.

For Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000038N



(Anil K. Thakur)  
Partner  
M. No.: 088722  
UDIN: 21088722AAAAABX6656

Place: New Delhi  
Date : 28<sup>th</sup> December, 2021





## THE INDIAN LAW INSTITUTE

Bhagwandas Road, New Delhi

**BALANCE SHEET as at 31st March, 2021**

	Schedule	As at 31.03.2021 (Rs.)	As at 31.03.2020 (Rs.)
<b>SOURCES OF FUNDS</b>			
Capital Assets Fund	1	10,52,629	14,32,153
General Fund	2	1144,50,120	1212,34,213
Plan Grant from UGC	3	267,50,264	308,66,527
Specific Funds	4	239,52,646	210,93,652
Current Liabilities	5	92,07,879	123,61,845
<b>TOTAL</b>		<b>1754,13,538</b>	<b>1869,88,390</b>
<b>APPLICATION OF FUNDS</b>			
<b>Fixed Assets</b>	6		
Gross Block		1243,13,209	1157,29,063
Less: Accumulated Depreciation		917,19,525	862,79,603
Net Block		325,93,684	294,49,260
Investments	7	1192,69,645	1251,17,772
Current Assets, Deposits and Advances	8	235,50,209	324,21,358
<b>TOTAL</b>		<b>1754,13,538</b>	<b>1869,88,390</b>

Significant Accounting Policies &amp; Notes to Accounts 19

Schedule Nos. 1 to 19 form an integral part of the Accounts

As per our report of even date attached  
for Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000038N

Anil K. Thakur  
(Partner)  
M.No.088722  
UDIN: 21038722AAAA6X6658

Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
(Director)

Shreenibas Chandra Prusty  
(Registrar)

Dr. A. K. Verma  
(Dy. Registrar)

Ashish Bawa  
(Accounts Officer)

Place: New Delhi  
Date: 28 DEC 2021





# THE INDIAN LAW INSTITUTE

Bhagwandas Road, New Delhi

## INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

	Schedule	Year Ended 31.03.2021 (Rs.)	Year Ended 31.03.2020 (Rs.)
<b>INCOME</b>			
Grant-in-aid	9	266,50,000	300,00,000
Rent	10	128,73,512	145,02,282
Fees	11	178,94,294	174,60,785
Interest	12	51,52,941	72,44,141
Sale of Journals and other publications	13	1,14,917	8,14,714
Miscellaneous Income	14	9,71,669	6,15,732
Closing Stock of Publication		23,75,464	16,79,023
<b>TOTAL (i)</b>		<b>660,32,797</b>	<b>723,16,677</b>
<b>EXPENDITURE</b>			
Salaries & Allowances	15	553,84,796	564,84,787
Administrative Expenses	16	111,89,265	127,22,315
Journal and Publication Expenses	17	22,69,937	22,12,842
Lectures, Seminars and Course Expenses	18	13,49,934	22,90,485
Depreciation on Fixed Assets	6	9,43,935	10,97,949
Opening Stock of Publication		16,79,023	14,68,409
<b>Total (ii)</b>		<b>726,16,890</b>	<b>762,76,787</b>
<b>Surplus/ (Deficit) for the year transferred to General Fund(i - ii)</b>		<b>(67,84,093)</b>	<b>(39,60,110)</b>

Significant Accounting Policies & Notes to Accounts 19

Schedule Nos. 1 to 19 form an integral part of the Accounts

As per our report of even date attached  
for Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000038N

*Anil K. Thakur*

Anil K. Thakur  
(Partner)

M.No.088722

UDIN: 21088722AAAA6X6658

*Manoj Kumar Sinha*

Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
(Director)

*Shreenibas Chandra Prusty*

Shreenibas Chandra Prusty  
(Registrar)

*Dr. A.K. Verma*

Dr. A.K. Verma  
(Dy. Registrar)

*Ashish Bawa*

Ashish Bawa  
(Accounts Officer)

Place: New Delhi  
Date: 28 DEC 2021







## THE INDIAN LAW INSTITUTE

Bhagwandas Road, New Delhi

**RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2021**

		Year Ended 31.03.2021 (Rs.)	(Rs.)	Year Ended 31.03.2020 (Rs.)
<b>RECEIPT</b>				
Opening Balances:				
Cash in hand	9,672		10,935	
Cash at Bank	125,08,957	125,18,629	189,26,515	189,37,450
Grant-in-aid from Ministry of Law & Justice		266,50,000		300,00,000
Grant from UGC		-		-
Rent		128,73,512		39,01,747
Fees		142,11,469		138,38,785
Interest		2,85,748		4,60,670
Sale of Journals and other publications		1,14,917		8,14,714
Miscellaneous Income		3,34,321		1,28,016
Specified Funds		3,37,709		3,26,204
Current Liabilities		60,24,309		67,25,030
Project Grants		-		2,95,400
Investments		307,51,066		244,95,136
Current Assets, Deposits and Advances		55,66,935		161,02,494
<b>TOTAL</b>		<b>1096,68,605</b>		<b>1160,25,646</b>
<b>PAYMENT</b>				
Salaries & Allowances		403,85,063		409,27,165
Administrative Expenses		124,44,984		111,74,193
Journal and Publication Expenses		15,39,877		24,82,365
Lectures, Seminars and Course Expenses		11,40,952		17,99,361
Grant from UGC		-		-
Project Grants		-		6,40,876
Current Liabilities		224,96,418		192,15,727
Fixed Assets		6,98,323		13,40,554
Investments		178,00,000		200,00,000
Current Assets, Deposits and Advances		18,84,153		59,26,776
Closing Balances:				
Cash in hand	8,950		9,672	
Cash at Bank	112,69,875	112,78,825	125,08,957	125,18,629
<b>TOTAL</b>		<b>1096,68,605</b>		<b>1160,25,646</b>

for Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co.  
Chartered Accountants  
FRN: 000038N

Anil K. Thakur  
(Partner)

M.No.088722

UDIN: 21088722AAAA Bx 6658

Place: New Delhi

Date: 28 DEC 2021



Prof. (Dr.) Manoj Kumar Sinha  
(Director)

Shreenibas Chandra Prusty  
(Registrar)

Dr. A. K. Verma  
(Dy. Registrar)

Ashish Bawa  
(Accounts Officer)



	As At 31.03.2021	As At 31.03.2020
<b>SCHEDULE - 1</b>		
<b>CAPITAL ASSETS FUND</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
Balance as on 01.04.2020	14,32,153	18,70,826
Less: Assets written off during the year	-	-
	14,32,153	18,70,826
Less: Transferred to Accumulated Depreciation	3,79,524	4,38,673
	<b>10,52,629</b>	<b>14,32,153</b>

	As At 31.03.2021	As At 31.03.2020
<b>SCHEDULE - 2</b>		
<b>GENERAL FUND</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
Balance as on 01.04.2020	1212,34,213	1251,94,323
Add: Amount transferred from Income & Expenditure Account	(67,84,093)	(39,60,110)
	<b>1144,50,120</b>	<b>1212,34,213</b>

	As At 31.03.2021	As At 31.03.2020
<b>SCHEDULE - 3</b>		
<b>PLAN GRANT FROM UGC</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
Balance as on 01.04.2020	308,66,527	347,66,837
ADD: Grant received during the year	-	-
ADD: Interest on unutilized Grant	-	-
LESS: Plan Expenditure incurred during the year		
- Payment to Guest Faculty	-	-
- Digitization of Publications	-	-
- Meeting & Seminar Expenses	-	-
- Repair & Maintenance Expenses	-	-
- Subscription of Online Journals/Database	-	-
- Depreciation on Fixed Assets (Plan)	41,16,263	39,00,310
	<b>** 267,50,264</b>	<b>** 308,66,527</b>

<b>**</b>		
Represented by:		
Balance in Fixed Assets (Net Book Value)	263,53,894	225,84,324
Advances (Refer Schedule 9-E)	5,31,329	84,17,152
Balance Available invested in FDRs (Excess amount spent)	(1,34,949)	(1,34,949)
	<b>267,50,264</b>	<b>308,66,527</b>



<b>SCHEDULE - 4</b>	<b>As At</b>	<b>As At</b>
<b>SPECIFIED FUNDS</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2020</b>
	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
<b>Life Membership Fund</b>		
Balance as on 01.04.2020	168,74,781	154,21,981
Add: Interest/ Dividend on the investment of the fund	10,64,926	11,26,596
Add: Fee received during the year	15,23,750	3,26,204
<b>Sub-Total (A)</b>	<b>194,63,457</b>	<b>168,74,781</b>
<b>Sulakhna Devi Fund</b>		
Balance as on 01.04.2020	5,93,951	5,54,678
Add: Interest for the year on the investment of the fund	36,542	39,273
<b>Sub-Total (B)</b>	<b>6,30,493</b>	<b>5,93,951</b>
<b>Gold Medal Fund</b>		
Balance as on 01.04.2020	36,24,920	33,79,031
Add: Interest for the year on the investment of the fund	2,33,776	2,45,889
<b>Sub-Total (C)</b>	<b>38,58,696</b>	<b>36,24,920</b>
<b>Grand Total (A+B+C)</b>	<b>239,52,646</b>	<b>210,93,652</b>

<b>SCHEDULE - 5</b>	<b>As At</b>	<b>As At</b>
<b>CURRENT LIABILITIES</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2020</b>
	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
Expenses Payable	63,43,763	64,83,642
Security Deposit	16,10,186	16,44,908
Earnest Money Deposit	1,31,500	1,36,500
Output GST	2,48,040	-
Other Liabilities	8,74,390	20,96,795
	<b>92,07,879</b>	<b>123,61,845</b>



**Annexure A.4**

**FIXED ASSETS**

Particulars	Rate of Dep.	FY 2019-20					FY 2018-19					FY 2017-18				
		As on 31.03.2020	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017	As on 31.03.2016	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
		UGS PWD Share (Rs.)	Other Share (Rs.)	UGS PWD Share (Rs.)	Other Share (Rs.)	UGS PWD Share (Rs.)	UGS PWD Share (Rs.)	Other Share (Rs.)	UGS PWD Share (Rs.)	Other Share (Rs.)	UGS PWD Share (Rs.)	UGS PWD Share (Rs.)	Other Share (Rs.)	UGS PWD Share (Rs.)	Other Share (Rs.)	UGS PWD Share (Rs.)
Landhold Land		-	87,894	-	87,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Building	10%	185,12,838	85,13,771	206,86,047	83,04,170	28,97,872	14,63,199	2,11,810	19,27,289	32,48,282	121,88,888	-	87,894	-	87,894	-
Approach Road	10%	-	8,800	-	8,800	3,257	-	174	-	3,431	-	-	22,54,400	118,48,666	25,18,208	-
Technical Equipments	10%	97,08,883	20,00,884	143,00,495	37,38,830	17,88,172	13,77,090	9,08,832	19,73,880	18,78,654	73,38,815	-	8,22,280	-	3,32,210	-
Furniture & Fixtures	10%	88,87,810	14,88,834	88,87,810	15,17,843	8,12,214	4,83,852	79,481	47,22,118	8,82,757	87,78,834	-	8,84,333	48,39,308	8,84,420	-
Office Equipments	10%	8,88,264	18,30,732	8,88,264	19,20,792	12,47,289	17,470	1,22,420	4,81,887	13,44,796	87,287	-	8,88,340	1,14,487	8,88,488	-
Library Books	40%	171,11,888	273,48,288	171,11,888	273,48,288	281,43,123	4,38,311	8,88,311	184,31,493	287,18,884	8,84,488	-	10,27,288	11,48,777	11,48,148	-
Computers	40%	88,87,810	78,88,272	88,87,810	78,88,272	74,74,871	3,38,217	1,13,536	88,21,182	78,88,272	3,38,217	-	2,87,703	8,88,344	1,84,438	-
Library Equipments	15%	25,18,428	24,78,878	25,18,428	24,78,878	18,88,288	79,879	79,879	20,73,177	20,56,838	4,45,281	-	8,19,288	3,23,838	4,82,888	-
Sports Equipments	10%	-	28,818	-	28,818	18,879	-	884	-	18,879	-	-	8,840	-	8,840	-
Staff Car	15%	-	8,18,888	-	8,18,888	4,13,872	-	18,288	-	4,28,818	-	-	88,181	-	1,11,388	-
<b>Total (A)</b>		<b>485,13,871</b>	<b>485,13,871</b>	<b>71,18,871</b>	<b>485,13,871</b>	<b>485,13,871</b>	<b>485,13,871</b>	<b>485,13,871</b>	<b>485,13,871</b>	<b>485,13,871</b>	<b>485,13,871</b>	<b>485,13,871</b>	<b>485,13,871</b>	<b>485,13,871</b>	<b>485,13,871</b>	<b>485,13,871</b>
Fixed Assets at Director's Residence																
Technical Equipments	10%	-	2,28,888	-	2,28,888	2,28,888	-	8,742	-	2,28,888	-	-	88,287	-	88,287	-
Furniture & Fixtures	10%	22,888	4,83,888	22,888	4,83,888	2,88,427	788	18,816	18,713	3,12,242	7,888	-	1,42,338	7,888	1,42,338	-
Office Equipments	10%	-	38,788	-	38,788	24,788	-	888	-	24,788	-	-	8,148	-	8,148	-
Computers	40%	-	1,08,111	-	1,08,111	1,08,111	-	18,879	-	1,08,111	-	-	23	-	23	-
<b>Total (B)</b>		<b>22,888</b>	<b>5,20,586</b>	<b>22,888</b>	<b>5,20,586</b>	<b>5,20,586</b>	<b>22,888</b>	<b>22,888</b>	<b>22,888</b>	<b>22,888</b>	<b>22,888</b>	<b>22,888</b>	<b>22,888</b>	<b>22,888</b>	<b>22,888</b>	<b>22,888</b>
<b>TOTAL COST (A+B)</b>		<b>508,06,759</b>	<b>530,34,457</b>	<b>73,41,759</b>	<b>530,34,457</b>	<b>530,34,457</b>	<b>508,06,759</b>	<b>508,06,759</b>	<b>508,06,759</b>	<b>508,06,759</b>	<b>508,06,759</b>	<b>508,06,759</b>	<b>508,06,759</b>	<b>508,06,759</b>	<b>508,06,759</b>	<b>508,06,759</b>



**SCHEDULE - 7**  
**INVESTMENTS**

Name of the Fund	With Scheduled Banks			With UTI	Total	
	Canara Bank (Rs.)	Uco Bank (Rs.)	Bank of Baroda (Rs.)		As at 31.03.2021 (Rs.)	As at 31.03.2020 (Rs.)
<b>(a) General Fund</b>						
In Fixed Deposits	-	644,04,888	294,49,370	-	938,54,258	1030,05,005
<b>(b) Specified Funds</b>						
Life Membership Fund	-	203,87,971	-	3,00,300	206,88,271	176,70,511
Sulakhna Devi Fund	1,25,836	5,15,731	-	-	6,41,567	6,02,449
Gold Medal Fund	-	40,85,549	-	-	40,85,549	38,39,807
<b>TOTAL</b>	<b>1,25,836</b>	<b>893,94,139</b>		<b>3,00,300</b>	<b>1192,69,645</b>	<b>1251,17,772</b>





<b>SCHEDULE - 8</b>		<b>As At</b>	<b>As At</b>
<b>CURRENT ASSETS, DEPOSITS &amp; ADVANCES</b>		<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2020</b>
		<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
<b>(A) CASH AND BANK BALANCES</b>			
Cash in Hand		2,315	4,300
Postage Imprest		6,635	5,372
<u>Saving Bank Accounts:</u>			
Uco Bank A/c No.9792		2,18,152	19,91,099
Uco Bank A/c No.257038		109,07,254	74,39,373
Bank of Baroda A/c No.13830100006557		1,33,320	30,74,611
Canara Bank A/c No.2417101021884		-	1,000
Uco Bank A/c No.88227		11,149	2,874
		<b>112,78,825</b>	<b>125,18,629</b>
<b>(B) CLOSING STOCK OF PUBLICATIONS</b>			
		<b>23,75,464</b>	<b>16,79,023</b>
<b>(C) INTEREST ACCRUED ON INVESTMENT</b>			
General Fund		13,46,155	21,24,087
Sulkhana Devi Fund		11,409	13,985
Life Membership Fund		3,33,985	4,89,528
Gold Medal Fund		53,737	65,703
		<b>17,45,286</b>	<b>26,93,303</b>
<b>(D) AMOUNTS RECEIVABLE</b>			
Ministry of Law & Justice		38,99,163	42,08,034
Ministry of External Affairs		-	1,19,635
Ministry of Finance		-	2,57,298
National Human Rights Commission		2,53,898	1,78,873
Project Grant Receivable		75,149	4,07,266
Interest Receivable		44,816	38,965
Input Tax Credit (ITC)		2,27,251	34,965
Tax Deducted At Source (GST)		-	12,920
TDS Recoverable		11,95,763	11,90,934
Electricity charges from Staff		-	912
Canteen Contractor		-	11,221
		<b>56,95,840</b>	<b>64,61,023</b>
<b>(E) DEPOSITS AND ADVANCES</b>			
Advances to CPWD			
Plan Funds	5,31,329		84,17,152
Non-Plan Funds	31,919	5,63,248	31,919
			84,49,071
Advances to Staff		1,500	24,404
Advances to Others			
Plan Funds	-	-	-
Non-Plan Funds	3,500	3,500	3,500
Deposits		60,000	60,670
Prepaid Expenses		18,26,546	5,31,735
		<b>24,54,794</b>	<b>90,69,380</b>
<b>GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)</b>		<b>235,50,209</b>	<b>324,21,358</b>





	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2021</u>	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2020</u>
<b>Schedule - 9</b>		
<b>Grant-in-aid</b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 Grant received from M/o Law & Justice	266,50,000	300,00,000
	266,50,000	300,00,000

<b>Schedule - 10</b>		
<b>Rental Income</b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 O/L Wing - M/o Law & Justice	51,19,320	51,19,320
2 Cental Agencies - M/o Law & Justice	77,52,192	77,52,192
3 Canteen	-	1,84,042
4 Annexe & Meeting Rooms	2,000	14,46,728
	128,73,512	145,02,282

<b>Schedule - 11</b>		
<b>Fees &amp; Subscription</b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 PG Diploma Courses	74,75,358	73,18,175
2 LL.M. Course	36,07,717	32,30,750
3 Ph.D. Course	4,15,000	3,61,000
4 Admission Process Fee (Diploma/ LL.M/ Ph.D.)	35,92,500	36,22,000
4 Online IPR Course	9,86,700	8,60,350
5 Online Cyber Law Course	16,50,500	17,84,150
6 Library Fees	2,765	74,272
7 Recruitment Application Fee	-	87,041
8 Membership Fee - Ordinary Members	1,63,754	1,23,047
	178,94,294	174,60,785

	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2021</u>	<u>Year Ended</u> <u>31.03.2020</u>
<b>Schedule - 12</b>		
<b>Interest Received</b>		
<u>S.No.</u>	<u>(Rs.)</u>	<u>(Rs.)</u>
1 Interest on General Fund Investments	48,22,377	67,44,505
2 Interest on Saving Bank Accounts	3,30,564	4,99,636
	51,52,941	72,44,141



### Schedule - 13

#### Sale of Journal & Other Publication

S.No.	(Rs.)	(Rs.)
1 Annual Survey	29,500	1,20,620
2 Journal Income	55,888	5,42,917
3 Publication Income	29,509	1,51,037
4 Newsletter Income	20	140
	1,14,917	8,14,714

### Schedule - 14

#### Miscellaneous Income

S.No.	(Rs.)	(Rs.)
1 Photostat/ Computer Printing Charges	2,405	83,869
2 Royalty	3,467	17,924
3 Project Administration Charges	-	4,86,944
4 Diploma Certificate Charges	600	12,000
5 Membership I-Card Charges	800	6,180
6 Others	9,64,397	8,815
	9,71,669	6,15,732

### Schedule - 15

#### Salaries & Allowances

S.No.	(Rs.)	(Rs.)
1 Salaries & Allowances	459,16,176	461,07,221
2 Contribution to Provident Fund	45,44,933	45,84,025
3 Gratuity Expenses paid to LIC	5,73,739	22,72,197
4 Leave Encashment Expenses paid to LIC	12,68,066	10,01,420
5 Leave Encashment with LTC	1,98,978	50,000
6 DA Arrears	-	4,62,478
7 LTC /HTC Expenses	7,93,350	77,222
8 Group Mediclaim Premium	9,80,304	8,37,465
9 Medical Expenses	-	3,059
10 Honorarium to Staff	56,250	9,700
11 Children Education Allowance	10,53,000	10,80,000
	553,84,796	564,84,787



**Schedule - 16****Administrative Expenses**

<b>S.No.</b>	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
1 Travelling & Conveyance	1,15,923	2,31,746
2 Security Services	25,17,696	25,77,718
3 Housekeeping and Outsourcing Expenses	40,62,348	33,33,413
4 Electricity & Water	10,29,342	21,31,001
5 Telephone & Fax	1,00,321	1,04,880
6 Photostat, Printing & Stationary	2,46,968	5,79,611
7 Postage & Stamps	1,41,755	1,56,986
8 Insurance	3,25,366	2,97,830
9 Refreshment	78,490	1,05,187
10 Statutory Auditor's Remuneration	60,000	60,000
11 Internal Auditors's Remuneration	2,30,000	2,30,000
12 Legal & Professional	20,000	26,800
13 Membership & Subscription	93,660	86,580
14 Repair & Maintenance	14,62,910	18,33,684
15 Liveries to Staff	60,000	60,000
16 Staff Car Expenses	15,767	58,771
17 Newspaper Reimbursement Expenses	1,62,100	1,62,150
18 Telephone Reimbursement Expenses	1,16,908	1,29,036
19 Recruitment Expenses	44,961	2,82,428
20 Staff Training Expenses	26,600	84,179
21 Library Book Binding Charges	22,360	36,805
22 Miscellaneous	2,55,790	1,53,510
	<b>111,89,265</b>	<b>127,22,315</b>

**Year Ended**  
**31.03.2021**

**Year Ended**  
**31.03.2020**

**Schedule - 17****Journal/ Publication Expenses**

<b>S.No.</b>	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
1 Journal Expenses	4,86,368	4,37,422
2 Publication/ Annual Survey/ Digitization Expenses	3,91,793	5,41,418
3 Newsletter Expenses	1,72,707	1,23,153
4 Subscription of Journals/ Database	12,19,069	11,10,849
	<b>22,69,937</b>	<b>22,12,842</b>



## Schedule - 18

Lecture, Seminar & Course Expenses

S.No.	(Rs.)	(Rs.)
1 Diploma Course Expenses	5,71,239	9,64,437
2 Ph.D. Expenses	1,05,025	63,000
3 LLM Course Expenses	3,65,775	5,78,034
4 Online IPR Course	24,000	24,000
5 Online Cyber Law Course	24,000	24,000
6 Meeting & Seminar Expenses	2,29,895	5,37,014
7 Scholarship	30,000	1,00,000
	13,49,934	22,90,485



## THE INDIAN LAW INSTITUTE

### SCHEDULE – 19

#### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

##### (A) **Accounting Convention:**

- i. These Financial Statements have been prepared on going concern concept on accrual basis under historical cost convention, and are in compliance with generally accepted accounting principles and the applicable Accounting Standards.
- ii. The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles in India requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures of contingent liabilities at the date of the financial statements and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Differences between the actual results and estimates are recognized in the year in which results are known materialized.

##### (B) **ACCOUNTING POLICIES**

1.
  - (a) Income from Grants for Specific Projects is accounted for to the extent expenses for the projects are incurred. However, unspent amount of grant is appropriated as income on completion of the projects unless the unspent amount is refundable. Other grants are accounted for as income on receipt basis.
  - (b) Amount overspent, in case of a project, is shown as recoverable.
  - (c) Income from Fees, Annex Rent and Rent from halls is accounted for on cash basis. However, fee received in advance is carried forward to be adjusted in future.
  - (d) Journals purchased for the library and Ordinary Membership Subscription received during the year is accounted for on cash basis.
  - (e) Other items of Income and Expenditure Account of the Institute are accounted for on accrual basis.
  - (f) Interest in investments relating to specified funds is credited to the respective funds.
  - (g) Gratuity and Leave Encashment policies have been taken from Life Insurance Corporation of India and the annual contributions are accounted for as expense, in the relevant year.
  - (h) Life Membership fees and Ordinary Membership fees received and pending for grant of membership is treated as liability.
2.
  - (a) Depreciation was not provided on Fixed Assets upto 31.03.2010 and an amount equal to the cost of fixed assets acquired during the year was appropriated out of surplus for the year and credited to Capital Assets Fund. However, as per the decision of the Executive Committee, annual depreciation was since been calculated on Fixed Assets of the Institute as per the rates prescribed in the Income Tax Act, 1961 for the year ended 31<sup>st</sup> March 2011. As decided, annual depreciation on Fixed Assets procured prior to 31.3.2010 amounting to Rs.2,30,74,958 is being adjusted against the Capital Assets Fund and the same practice will be followed till the Assets are fully depreciated and Capital Assets Fund is exhausted.





(b) Assets acquired out of one time UGC Grant have also been capitalised as Fixed Assets. Depreciation on Fixed Assets procured out of Plan Grant received from UGC is adjusted against 'Plan Grant from UGC' (Refer Schedule-3).

3. Cost of Library Books and other publications intended to be kept as reference material in the library is capitalized.
4. The cost of books and Annual Survey published after 1.4.2004 and remaining unsold at the year-end is included in the Closing Stock of Publications.

(C) **NOTES TO ACCOUNTS**


1. The Indian Law Institute is registered u/s 12A of the Income Tax Act 1961, vide letter no. JE-3(34)/62/8250 dated 9<sup>th</sup> July 1974 issued by the office of The Commissioner of Income Tax, New Delhi.
2. The Institute is approved u/s 10(23C)(vi)(via) of the Income Tax Act 1961 vide Order No. F.No. DGIT(E)/10(23C)(VI)/2010-11/1579 dated 29<sup>th</sup> March 2011 issued by Director General of Income Tax(Exemption), Ministry of Finance, Government of India.

Further the Institute is also approved u/s 35(I)(iii) of the Income Tax Act 1961 vide Letter No. F.No.203/75/2009/ITA-II dated 28<sup>th</sup> January 2010 through Notification No. 5/2010.

3. Demand for Property Tax raised by New Delhi Municipal Council (NDMC) amounting Rs.4,55,89,578/- for the years 2001-2002 to 2020-21 are contested by the Institute, in Delhi High Court including Rs.23,13,750/- for the year 2020-21. No provision has been made on this account in Income & Expenditure Account, hence there is Contingent Liability for the same.
4. The Institute has taken Insurance policy for Leave Encashment and Group Gratuity from Life Insurance Corporation of India. The contributions made and/ or amount determined to be payable to the respective funds are accounted for as an expense.
5. The GST is applicable on the Rental Income and membership subscription of the Institute and accordingly the Institute got registered with the GST Department on 28<sup>th</sup> May, 2019. The Institute started to charge GST on its rental services and membership subscription with effect from July 2019 onwards and accordingly thereafter started to deposit the GST and file GST Returns on monthly basis as per the provisions of the GST Act.
6. As on 31.03.2021, a sum of Rs.5,31,329 (Plan Funds) and Rs.31,919 (Non-Plan Funds) is appearing as Advance given to CPWD by the Institute for renovation of building.
7. Management has assessed the impact of COVID-19 on its Financials and there is no material impact on the same.
8. Previous year's figures have been rearranged/ regrouped wherever necessary.

  
(Prof. (Dr.) Mahoj Kumar Sinha)  
Director

  
(Shreenibas Chandra Prusty)  
Registrar

  
(Dr. A. K. Verma)  
Dy. Registrar

  
(Ashish Bawa)  
Accounts Officer

Place: New Delhi  
Date : 28 DEC 2021





---

# 64वीं वार्षिक रिपोर्ट (2020-2021)



## भारतीय विधि संस्थान

(मानित विश्वविद्यालय)

भगवान दास रोड, नई दिल्ली - 110001

01-04-2020 से 31-03-2021

फोन : 23387526, 23382190

23386321, 23389429

फैक्स : 011 - 23386321/23782140

ई-मेल : [ili@ili.ac.in](mailto:ili@ili.ac.in)

वेबसाइट : <http://www.ili.ac.in>

---



## I. भारतीय विधि संस्थान

### संस्थान

मुख्यतः कानूनी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में भारतीय विधि संस्थान (आई. एल. आई.) की स्थापना की गई थी। कई वर्षों से अग्रणी न्यायविदों के प्रयासों के परिणामस्वरूप इसकी स्थापना की गई थी। यह सामान्योक्ति है कि बेहतर कानूनी व्यवस्था लोकतांत्रिक समाज का आधार है क्योंकि कानून एक ऐसा प्रमुख साधन है जिससे समाज समृद्ध और विकसित हो सकता है। राष्ट्रीय विधि अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के कई महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, कानून के रूप में विधिक अनुसंधान को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी क्योंकि भारत में स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद विधिक अनुसंधान और विधिक शिक्षा उपेक्षित क्षेत्र थे। दूसरा, सतत संस्थागत अनुसंधान की आवश्यकता थी जिसमें ऐसी परियोजनाओं को शामिल करना आवश्यक था जिसमें क्षेत्र अध्ययनों और सामूहिक विचार अपेक्षित था। तीसरा, विधिक व्यवसाय की भिन्न-भिन्न शाखाओं को एक ही मंच पर लाना अनिवार्य था जैसे न्यायाधीश, वकील और विधि के अध्यापक ताकि समाज में कानून के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित किया जा सके।

संस्थान के उद्देश्यों में विधि विज्ञान का पोषण करना, भारत के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून में विकसित अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, कानून व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, कानूनी और संबद्ध क्षेत्रों में जांच-कार्य को प्रोत्साहित करना एवं संचालन करना, कानूनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, कानूनी संबंधी अनुदेश देना और अध्ययन सामग्री, पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं आदि प्रकाशित करना शामिल हैं।

संस्थान, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वायत्त निकाय है। संस्थान की स्वायत्ता और उसकी स्वतंत्रता उसके उद्देश्यों और सार्थक अनुसंधान कार्य करने के लिए अपेक्षित शैक्षणिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। संस्थान को

निधि मुख्यतः भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय से और सदस्यता शुल्क से तथा प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त होती है। वर्तमान में, कानूनी अध्ययन और कानून के संवर्धन में रुचि लेने वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे संस्थान के सदस्यों की संख्या लगभग तीन हजार चार सौ बत्तीस है।

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश संस्थान के पदेन अध्यक्ष हैं। भारत सरकार के कानून मंत्री और भारत के अटर्नी जनरल इसके पदेन उपाध्यक्ष हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वकील, सरकारी अधिकारी, कुलपति, विधि के संकायाध्यक्ष और प्रोफेसर संस्थान की शासी परिषद के सदस्य हैं।

### मानित विश्वविद्यालय

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तारीख 29-10-2004 की अधिसूचना सं. एफ9-9/2001-यू.3 के द्वारा वर्ष 2004 में भारतीय विधि संस्थान को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। संस्थान को एनएएसी द्वारा मार्च, 2017 में 'ए' ग्रेड (4.00 में से 3.35 सीजीपीए) के साथ प्रत्यायित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए दौर और पुनर्विलोकन के पश्चात्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जून, 2018 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के अधीन भारतीय विधि संस्थान के समावेश को अनुमोदित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय विधि संस्थान को प्राप्तांक प्रत्यायित के आधार पर ग्रेड 2 की स्वायत्तता प्रदान की गई थी।

वर्ष 2004 में भारतीय विधि संस्थान को मानित विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा के बाद संस्थान ने अनुसंधान-परक एलएल.एम.-2 वर्षीय (पूर्णकालिक) तथा पीएच.डी कार्यक्रम शुरू किए। वर्ष 2009-2010 में संस्थान ने एलएल.एम.-3 वर्षीय (सायंकालीन) कार्यक्रम शुरू किया। संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2013-2014 के लिए फ्लैगशिप एलएल.एम - 1 वर्ष

(पूर्णकालिक) कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम को इस रूप में तैयार किया गया है कि विद्यार्थी संपूर्ण विश्व की विधिक प्रणाली और न्याय की संकल्पना को तुलनात्मक रूप से समझ सकें। संस्थान विधिक क्षेत्र में अनुसंधान के साथ मानव संसाधन विकसित करने में विश्वास करता है जो कि जब वे वकालत, न्यायपालिका या शैक्षिक क्षेत्र में पदार्पण करें तो वे विश्वव्यापी प्रक्रियाओं से जुड़ी नई संकल्पनाएं और व्याख्याएं प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। एलएल.एम कार्यक्रम में महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार कानून, मानव अधिकार एवं न्यायिक प्रशासन सम्मिलित हैं। भारतीय विधि संस्थान के एलएल.एम पाठ्यक्रम की विलक्षणता कार्यक्रम की एक आवश्यकता के रूप में छात्रों के द्वारा शोध पेपर लिखने में हैं। छात्रों को एक साथ शोध करने एवं शिक्षण में पर्याप्त निपुणता प्राप्त करने में सहायता करने का विचार है ताकि भविष्य में विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों/स्कूलों के लिए श्रेष्ठ विधि शिक्षकों को तैयार किया जा सके।

संस्थान का एक पीएच.डी कार्यक्रम है जिसमें अभी फिलहाल यहां 28 शोधकर्ता विधि के विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर शोध कर रहे हैं। विनियमावली को इस तरह से बनाया गया है कि असाधारण योग्यता वाला व्यक्ति ही भारतीय विधि संस्थान से पीएच.डी की डिग्री प्राप्त कर सकता है।

संस्थान, कॉर्पोरेट लॉ एवं प्रबंधन, साइबर कानून, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआरएस), श्रम कानून, कर कानून, बौद्धिक संपदा अधिकार कानून आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा इत्यादि पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों के छात्रों को आकर्षित कर रहा है। कॉर्पोरेट लॉ में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को दो करोड़ रुपये से कम की शेरर पूंजी वाली कंपनियों में कंपनी सचिव के रूप में नौकरियों के लिए भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि डिप्लोमा करने वाले व्यवसायकर्ता/सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों को

नवीनतम तकनीक तथा पद्धति से पढ़ाया जाता है। संबंधित क्षेत्रों में पाठ्यक्रम सिद्धांत एवं अभ्यास छात्रों को पर्याप्त जानकारी हासिल करने में सहायता करते हैं। यह उन्हें अत्यधिक प्रतिस्पर्धी एवं कार्यकुशल बनाता है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिले हेतु न्यूनतम निर्धारित योग्यता किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है।

संस्थान इंटरनेट ऐज में “आईपीआर और इंफार्मेशन टेक्नालॉजी” और “साइबर लाज़” में तीन माह की अवधि का ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी कराता है।

### भवन

वर्ष 1962 तक भारतीय विधि संस्थान सर्वोच्च न्यायालय भवन में स्थित था। बाद में डेढ़ एकड़ भूमि पर भगवान दास रोड, नई दिल्ली पर सर्वोच्च न्यायालय के सामने इसने स्वयं के भवन का निर्माण कराया। भवन एक अद्वितीय अवसंरचना है, जिसमें चार तल हैं। भूतल पर संस्थान का पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए भंडारण कक्ष, कान्फ्रेंस हाल, सेमिनार तथा कक्षाएं और फैकल्टी, शोध और प्रशासकीय स्टाफ के लिए कार्यालय हैं। सभी कक्षाओं और लेक्चर हॉल का नवीनीकरण कराया गया था। संस्थान में कक्षाओं और हॉल में सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए आवश्यक आधुनिक श्रव्य साधन लगाए गए हैं और प्रकाश व्यवस्था की गई है।

### पुस्तकालय

भारतीय विधि संस्थान का पुस्तकालय भारत में अग्रणी विधि पुस्तकालयों में से एक है और इसमें लगभग 82500 अंक हैं। यह सीरियल प्रकाशनों सहित लगभग 190 नई विधि पत्रिकाएं प्राप्त करता है। पुस्तकालय सुबह 9.00 बजे से सायं 8.00 बजे तक सभी कार्य दिवसों पर तथा शनिवार को सुबह 10.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक तथा रविवार को सुबह 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक खुला रहता है। पुस्तकालय राष्ट्रीय एवं राजपत्रित अवकाश पर बंद रहता है।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा एलएल.एम. पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए पुस्तकालय की एक अलग विंग पुस्तकें जारी करती है। भारतीय विधि संस्थान का पुस्तकालय पुस्तकों, जर्नलों, आयोगों और समिति की रिपोर्टें तथा अन्य प्रकाशनों तक ओपाक और वेब ओपाक की सहायता से पहुंच प्रदान करने के लिए इसकी संपूर्ण सूची को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। पांच हजार पुस्तकों का एक अलग संग्रहण विधिक विद्वानों द्वारा दान किए गए पुस्तकालय के मुख्य हाल के मध्यम तल पर रखा गया है। पुस्तकालय आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रैस, कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रैस, हार्ट पब्लिसिंग और एलगर ऑनलाइन जैसे विभिन्न प्रख्यात प्रकाशनों की ई-पुस्तकों के संग्रहण से समृद्ध है।

पुस्तकालय में प्रख्यात डाटाबेस अर्थात् वेस्ट लॉ इंडिया, लेक्सिस इंडिया, जेएसटीओर, केन ऑनलाइन, एससीसी ऑनलाइन, मनुपात्रा, इकोनामिक और पोलिटिकल वीकली ऑनलाइन, दि लॉज, टैक्समेन.काम, वर्ल्ड ई-बुक लाइब्रेरी और साउथ एशिया आर्चिव इत्यादि का अंशदान करती है।

संस्थान यूजीसी-शोधगंगा में अपनी पीएच.डी थिसिस को भी जमा करती है। शोधगंगा डाटाबेस से संस्थान की थिसिस तक पहुंच की जा सकती है। संस्थान भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का भी भाग है और संस्थान के डिजिटाइज्ड कलेक्शन तक भारत के राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है।

पुस्तकालय दृष्टिहीन छात्रों की सुविधा के लिए जेएडब्ल्यूएस (जॉवस) टार्किंग सॉफ्टवेयर, पियरल इंस्टेंट रीडर और ऐंजल प्रो टार्किंग डिजिटल पाकेट डेसी प्लेयर, ई-बुक रीडर, म्यूजिक प्लेयर, रेडियो कम वाइस रिकार्डर-आल इनवन से भी सुसज्जित है।

पुस्तकालय की अपने सब्सक्राइब्ड ई-रिसोर्सेज के लिए आफ कैम्पस पहुंच है जो पुस्तकालय के केवल प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को प्रदान की जाती है। प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को दूर-दराज के स्थानों से ई-रिसोर्सिज की पहुंच के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किए जाते हैं। पुस्तकालय के पास वाई-फाई टैक्नालॉजी है। यह सुविधा कैम्पस इंटरनेट सिस्टम

के माध्यम से लैपटाप रखने वाले हमारे छात्रों को प्रदान की जाती है। एलएल.एम और संस्थान द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न डिप्लोमा के लिए पूर्व वर्ष के प्रश्नपत्र वेबसाइट के माध्यम से पहुंच के भीतर हैं।

पुस्तकालय अनुसंधान प्रबंधन सॉफ्टवेयर और टूल्स, रिसर्च एथिक्स और साहित्य चोरी, सामग्री विकास, पुस्तकालय डाटाबेस और सेवाएं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

## विधिक सूचना संसाधन केन्द्र (एल आई आर सी)

भारतीय विधि संस्थान ने आधुनिकतम कंप्यूटर और हैवी-ड्यूटी प्रिंटर तथा वाई-फाई तकनीक के साथ विधिक सूचना संसाधन केन्द्र की स्थापना की है। कंप्यूटर, सभी प्रख्यात विधिक डाटाबेस तक पहुंच के लिए सुविधाओं से सज्जित हैं। विधिक सूचना, जिसकी इस केन्द्र द्वारा पूर्ति की जाती है वह केस लाज़, संविधान, विधान, नियम और विनियम, संसदीय बहस, आयोगों और समितियों की रिपोर्टें, लीगल आर्टिकल्स और दुर्लभ दस्तावेज से संबंधित है। पाठकों को यह सूचना प्रिंटआउट और ई-मेल के जरिए उपलब्ध कराई जाती है। साहित्य चोरी को रोकने के लिए और असली अनुसंधान को बढ़ाने और सहायता करने के लिए 'टरनीटिन' सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है।

## भारतीय विधि संस्थान के प्रकाशनों और दुर्लभ दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन

भारतीय विधि संस्थान ने संस्थान के प्रकाशनों और पुस्तकालय के दुर्लभ दस्तावेजों को डिजिटाइज्ड किया है। संस्थान ने अपने प्रकाशनों, दुर्लभ दस्तावेजों, लॉ रिपोर्टों को वेबसाइट पर निशुल्क व्यापकतम पहुंच तक जारी किया है। वेबसाइट पर उपलब्ध डिजिटाइज्ड सामग्री में 1958 से 2021 तक के भारतीय विधि संस्थान के जर्नल (वाल्यूम 1 से 63), भारतीय विधि का 1965 से 2019 तक का वार्षिक सर्वेक्षण (वाल्यूम 1 से 54), भारतीय विधिक पत्रिकाओं की 1963 से 2017 तक की सूची (वाल्यूम 1 से 55), आयोग और समिति की विभिन्न रिपोर्टें, भारतीय विधि संस्थान के प्रकाशन, दुर्लभ दस्तावेज, फेडरल न्यायालय की

रिपोर्टें, भारतीय विधि की रिपोर्टें- इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, मद्रास, पटना और रंगून की 1876 से 1940 तक की रिपोर्टें, 1868 से 1875 तक की बंगाल विधि रिपोर्टें, विकली रिपोर्ट्स-1887 से 1893 तक सुदरलैंड, भारतीय उच्च न्यायालय की रिपोर्टें-1862-1875 तक की कलकत्ता, बम्बई उच्च न्यायालय की रिपोर्टें और 1862-1875 तक की मद्रास उच्च न्यायालय की 1862-1875 तक की रिपोर्टें सम्मिलित हैं। इन डिजिटाइज्ड संग्रहों तक पहुंच का लिंक <http://http://14.139.60.114:8080/jspui> है।

### प्रकाशन

भारतीय विधि संस्थान पुस्तकों, रिपोर्टों और अपनी शोध परियोजनाओं के अध्ययन के प्रकाशन के अलावा, संस्थान वर्तमान महत्व के विषयों पर शोध लेखों के जर्नल आफ दि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (आईएसएसएन सं. 00019 5713) का तिमाही जर्नल प्रकाशित कर रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का बहुत उच्च स्तर का जर्नल है। यह 117 से अधिक भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं का आदान प्रदान करता है। इसके अलावा संस्थान प्रतिवर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकाशन-एनुअल सर्वे ऑफ इंडियन लॉ (आईएसएसएन सं. 0570 2666) प्रकाशित करता है जिसमें कानून के प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय में नूतन प्रवृत्तियों का संग्रह कर प्रस्तुत किया गया है एवं कानून के प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय में अद्यतन प्रवृत्तियों का संग्रह कर प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विधि संस्थान ने आईएलआई विधि समीक्षा पत्रिका (ऑनलाइन तिमाही पत्रिका) भी शुरू की है जिसमें विद्यार्थियों के लेखों को प्रकाशित करने पर भी विचार

किया जाता है। यह पत्रिका रजिस्ट्रीकृत है और इसे आईएसएसएन (ऑनलाइन) नंबर आईएसएसएन 0976-1489 आईएलआई लॉ रिव्यू आंबटित किया गया है।

भारतीय विधि संस्थान प्रत्येक तिमाही में एक समाचार-पत्रक प्रकाशित करता है। संस्थान की सभी गतिविधियों पर सूचनाओं के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारीयों नियमित रूप से संस्थान/विधिक समुदाय के सदस्यों के लाभ के लिए प्रकाशित की जाती है।

### राष्ट्रीय शैक्षणिक धरोहर

भारतीय विधि संस्थान एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड के माध्यम से मार्च, 2018 में शैक्षणिक पुरस्कारों के लाजिंग, रिट्रीविंग, एंथेनटिकेशन और आनलाइन वेरिफिकेशन के प्रयोजन के लिए एनएडी में डिजिटल धरोहर (डिपाजिटरी) में सम्मिलित हुआ है।

### अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएं, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम और परियोजना अध्ययन

संस्थान समय-समय पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, सम्मेलन, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम, संगोष्ठियां, विचार-गोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। संस्थान कानून के महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न सरकारी विभागों के परियोजना अध्ययनों को भी कराता है।

## II. अध्यक्ष

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संस्थान भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे (18.11.2019 से 31.03.2021 तक) संस्थान के अध्यक्ष के रूप में पदेन प्रास्थिति में अध्यक्षता से सम्मानित हुआ है।

## III. निदेशक

प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान के निदेशक रहे।



## IV. रजिस्ट्रार

श्री श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी रिपोर्टधीन अवधि के दौरान संस्थान के रजिस्ट्रार रहे ।

## V. समिति की बैठकें

संस्थान के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए भारतीय उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित की गई विभिन्न समितियां इस प्रकार हैं –

क्रम सं.	समिति का नाम	समिति के अध्यक्ष
1.	शैक्षणिक परिषद्	माननीय न्यायमूर्ति यू.यू. ललित
2.	वित्त समिति	माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव
3.	पुस्तकालय समिति	माननीय न्यायमूर्ति अशोक भूषण
4.	भवन समिति	माननीय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर
5.	सदस्यता समिति	माननीय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर

रिपोर्टधीन अवधि के दौरान संस्थान की विभिन्न समितियों की निम्नलिखित तारीखों पर बैठकें हुई : –

1.	शासी परिषद्	27.02.2021
2.	वित्त समिति	06.03.2021
3.	पुस्तकालय समिति	17.03.2021
4.	सदस्यता समिति	20.02.2021
5.	भवन समिति	20.02.2021

## VI. सदस्यता

क्रम संख्या	सदस्यता का प्रकार	31-3-2021 को सदस्यों की संख्या
1.	संस्थापक	30
2.	आजीवन	2807
3.	सामान्य	100
4.	कार्पोरेट	141
5.	मानद	20
6.	पदेन	246
	कुल	3294

## VII. भारतीय विधि संस्थान की राज्य ईकाइयां

वर्तमान में निम्नलिखित भा. वि. सं. की राज्य ईकाइयां हैं :

1. भारतीय विधि संस्थान की इलाहाबाद राज्य ईकाई,  
इलाहाबाद उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद - 211 001
2. भारतीय विधि संस्थान की आंध्र प्रदेश राज्य ईकाई  
हैदराबाद उच्च न्यायालय,  
हैदराबाद - 500 034
3. भारतीय विधि संस्थान की असम राज्य ईकाई  
गुवाहाटी उच्च न्यायालय,  
गुवाहाटी, असम - 781 001.
4. भारतीय विधि संस्थान की छत्तीसगढ़ ईकाई  
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय  
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ - 495 220
5. भारतीय विधि संस्थान की गुजरात राज्य ईकाई  
गुजरात उच्च न्यायालय,  
अहमदाबाद, गुजरात - 380 060
6. भारतीय विधि संस्थान की हिमाचल प्रदेश राज्य ईकाई  
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय,  
शिमला, हिमाचल प्रदेश - 171 001
7. भारतीय विधि संस्थान की जम्मू और कश्मीर ईकाई  
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, श्रीनगर,  
जम्मू और कश्मीर - 190 001
8. भारतीय विधि संस्थान की कर्नाटक राज्य ईकाई  
कर्नाटक उच्च न्यायालय,  
बंगलूरु,  
कर्नाटक - 560 001
9. भारतीय विधि संस्थान की केरल राज्य ईकाई  
केरल उच्च न्यायालय,  
कोच्चि, केरल - 682 031
10. भारतीय विधि संस्थान की महाराष्ट्र राज्य ईकाई  
बम्बई उच्च न्यायालय,  
मुम्बई, महाराष्ट्र- 400 032
11. भारतीय विधि संस्थान की उड़ीसा राज्य ईकाई  
उड़ीसा उच्च न्यायालय,  
कटक, उड़ीसा - 753 0002
12. भारतीय विधि संस्थान की पंजाब और हरियाणा राज्य ईकाई  
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय,  
चंडीगढ़- 160 001
13. भारतीय विधि संस्थान की राजस्थान राज्य ईकाई  
राजस्थान उच्च न्यायालय,  
जोधपुर, राजस्थान - 342 005
14. भारतीय विधि संस्थान की सिक्किम राज्य ईकाई  
सिक्किम उच्च न्यायालय,  
गंगटोक, सिक्किम - 737 101
15. भारतीय विधि संस्थान की तमिलनाडु ईकाई  
मद्रास उच्च न्यायालय,  
चेन्नई, तमिलनाडु - 600 104
16. भारतीय विधि संस्थान की उत्तराखंड ईकाई  
उत्तराखंड उच्च न्यायालय  
नैनीताल, उत्तराखंड - 263 002
17. भारतीय विधि संस्थान की पश्चिमी बंगाल ईकाई  
कलकत्ता उच्च न्यायालय,  
कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 001

## VIII. प्रतिष्ठित फैलोज

भारतीय विधि संस्थान निम्नलिखित प्रख्यात व्यक्तियों के संस्थान के प्रतिष्ठित फैलोज होने पर सम्मान

महसूस करता है -

\* माननीय न्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचलैय्या

## IX. मानद प्रोफेसर

संस्थान निम्नलिखित विद्वानों के संबद्ध होने से गौरवान्वित हुआ है, जिन्होंने भारतीय विधि संस्थान और तृतीय वैश्विक सामाजिक-विधिक विकास में अत्यंत रुचि दिखाई है :

\* डा. राजीव धवन, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारतीय उच्चतम न्यायालय, युनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन के भूतपूर्व प्रोफेसर ।

\* प्रोफेसर क्लॉरेंस जे. डायस, इंटरनेशनल सेंटर फॉर लॉ इन डेवलेपमेंट, न्यू यार्क ।

\* प्रोफेसर यश घई, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक लॉ, युनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ।

\* प्रोफेसर ए. आर. ब्लेकशील्ड, लॉ ट्रोब युनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया ।

## X. प्रकाशन

### अनुसंधान प्रकाशनों का विमोचन

#### i. जर्नल आफ इंडियन ला इंस्टीट्यूट

भारतीय विधि संस्थान त्रैमासिक पत्रिका के रूप में जर्नल आफ इंडियन ला इंस्टीट्यूट (जेआईएलआई) का प्रकाशन करता है । इसमें वर्तमान महत्त्व के विषयों पर शोध लेख होते हैं । इसको अंतरराष्ट्रीय ख्याति की पत्रिका के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पत्रिका के निम्नलिखित अंकों को प्रकाशित किया गया है :-

खंड 62 सं. 2 (अप्रैल-जून, 2020)

संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

खंड 62 सं. 3 (जुलाई-सितम्बर, 2020)

संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

खंड 62 सं. 4 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2020)

संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

खंड 63 सं. 1 (जनवरी-मार्च, 2021)

संपादक : प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा

भारतीय विधि संस्थान के 1958 से 2019, वाल्यूम 1 से 62 डिजिटाइज्ड संस्करण भारतीय विधि संस्थान

की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

#### ii. आई एल आई रिव्यू <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Wykbu <sup>1</sup>/<sub>2</sub>

आई. एल. आई. लॉ रिव्यू 2020 ( ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अंक) -ई जर्नल एवं 2020 के ग्रीष्मकालीन अंक भारतीय विधि संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

संस्थान ने आई. एल. आई. लॉ रिव्यू -2020 (कोविड विशेष अंक) प्रकाशित किया ।

#### iii. ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ (2019) (वाल्यूम : LV)

संपादक : प्रो. मनोज कुमार सिन्हा

उपरोक्त सर्वेक्षण में समाविष्ट किए गए क्षेत्र निम्न हैं : प्रशासनिक विधि, सिविल प्रक्रिया, कंपनी विधि, प्रतिस्पर्धा विधि, विधियों का संघर्ष, सांविधानिक विधि, उपभोक्ता संरक्षण विधि, दांडिक विधि, दांडिक प्रक्रिया, साइबर विधि, निर्वाचन विधि, पर्यावरण विधि, फोरेंसिक विधि, हिंदू विधि, बौद्धिक संपदा विधि, अंतरराष्ट्रीय विधि, श्रमिक प्रबंधन संबंध विधि, गैर-फायदाप्राप्त स्वैच्छिक संगठन, वाणिज्य विधि, मुस्लिम विधि,

संपत्ति विधि, सामाजिक-आर्थिक अपराध, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक विधि, अपकृत्य विधि, महिला और विधि, और केन्द्रीय विधान ।

भारतीय विधि संस्थान स्टाफ के निम्नलिखित सदस्यों ने ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन ला - 2019 में योगदान दिया है :

1. प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा  
अंतरराष्ट्रीय विधि
2. प्रो. (डा.) एस. शिवकुमार  
केन्द्रीय विधान
3. डा. अनुराग दीप  
सामाजिक-आर्थिक अपराध
4. डा. ज्योति डोगरा सूद  
दांडिक विधि
5. सुश्री आर्य ए. कुमार  
कंपनी विधि
6. डा. दीपा खरब  
साइबर विधि
8. डा. लतिका वशिष्ठ  
महिला तथा विधि

#### “ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ (1965-2019) के डिजिटल वर्जन” को अद्यतन करना

वर्ष 1965 से प्रकाशित एसआईएल “ऐनुअल सर्वे आफ इंडियन लॉ (1965-2013) के डिजिटल वर्जन” को अद्यतन किया गया है । इसमें 1965 से 2019 तक के 54 खंड हैं । एसआईएल का डिजिटल वर्जन पीडीएफ फॉर्म में है । एक डीवीडी में डिजिटल वर्जन उपयोक्ता के अनुकूल है । डीवीडी के सर्च इंजन में मेगाडाटा सर्च उपलब्ध है (लेखक, शीर्षक और संयुग्म) ; पूर्ण टेक्स्ट सर्च और डाक्यूमेंट विकल्प में सर्च उपलब्ध है ।

#### iv. भारतीय विधि संस्थान सूचना-पत्र

भारतीय विधि संस्थान त्रैमासिक ‘भा. वि. सं. सूचनापत्र’ का प्रकाशन करता है । सूचना-पत्र में तिमाही के दौरान संस्थान द्वारा किए गए कार्यकलापों और आगामी गतिविधियों का ब्यौरा शामिल होता है ।

इसमें तिमाही के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित महत्वपूर्ण मामलों पर भा. वि. सं. संकाय द्वारा लिखित टिप्पणियों को भी लिया गया है । सूचना-पत्र के निम्नलिखित अंकों को अवधि (अप्रैल 2020-मार्च 2021) के दौरान प्रकाशित किया गया था :

खंड XXI सं. 2 (अप्रैल-जून, 2020)

खंड XXI सं. 3 (जुलाई-सितम्बर, 2020)

खंड XXI सं. 4 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2020)

खंड XXIII सं.1 (जनवरी-मार्च, 2021)

vi. g; wu jkbV4 vkQ oYuZy xdl %  
usky , Mb/jusky fiLiDVD पर पुस्तक

संपादक - प्रो. (डा. ) मनोज कुमार सिन्हा और आर्य ए. कुमार

हयूमन राइट्स आफ वर्ल्डवैड ग्रुप्स : नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रिस्पेक्टिव्स पर पुस्तक में साधारणतया अतिसंवेदनशील समूहों के मुद्दों और विशिष्ट रूप से भारतीय संदर्भ में तथा कैसे इन मुद्दों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विधिक दृष्टि से विचार किया गया है । इस विषय पर अर्थात् ‘अतिसंवेदनशील समूहों के मानव अधिकारों पर विद्यमान साहित्य का विश्लेषण करने पर यह प्रकट होता है कि विधि के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में साहित्य की कमी है । इसलिए इस संपादित खंड में अतिसंवेदनशील समूहों के मानव अधिकारों के मुद्दों के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को प्रतिबिम्बित करते हुए अनेक लेख समाविष्ट हैं । इस पुस्तक के योगदानकर्ताओं में मुख्य रूप से विधि के संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं । पुस्तक का थीम ‘हयूमन राइट्स आफ दि वर्ल्डवैड ग्रुप्स’ एक नया थीम है और नवीन विचार हैं जिन पर किसी शिक्षाविद् द्वारा पहले इतनी गहराई से विचार नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, इस समूह के अधिकार भारत में बहुत सारे प्रख्यात विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित विधि का विषय रहे हैं । आशा है इस पुस्तक से विश्वभर के शैक्षणिक समुदाय को फायदा होगा ।

## XI. शैक्षणिक कार्यक्रम

### शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए दाखिले

एल.एल. एम. - 1 वर्षीय कार्यक्रम संचालित करने की स्कीम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनायी गई है। शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित अनुसूची के अनुसार एलएल.एम. (पूर्ण अवधि 1 वर्ष) और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू की गई थी। एलएल.एम पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा 11.10.2020 को दिल्ली में भारतीय विधि संस्थान भवन में आयोजित की गई थी। एलएल.एम.-1 वर्ष के लिए 890 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा परिणाम 29.10.2020 को अधिसूचित किया गया था। शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या निम्नानुसार है :-

पीएच.डी.	05 छात्र
एलएल.एम. (1 वर्ष)	41 छात्र
स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	280 छात्र
<b>दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल सं.:</b>	<b>326 छात्र</b>

एलएल.एम 1 वर्ष के लिए कक्षाएं 01-12-2020 से शुरू की गईं। जबकि स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 02.11.2020 से शुरू की गईं।

### परीक्षा — 2020-2021

- पीएच.डी. और एलएल.एम. के लिए प्रवेश परीक्षा
- एलएल.एम. (एक वर्ष) और पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा- 2020 महाराजा अग्रसेन कालेज, वसुंधरा इन्कलेव, दिल्ली में 11.10.2020 को आयोजित की गई। एलएल.एम. में दाखिले के लिए संस्थान को 890 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 485 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में हाजिर हुए। पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 141 आवेदन प्राप्त हुए

जिनमें से छूटप्राप्त 78 और गैर-छूटप्राप्त 63 थे जिनमें से केवल 25 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में हाजिर हुए। कमशः एल.एल. एम. और पीएच. डी. प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 5100 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में बैठे। अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा और पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा का परिणाम अनुमोदित अनुसूची के अनुसार अधिसूचित किया गया।

- एलएल. एम. एक वर्षीय कार्यक्रम 2020-2021 में प्रवेश के लिए मौखिक वार्तालाप 9-11 नवम्बर, 2021 के बीच आयोजित किया गया। योग्यता अनुसार परिणाम दिनांक 16 नवम्बर, 2021 को घोषित किए गए।
- छूटप्राप्त और गैर-छूटप्राप्त छात्रों के लिए पीएच.डी. 2020 के दाखिले के लिए साक्षात्कार/प्रस्तुतिकरण दिनांक 3-4 दिसम्बर, 2020 को आयोजित किए गए। पीएच.डी., 2020 में दाखिले का परिणाम दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को घोषित किया गया।

### पीएच.डी. कोर्स वर्क परीक्षा

- पीएच.डी. कोर्स वर्क परीक्षाएं -2020 (पेपर 1 और 2) दिनांक 2-10 सितम्बर, 2020 को आयोजित की गईं और परिणाम 22 दिसम्बर, 2020 को घोषित किया गया।

### समेस्टर परीक्षा - एलएल.एम.

- एलएल.एम. एक वर्ष (द्वितीय समेस्टर) की परीक्षा दिनांक 21-31 अगस्त, 2020 के दौरान आयोजित की गईं और शोध प्रबंध मौखिक वार्तालाप/प्रस्तुतिकरण 14-15 अक्टूबर, 2020 में आयोजित किया गया। इसका परिणाम 27 अक्टूबर, 2020 को घोषित किया गया।

## स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षा

- स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (सत्र 2020-2021) की वार्षिक परीक्षा -2020 दिनांक 18 अगस्त, 2020 से 12 सितम्बर, 2020 के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित की गई । इसका परिणाम माह नवम्बर, 2020 में घोषित

किया गया ।

- स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए अनुपूरक परीक्षा माह अप्रैल, 2020 में आयोजित की गई और इसका परिणाम माह जुलाई, 2021 में घोषित किया गया ।

## xii. l 1Fku ds f0; kdyki

### d- ofcukj@ik; ku

### ik; kuladh oc Jdkyk

आजादी का अमृत महोत्सव : भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह पर दिनांक 12 मार्च, 2021 को सम्मेलन

भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यालय द्वारा प्रारंभ समारोह पर्व की श्रृंखला, आजादी का अमृत महोत्सव का आरंभ करते हुए भारतीय विधि संस्थान द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से दिनांक 12 मार्च, 2021 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया । सभी भारतीयों के लिए 12 मार्च की तारीख का एक विशेष महत्व है, चूंकि वर्ष 1930 में इस ऐतिहासिक दिन को महत्वपूर्ण 'नमक सत्याग्रह' का शुभारंभ हुआ था । यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है और अत्याचारी औपनिवेशिक शासन की आज्ञा का पालन न करने और दमनकारी औपनिवेशिक शासन की खुली अवज्ञा में बाहर निकलने के लिए भारत के लोगों के लिए एक आह्वान के रूप में देखा जाता है । इस प्रकार, यह दिवस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के किसी भी समारोह में एक विशेष उल्लेख का पात्र है और इसके निर्णायक महत्व को देखते हुए ही, इस दिवस को भारतीय स्वतंत्रता के गौरवपूर्ण 75 वर्षों के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर एक उत्सव की शुरुआत करने के लिए चुना गया ।



प्रो. (डा.) रणबीर सिंह और श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता कार्यक्रम के श्रोताओं को संबोधित करते हुए

जिन प्रख्यात गणमान्य व्यक्तियों ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई उनमें प्रोफेसर (डा.) रणबीर सिंह, भूतपूर्व कुलपति, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली सम्मिलित थे, जिन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की अध्यक्षता की । इस समारोह में सम्मानित अतिथि प्रोफेसर (डा.) मंजुला बतरा, भूतपूर्व संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया और श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता, सचिव, विधिक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार थे ।





(बाएं से दाएं) प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता, प्रो. (डा.) रणबीर सिंह और प्रो. (डा.) मंजुला बतरा

स्वागत भाषण के पश्चात्, प्रोफेसर मंजुला बतरा, भूतपूर्व संकायाध्यक्ष, स्कूल ऑफ लॉ, जामिया मिलिया इस्लामिया युनिवर्सिटी, नई दिल्ली ने समारोह के लिए विशेष भाषण दिया। सम्मेलन के मूल विषय के अनुरूप और दिनांक 12 मार्च, 1930 के महत्वपूर्ण दिवस को मनाने के लिए, प्रोफेसर (डा.) मंजुला बतरा ने दांडी मार्च के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला और उन घटनाओं का विस्तार से उल्लेख किया जिनके कारण महात्मा गांधी द्वारा भारतीय नमक कानून, 1882 का बहिष्कार करने के लिए भारत के लोगों का आह्वान करना पड़ा था।

प्रोफेसर (डा.) बतरा ने वर्णन किया कि कैसे चौबीस दिन लंबा यह अभियान ब्रिटिश तानाशाही के विरुद्ध एक जन-आंदोलन की सामूहिक शुरुआत थी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के शीर्ष व्यक्तित्व, महात्मा गांधी द्वारा निभाई गई भूमिका को उजागर करते हुए, उन्होंने बताया कि हर दिन की समाप्ति के पश्चात् कैसे जनसमूह अलग-अलग गांवों में रुकता था और गांधी को सुनने के लिए एकसाथ बैठता था तथा अत्याचारी शासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की आवश्यकता पर उनके विचारों को सुनता था। उनके शब्द लोगों को प्रेरित करते थे और उनकी विचारधारा औपनिवेशिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध लड़ रहे भारतीयों के शस्त्रागार का एक सबसे प्रभावशाली हथियार बनी।

सायरस रुडी द्वारा 'दि गांधीयन-फेनोनियन बॉडी बिटविन लॉ एंड जस्टिस' विषय पर दिनांक 12

दिसम्बर, 2020 को एक वक्तव्य



भारतीय विधि संस्थान ने सायरस रुडी द्वारा 'दि गांधीयन-फेनोनियन बॉडी बिटविन लॉ एंड जस्टिस' विषय पर दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 को एक वक्तव्य का आयोजन किया। अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त मनोविश्लेषक और राजनैतिक दार्शनिक, फ्रांटज फेनन के औपनिवेशिक-पश्च अध्ययन के क्षेत्र में लेखों और औपनिवेशिक ताकतों के विरुद्ध आंदोलन में हिंसा के विखंडन पर उनके भाषणों ने समूचे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। सत्य, हिंसा और औपनिवेशिकता के विरुद्ध संघर्ष के बारे में विचारों के इर्द-गिर्द व्याख्यानों को प्रायः गांधी के अहिंसा के मूल्यों और अत्याचारी साम्राज्यवादी शासकों का तख्ता उलट देने के लिए हिंसा के प्रयोग के औचित्य के बीच विषमता की दृष्टि से देखा जाता था। इस वक्तव्य में गांधीयन-फेनोनियन प्रवचनों में कई सारे प्रतिष्ठेदन और भिन्नताएं उजागर हुईं और सहभागीयों के चिंतन-मनन और विचार के लिए कई सारे रोचक प्रश्न रह गए।

**1 fo/ku fnol \* ij fnukd 26 uoEcj]  
2020 dks ofculj**

किसी राष्ट्र राज्य का संविधान विविध प्रकार के कार्य करता है, यह एक विधिक, सामाजिक और एक राजनैतिक दस्तावेज है। इसमें विधिक व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों के आधार के साथ-साथ शासन की संस्थाओं का मानचित्र अधिकथित होता है। संविधान को प्रायः राज्य की पहचान की उस मूलभूत सनद के रूप में चित्रित किया जाता है

जो संपूर्ण राजनैतिक समुदाय के सांझे मूल्यों और आकांक्षाओं को प्रस्तुत करता है। राष्ट्र राज्य के स्थायित्व और इसके भाग्य की जड़ें इसके संविधान के सहनशील मूल्यों में होती हैं और इस प्रकार किसी राज्य के संविधान के अधिनियमन के इतिहास में पूर्व के संघर्ष और राष्ट्र राज्य के भावी विकास के लिए आकांक्षाएं तथा आदर्श दोनों समाहित होते हैं। भारत के संविधान के अधिनियमन की कहानी भी भिन्न नहीं है। इसमें स्वाधीनता संग्राम के सार और उन आदर्शों को अभिग्रहण किया गया है जिनसे स्वतंत्रता आंदोलन मार्गदर्शित हुआ था। दिनांक 26 नवम्बर, 1949 को भारत के संविधान को अंगीकार करना विजातीय भारतीय समुदाय की असदृश आकांक्षाओं को और एक राष्ट्र राज्य में उन विविधताओं का गठन करने के दृढ़ संकल्प की पराकाष्ठा का द्योतक है जो न्याय, स्वच्छंदता, समता और सभी के बीच भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर आधारित होगा। इस ऐतिहासिक दिवस की याद में, प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर को राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में, भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को 'संविधान दिवस' पर एक वेबिनार आयोजित किया जिसमें शिक्षा जगत के साथ-साथ विधि के क्षेत्र के विद्वान सदस्यों की सहभागिता देखने को मिली। प्रोफेसर (डा.) रणबीर सिंह, भूतपूर्व कुलपति और संस्थापक, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई और प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से देश की सर्वोच्च विधि के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और उन सारभूत मूल्यों का स्मरण करने के महत्व पर अपने विचार सांझा किए जिनसे हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रेरणा ली थी। श्री राकेश मुंजाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय/अध्यक्ष, एसएएआरसी लॉ इंडिया गणमान्य अतिथि थे और श्री सुधांशु रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, दूरदर्शन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी एक विशेष भाषण दिया गया।

1949 को भारत के संविधान को अंगीकार करना

2020 को एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया

भारतीय विधि संस्थान ने 'सुरक्षा परिषद् संकल्प 1325 की 20वीं वर्षगांठ' के अवसर पर दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 को एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2000 को जो संकल्प अंगीकृत किया गया था, उसका आशय संघर्ष का निराकरण और समाधान करने, शांति-वार्ताओं, शांति-निर्माण, शांति-स्थापना, मानवीय प्रतिक्रिया और संघर्ष के पश्चात् पुनर्निर्माण में स्त्रियों की भूमिका की पुनःअभिपुष्टि करना था।

प्रख्यात अंतरराष्ट्रीय विधिवेत्ता, प्रोफेसर हिलेरी चार्ल्सवर्थ इस अवसर पर मुख्य वक्ता थीं। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक प्रबल समीक्षा की जिसे उन्होंने 'स्त्री और शांति के संबंध में संस्थागत रूढ़िवादिता' कहा, तत्ववेत्ता स्त्रियों के बारे में अंतर्निहित रूप से शांतिप्रिय होने का दावा करते हैं; स्त्रियों की 'प्रतिस्पर्धात्मक अतिसंवेदनशीलता' उनकी शांति के प्रति घनिष्टता को देखते हुए शांति-वार्ताओं में उनकी सहभागिता और स्त्रियों के साथ जुड़े लैंगिक शब्द को समाप्त करने की मांग करती है।

उन्होंने स्त्री, शांति और सुरक्षा के बारे में बहस के शब्दों में एक सारभूत समान ढांचे (जो कि निर्णय करने की प्रक्रिया से स्त्रियों को बाहर रखने के ऐतिहासिक और प्रचलित ढांचे पर आधारित है) के लिए लिंग शब्द को एक विश्लेषणात्मक प्रवर्ग के रूप में प्रयोग करके बदलाव करने का तर्क दिया, जो ऐसी अर्थपूर्ण व्यवस्था है जिसमें शांति, संघर्ष और सैन्य समाधान सहित सभी सत्यता व्याप्त हैं। यह वक्तव्य संकल्प 1325 को लेकर निराशा और आशा की कहानियों का एक समृद्ध लेखा-जोखा था।

2020 में एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 देश में शिक्षा में सुधार की दिशा में एक आदर्श बदलाव का द्योतक है और

इसमें शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने की ईप्सा की गई है। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पश्चात् पुरःस्थापित की जाने वाली इस व्यापक नीति की प्रशाखाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय विधि संस्थान ने दिनांक 18 अक्टूबर, 2020 को एक वेबिनार की मेजबानी की। प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा ने वक्ताओं और सहभागियों का स्वागत किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का परिचय दिया। यह बात ध्यान में लाई गई कि फिलहाल भारत में लगभग 950 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 412 राज्य विश्वविद्यालय हैं, 124 मानित विश्वविद्यालय, 53 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 361 प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं। प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय से लगभग 45-50 महाविद्यालय संबद्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में सभी महाविद्यालयों को निदेश दिया है कि वे अपने कार्यों में स्वायत्त बने क्योंकि राज्य विश्वविद्यालय के लिए इन महाविद्यालयों पर इनकी बड़ी संख्या को देखते हुए निगरानी रखना व्यवहारिक रूप से असंभव है।

माननीय न्यायमूर्ति (डा.) अरिजीत पसायत, भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के अंतर्निहित अर्थ पर प्रकाश डालते हुए अपना भाषण आरंभ किया। माननीय न्यायमूर्ति ने उल्लेख किया कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का उद्देश्य भारत को ज्ञान की एक वैश्विक महाशक्ति बनाना है और इसमें गहरा गौरव छिपा है। यह कौशल विकास, मूल्यों को संजोकर रखने, मानव अधिकारों और संधार्य विकास पर केंद्रित है। इसमें कई सारे पहलुओं और उद्देश्यों को अधिकथित किया गया है जिससे कि अकेले खड़े संस्थान बहुआयामी संस्थान बन सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुमोदन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि एकल क्षेत्र के संस्थान समय आने पर बाहर हो जाएंगे।

प्रोफेसर एन. एल. मित्रा ने अपना भाषण सहभागियों को यह स्मरण कराते हुए किया कि इतिहास में यह पहली बार है कि किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विधि शिक्षा का भी उल्लेख है। उन्होंने टिप्पणी की कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संबद्ध व्यवस्था (एफिलिएशन सिस्टम) को समाप्त करना भी है। उन्होंने यह मत

व्यक्त किया कि हमारी संबद्ध व्यवस्था को ब्रिटिश से कापी किया गया है, किंतु ब्रिटेन एक छोटा देश होने के कारण इसे साकार कर सकता है जबकि हमारे मामले में यह उतनी कुशलतापूर्वक काम नहीं करेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, महाविद्यालय या तो विश्वविद्यालयों के साथ आमेलित हो सकते हैं और आमेलन या अर्जन से बड़े बन सकते हैं या साथ मिलकर एकत्रित हो सकते हैं या भारी विनिवेश करके स्वयं अपनी डिग्री दें। यदि इसमें से उनके लिए कोई कार्य संभव नहीं हैं तो वे बंद हो जाएंगे। कम से कम 400-500 महाविद्यालय इसके परिणामस्वरूप बंद हो जाएंगे। यह देखना रोचक होगा कि क्या यह वास्तव में साकार होने योग्य है।

श्री सुजीत कुमार, संसद सदस्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रशंसा की और इसे ऐतिहासिक और भविष्यानुकूल नीति बताया, जो कि कई मायने में भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप है। तथापि, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और समावेशी उच्चतर शिक्षा की दिशा में एक सही कदम बनने की संभाव्यता के संबंध में अपनी शंका भी जाहिर की। उन्होंने कालाहांडी, उड़ीसा में सेल्यूलर सेवाओं को वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य होने की बात कहते हुए बंद करने पर बीएसएनएल, राज्य टेलीकॉम प्रदाता के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की क्योंकि यह प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने के प्रतिकूल होगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी और शिक्षा समावेशी होनी चाहिए।

प्रोफेसर (डा.) सी. राजकुमार, प्रोफेसर, ओ. पी. जिंदल युनिवर्सिटी ने यह कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक उत्कृष्ट दूरदर्शिता है और इस नीति का दस्तावेज ऐसा है जिसमें उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की जटिलता और चुनौतियों की पहचान की गई है। इसमें मानव विकास और भारत के जनसांख्यिक लाभांश की असाधारण संभाव्यता को साधने की दृष्टि से सारभूत परिवर्तन करने की एक दूरदर्शी परिकल्पना की गई है। उन्होंने यह कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में उच्चतर शिक्षा के सेक्टर की पुनःकल्पना करने के लिए दस बड़े विचार हैं जिनमें श्रेष्ठता की खोज में विश्व-स्तर की शिक्षा, बहुविध प्रकार और उदार

शिक्षा, विनियामक सुधार, गुणवत्ता आश्वासन और पहुंच के साथ विस्तार, अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र, फैकल्टी फोकस, शासन और नेतृत्व, निर्णय करने की पारदर्शी व्यवस्था, संस्थागत स्वतंत्रता, सक्रिय और सांझा परामर्श और लक्ष्यप्रतिष्ठित संस्थानों का सशक्तिकरण ।

प्रोफेसर एन. के. चक्रवर्ती ने शिक्षा में साम्यता और पहुंच के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में नए रूप से पुरःस्थापित की गई इस विशेषता की सराहना की कि जब कोई पाठ्यक्रम करना हो तो इसमें प्रवेश और निकास के विविध द्वार खोले गए हैं और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विधि शिक्षा में इन बातों का होना अति आवश्यक है। यह भी कहा कि बहुआयामी-विद्या का दृष्टिकोण शिक्षकों को पाठ्यक्रमों को अधिक नवीनतम तरीके से पढ़ाने के लिए डिजाइन करने की स्वायत्तता देगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह दृष्टिकोण और अधिक उपयोगी होगा यदि उच्चतर शिक्षण संस्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए साधन और योग्यता की नीति के आधार पर अर्थात् छात्रों को प्रारंभिक वर्षों में उपलब्ध साधनों पर ध्यान केंद्रित करके और पाठ्यक्रम के बाद के वर्षों में छात्रवृत्ति प्रदान करने में योग्यता-आधारित दृष्टिकोण की ओर अभिमुख होकर उचित रूप से योजना बना सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सभी उच्चतर संस्थानों में दिव्यांग जनों के लिए विशेष प्रयोगशालाएं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विशेषताओं की व्यवस्था करके बनाई जानी चाहिए।

**1k kJ.k fof/k%jK'Vh, vls varjjK'Vh  
ifjix;\* fo"K ij fnukl 4 vDrwj  
2020 dksjK'Vh ofcukj**

भारतीय विधि संस्थान ने 'पर्यावरण विधि : राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य' विषय पर पर्यावरण विधि के क्षेत्र में प्रख्यात विद्वानों के साथ एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। माननीय न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, भूतपूर्व अध्यक्ष, नेशनल ग्रीन टिब्यूनल एवं भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा

बढ़ाई। वक्ताओं में पर्यावरण विधि के क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ अर्थात् प्रोफेसर (डा.) अर्मिन रोजनकांज, संकायाध्यक्ष, जिंदल स्कूल ऑफ इंनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी; श्री संजय पारिख, अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय; प्रोफेसर सतीश सी. शास्त्री, स्कूल ऑफ लॉ, मोदी युनिवर्सिटी, राजस्थान; प्रोफेसर फुरकान अहमद, सिमबायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा और प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान सम्मिलित थे। इस चर्चा में पर्यावरण के संरक्षण में पर्यावरण विधि (राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों) द्वारा निभाई गई भूमिका की गवेषणा की गई।

प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा ने अपने स्वागत भाषणा में उल्लेख किया कि कैसे पर्यावरण अवक्रमण से मानवीय अस्तित्व का तानाबाना अर्थात् वायु और जल से लेकर उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तक पर प्रभाव पड़ा है और उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस वैश्वीकरण के युग में 'अति-त्वरित' विकास और संसाधनों का लापरवाह होकर 'तेजी से उपयोग' ऐसे महत्पूर्ण प्रश्न हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामना करना पड़ा रहा है। उन्होंने इस बात का भी विस्तारपूर्वक उल्लेख किया कि कैसे पर्यावरण संबंधी विधि का ढांचा और सिद्धांत विकास संबंधी नीतियां बनाने के लिए निर्देश बिंदु बनने चाहिए और इन्हें मानव अधिकारों के सरोकारों के साथ सहकियाशील बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रोफेसर (डा.) अर्मिन रोजनकांज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित पर्यावरण विधि के सिद्धांतों के प्रवर्तन के लिए क्रियान्वयन साधनों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि यह केवल देशीय न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है कि इन सिद्धांतों को क्रियान्वित किया जाए। माननीय प्रोफेसर ने वैन्यजीव प्रजातियों (जैसे कि गैंडा) के लिए पुंसत्व संबंधी औषधियां बनाने में अवैध व्यापार के विषय पर अपने हाल ही के कार्य के लिए उपस्थित जनों को गहराई से जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे इस व्यापार ने वैन्य जीव प्रजातियों में विभिन्न प्रजातियों के विलुप्त होने के कगार पर ला दिया है। श्री संजय पारिख ने आशावादी दृष्टिकोण के साथ अपने भाषण



में यह उल्लेख किया कि यद्यपि अब तक मानव के क्रियाकलापों ने पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, तथापि, मानव में, एक समुदाय के रूप में, पर्यावरण के रक्षोपाय के लिए सामर्थ्य है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, प्रोफेसर सी. शास्त्री ने विश्वभर में घटित होने वाली अत्यधिक मौसम संबंधी घटनाओं का उल्लेख किया और पृथ्वी पर पड़ रहे दबाव को अभिस्वीकार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभा को यह भी स्मरण कराया कि समकालीन पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए न्यासी है और पर्यावरण के संसाधनों को सर्वोत्तम संभाव्य दशा में भावी पीढ़ियों को सौंपने का उत्तरदायित्व है। प्रोफेसर फुरकान अहमद ने भी पर्यावरण संबंधी विधानों के कड़ाईपूर्वक क्रियान्वयन में कमी के प्रासंगिक मुद्दे पर चर्चा की और उल्लेख किया कि कैसे पर्यावरणीय सिद्धांतों के मात्र उदात्त विकास और अनेक पर्यावरण संबंधी विधानों की विरचना, उनके प्रभावी क्रियान्वयन के बिना, करने से पर्यावरण संरक्षण के हेतु की पूर्ति नहीं हो सकती है। इस वेबिनार का समापन मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार द्वारा दिए गए भाषण से हुआ। माननीय न्यायमूर्ति ने भारत में पर्यावरण विधियों के तीन मुख्य स्रोतों : सांविधानिक उपबंध, कानून और न्यायिक विनिश्चयों का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय अनुभव को देखते हुए न्यायिक विनिश्चय पर्यावरणीय विधिशास्त्र का मुख्य स्रोत रहे हैं। पर्यावरण संबंधी चिंताओं की सर्वव्यापक प्रकृति की अभिस्वीकृति करते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि यद्यपि हमने अपने आप को राजनैतिक रूप से अलग-अलग राष्ट्र-राज्यों में संगठित किया है, तथापि, जब पर्यावरण की बात आती है तो हम एक ही समुदाय हैं। और इसलिए, पर्यावरण का अवकमण ऐसा है कि संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस पर मिलकर कार्य करना होगा और पर्यावरण संबंधी असंख्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहक्रियाशील दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।

^varjjk"Vt; ykdkl dkh fof/l%eqnsvl\$  
pqlkr; k%b/ju\$ kuy g; wfuVfj; u ykW  
%b'kw , M p\$yft t 1/2fo" k ij fnukd

## 2 vDrwj] 2020 dksjk"Vt; ofcukj

अंतरराष्ट्रीय लोकोपकारी विधि के बारे में प्रवचन व्यापक रूप से युद्ध संबंधी आचरण की विधियों के ऐतिहासिक विकास के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं और प्रायः इन्हें केवल ऐतिहासिक युद्ध-संहिताओं और जेनेवा कंनवेंशनों की दृष्टि से देखते हुए परंपरागत रूढ़िवादी पद्धति तक सीमित कर दिया जाता है। वास्तव में, अंतरराष्ट्रीय लोकोपकारी विधि का इतिहास अंतरराष्ट्रीय विधि में संप्रभूता से लोकोपकारवाद की ओर आदर्श बदलाव का प्रमाण है और आज के अनुशासन की नवीकृत समझ को अवश्य अनुप्रमाणित करना होगा। इस विषय की समकालीन सुगंतता और इस क्षेत्र में उभरती चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा आरंभ करने के लिए, भारतीय विधि संस्थान ने नोलिजस्टीज के सहयोग से 'अंतरराष्ट्रीय लोकोपकारी विधि: मुद्दे और चुनौतियां (इंटरनेशनल ह्यूमेनिटेरियन लॉ: इशूज एंड चैलेंजिज) विषय पर दिनांक 2 अक्टूबर, 2020 को एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जिसमें देशभर के बहुत सारे छात्र, शिक्षाविद् और अन्य अंतरराष्ट्रीय विधि जिज्ञासु उपस्थित हुए। डा. ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की अध्यक्षता की। अन्य विद्वान वक्ताओं में शिक्षाजगत के प्रख्यात सदस्य और अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के सदस्य सम्मिलित थे। इस वेबिनार में समुदायों की विनिर्दिष्ट अतिसंवेदनशीलता, अतिसंवेदनशील समुदायों की संरक्षा में अंतरराष्ट्रीय लोकोपकार विधि में अंतर, संरक्षा की स्कीम में स्त्रियों को आच्छादित करने वाली विधि के बारे में प्रवचन, गैर-अंतरराष्ट्रीय सैन्य संघर्षों में की विशेष परिस्थितियां और इसी प्रकार के अन्य विषयों पर चर्चा की गई। इस चर्चा ने सहभागियों और वक्ताओं द्वारा एकसमान रूप से सार्थक आत्मचिंतन करने का मार्ग प्रशस्त किया। यह विधि का वह क्षेत्र है जिसमें संघर्षों के अंतरराष्ट्रीय वातावरण के कारण और इस विषय की समकालीन सुसंगतता के साथ-साथ सापेक्ष रूप से कम अनुसंधान होने के कारण इस प्रयास का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय लोकोपकारी विधि के बारे में एक सार्थक चर्चा करना था जो कि एक वांछनीय

शिक्षण कवायद साबित होगी। इसका आशय छात्रों में अंतरराष्ट्रीय लोकोपकार विधि के विषय पर और आगे गवेषणा करने के लिए अवसरों की तलाश करने की लालसा को बढ़ाना था।

भारतीय विधि संस्थान द्वारा आल इंडिया लॉयर्स फोरम (एआईएलएफ) के सहयोग से 'भारत में विधि शिक्षा और चुनौतियाँ' विषय पर दिनांक 26 सितम्बर, 2020 को वेबिनार का आयोजन

भारतीय विधि संस्थान ने आल इंडिया लॉयर्स फोरम के सहयोग से 'भारत में विधि शिक्षा और चुनौतियाँ' विषय पर दिनांक 26 सितम्बर, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय थे और अन्य गणमान्य व्यक्ति प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली और श्री विकास वर्मा, अधिवक्ता एवं सह-अध्यक्ष, नेशनल एक्जीक्यूटिव, एआईएलएफ थे।

इसके पश्चात् प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली द्वारा स्वागत संबोधन किया गया। अपने संबोधन में प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा ने वेबिनार के प्रसंग से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा की और वेबिनार के लिए उचित वातावरण बनाया और आईएलआईएलआर का विशेष अंक आरंभ करने की घोषणा की तथा आईएलआईएलआर के कार्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए आईएलआईएलआर के मुख्य छात्र संपादक को आमंत्रित किया।

## दक्षिण भारत में विधि शिक्षा और चुनौतियाँ

डा. पूजा सत्योगी, सहायक प्रोफेसर, दि सेंटर फार लॉ, गवर्नर्स एंड सिटिजनशीप द्वारा 'अंतरंग और व्यक्तिगत श्रमिकों के लिए विकृत अर्थ-व्यवस्था : लॉकडाउन के पश्चात् घरों में घरेलू कार्य का पुनरागम' (प्रवर्स इकोनामिज आफ इंटीमेट एंड पर्सनल लेबर : रिज्यूमिंग डोमस्टिक वर्क इन हाउसहोल्ड आफ्टर दि लाकडाउन) नामक शीर्षक पर अम्बेडकर विश्वविद्यालय,

दिल्ली में दिनांक 6 जुलाई, 2020 को एक वार्तालाप का आयोजन किया गया। इस वार्तालाप के पश्चात् एक पारस्परिक-वार्तालाप का एक सत्र यह वर्णन करने के लिए किया गया कि सामाजिक दूरी और मास्क पहनने की औपचारिकताओं से आपसी और व्यक्ति संबंधों पर इस तरीके से आघात पहुंचना आरंभ हुआ कि पुरानी परिपाटियों द्वारा स्थापित विद्यमान तारतम्य में खाई पैदा हो गई है। इस वार्तालाप में उस सामाजिक घटना को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई जो इस महामारी में हमारे सामने आ खड़ी हुई है। इस कार्यक्रम का समन्वय डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान और डा. लतिका वशिष्ठ, सहायक प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान द्वारा किया गया।

भारतीय विधि संस्थान ने अन्नम्मा सैम्यूल फेकल्टी आफ लॉ, जी. डी. गोयनका युनिवर्सिटी, गुरुग्राम द्वारा 'चेंजिंग डाइमेंशंस आफ एथरशिप इन कापीराइट लॉ' विषय पर दिनांक 23 जुलाई, 2020 को एक वेबिनार का आयोजन किया। इस चर्चा का केंद्रबिंदु आज की जिस डिजिटल दुनिया में हम हैं, उसमें धीरे-धीरे मानवीय स्रोत की धारणा से विलग होकर आट्रिफिसियल इंटेलेजेंस सिस्टम की ओर जाना है जो इस कार्य के कर्ता/सर्जक के रूप में इसका स्थान ले रहा है। लेखक ने जोरदार रूप से कापीराइट विधि की पृष्ठभूमि, कापीराइट की संरक्षा के लिए मानदंड और आधार, कापीराइट विधि की एथरशिप और इस अधिनियम की खामियों की पहचान और भारतीय तथा यूएस की विधि में तुलना पर चर्चा की। यह चर्चा प्रश्न और उत्तर राउंड और डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान के धन्यवाद के साथ समाप्त हुई। आर्या ए. कुमार, सहायक प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान ने इस कार्यक्रम का समन्वय किया।

चलचित्र का सिद्धांत (फिल्म थ्योरी) सिनेमा को उस 'सांस्कृतिक अचेतन' के रूप में समझता है जो समाज की विरचना को समझने के लिए केंद्रबिंदु है। मेघना गुलजार की फिल्म 'राजी' में प्यार की असंभावना पर दिनांक 24 जुलाई, 2020 को एक ऑनलाइन चर्चा आयोजित की गई। प्रवक्ता, श्री अमित बिंदल



ने विख्यात फिल्म 'राजी' के भू-दृश्य के माध्यम से यह गवेषणा की कि कैसे पुरुषोचित वैश्विक विचार (स्त्रियों के संबंध में) दिलेरी, शक्ति और बलिदान के लिए व्यक्त किए गए हैं। उन्होंने चर्चा की कि कैसे ऐसी कल्पना प्यार के संवर्धन और पोषण की सभी संभाव्यताओं को पहले से रोकने का प्रबंध करती है। सुश्री अवाणी बंसल ने 'जेंडर मेनस्ट्रुमिंग: हैव वी लरंट लेसन फ्रॉम दि पेंडामिक' के मुद्दे पर दिनांक 28 जुलाई, 2020 को एक व्याख्यान दिया। इस वार्तालाप के पश्चात् प्रश्न-उत्तर हुए जिसमें जेंडर डायनामिक्स पर चर्चा की गई और उन सीख पर ध्यान केंद्रित किया गया जो इस महामारी ने हमें घर और कार्य स्थल का विभाजन करके व्यवस्थित करने के बारे में सिखाया। मानसिक स्वास्थ्य, यदि अधिक नहीं, तो उतना महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। यह महामारी हमारे जीवन में अत्यधिक अनिश्चितताएं लेकर आई और बहुत सारे छात्र और कर्मचारी चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं। डा. अर्चना कृष्णा, होलिस्टिक क्लीनिकल एंड आर्गेनाइजेशनल साइक्लोजिस्ट को दिनांक 30 जुलाई, 2020 को 'मेंटल हेल्थ मेटर्स एंड साइक्लोजिकल कोपिंग स्ट्रेटिजिज' पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस परस्पर चर्चा के सत्र में इस तनावपूर्ण समय में चिंता और मानसिक समुत्थान शक्ति को व्यवस्थित करने के तरीकों की गवेषणा की गई। इन कार्यक्रमों का समन्वय डा. ज्योति डोगरा सूद, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान और डा. लतिका वशिष्ठ, सहायक प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान द्वारा किया गया।

, vlbZyvlbZ ¼l kfl , 'ku vlQ bñM; u ykwbLVñ; W , Y; wulñ } kjk vk kft r ofcukj

'bukñVj ft fu; l %oh vkj- d".kkv; ÷j , M fn dñ'k l iñVxkñLV&iñ , u-Hxorñ\* ij fnukd 19 t uojñ 2021 dks ofcukj

एआईएलआईए ने शीला बारसे के साथ दिनांक 19 जनवरी, 2021 को जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा 'इनोवेटर

जिनियस: वी. आर. कृष्णा अय्यर एंड दि काशियस प्रोटेगोनिस्ट-पी. एन. भगवती' पर एक वेबिनार आयोजित किया। सुश्री शीला बारसे के साथ प्राख्यान श्रृंखला का यह तीसरा वेबिनार था। श्री विनोद दूबे, अधिवक्ता एवं सचिव, एआईएलआईए ने श्रोतागण का वेबिनार के प्रसंग से परिचय कराया। उन्होंने सुश्री शीला बारसे का स्वागत किया और श्रोतागण को समाज के प्रति उनके योगदान, विशेष रूप से लोक हित वाद (पीआईएल) के माध्यम से स्त्रियों और बाल अधिकारों की मान्यता के लिए उनके योगदान की जानकारी दी। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सुश्री बारसे के कार्य ने हजारों लोगों की अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायत की है और इस कारण विधि के निर्वचन और लागू होने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री अमित राज, कंसल्टेंट एवं एकजीक्यूटिव मेम्बर, एआईएलआईए और इस समारोह के संयोजक और संचालक ने सुश्री बारसे के कार्य के माध्यम से युवाओं को प्राप्त हुई दिशा को रेखांकित किया तथा समारोह के सभी सदस्यों का औपचारिक रूप से स्वागत किया।

'efgyk dññ%efgyk dññ; ñij nñu; kea igyh ckj /; ku\* %ññ iñt ul %oYM QLV Qkdl vññ oññ iñt ul %fo"ñ ij fnukd 17 t uojñ 2021 dks ofcukj

एआईएलआईए ने अनुभवी पत्रकार सुश्री शीला बारसे के साथ 'महिला कैदी : महिला कैदियों पर दुनिया में पहली बार ध्यान' (वुमेन प्रीजनर्स: वर्ल्डस फ़स्ट फोकस ऑन वुमेन प्रीजनर्स) विषय पर दिनांक 17 जनवरी, 2021 को एक वेबिनार आयोजित किया। यह वेबिनार सुश्री बारसे के साथ जनवरी, 2021 में आयोजित किए गए तीन वेबिनारों की श्रृंखला का द्वितीय वेबिनार था। वर्ष 1982 में, बम्बई शहर में पुलिस लाकअप में बंद रहते हुए महिला कैदियों पर कस्टोडियल हिंसा करने के बारे में सुश्री बारसे द्वारा संबोधित पत्र को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका के रूप में माना गया था। यह पत्र बम्बई सेंट्रल जेल में कैद पंद्रह महिलाओं से किए गए उनके साक्षात्कार पर आधारित था। इस

रिट याचिका के परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983) 2 एस. सी. सी. 96 वाले मामले में अपने निर्णय द्वारा पुलिस लाकअप में महिला कैदियों की संरक्षा के लिए निदेश जारी करने पड़े थे ।

‘यूकेल फ़र ओन&वर्ल्ड र उक्स्फ़िडल द्वा  
ल 'ड्र द्वाइसड्स, ह्ज्रर, ल 'ओ/कु ध  
व्क फ़्लोर्क\* 1/2 ह्बर्क य&न ओव्स्युबर्क अ  
व्क बर्क; उ द्वाव्क; व्कु व्बेर्क  
, ओज्क फ़िव्कतुल 1/2 ओ'क; इज फ़ुक्क 15  
तुओज्क 2021 द्वाओफ़ुक

‘भारतीय विधि संस्थान के पूर्व-छात्रों के संघ’ (एआईएलआईए) ने भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से ‘लोक हित वाद-औसत नागरिकों को सशक्त करने के लिए भारतीय संविधान की ओजस्विता’ (पीआईएल-दि वाइटेलाईजिंग आफ इंडियन कांस्टीट्यूशन टू एमपावर एवरेज सिटिजनस) विषय पर दिनांक 15 जनवरी, 2021 को एक वेबिनार आयोजित किया जिसमें सुश्री शीला बारसे, एक अनुभवी एक्टिविस्ट, एक क्रांतिकारी पत्रकार और अधिवक्ता मुख्य वक्ता थीं । प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान ने सुश्री बारसे का स्वागत किया और अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए उनका धन्यवाद किया । अपने शब्दों के माध्यम से सुश्री बारसे ने विभिन्न लोक हित वाद याचिकाएं फाइल करने के पीछे की अपनी प्रेरणा के बारे में श्रोताओं को जानकारी दी ।

, व्बर्क य्बर्क } क्क ह्ज्रर एअिड्क फ़ुद  
द्व, ड्क ह्क; द्वा इफ़ोड्क  
1/2; 1/2 क; य्क व्क, 1/2  
, ड'कु बु बर्क; 1/2 ओ'क; इज फ़ुक्क 13  
फ़नल 2020 द्वा, द्वा ओ'क क; कु

एआईएलआईए ने भारत में प्रशासनिक कार्यवाही का न्यायिक पुनर्विलोकन’ (ज्यूडिशियल रिव्यू आफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इन इंडिया) विषय पर दिनांक 13 दिसम्बर, 2020 को एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया । यह व्याख्यान श्री अमित राज अग्रवाल,

शिक्षाविद् और विधि परामर्शी (भारतीय विधि संस्थान के पूर्व-छात्र) द्वारा दिया गया । इस समारोह का सभापतित्व श्री आर. सी. मीणा, अध्यक्ष, एआईएलआईए द्वारा किया गया । श्री मीणा ने यह सुनिश्चित किया कि यह व्याख्यान इंटरनेट कनेक्टिविटी में तकनीकी बाधा के बावजूद निर्विघ्न आयोजित हो सके ।

ब्ल द्वा ड्वा एअिड्क/कड्सक=ह्क ओड्क  
ओज्क "B इड्क ध्क व्क; फ़/क ल ग्क  
नड्क कुड्कसफ़ेयहA ब्ल द्वा ड्क ल एकि  
ज्क- ल ह्क एह क्क व्क; {क, व्बर्क य्बर्क  
ड्क/क ओन इड्क ड्क ल क्क ग्क A

‘धर्म और धर्मनिरपेक्ष राजव्यवस्था पर गांधी’ (गांधी ऑन रिलीजन एंड सेक्यूलर पोलिटी) प्रसंग पर दिनांक 4 अक्टूबर, 2020 को वेबिनार राजनीति से धर्म को अलग करने की असंभाव्यता पर गांधी के विचार और हिंद स्वराज में आधुनिकता पर सतत हमले ने शिक्षाविदों, दार्शनिकों और ऐसे ही विद्वानों के बीच अनेक बहसों को जन्म दिया है । उनका यह धार्मिक दृष्टिकोण स्वयं में शैक्षणिक चर्चा का बड़ा विषय रहा है और लोगों को वशीभूत करता रहा है । इस विषय को रेखांकित करते हुए, एआईएलआईए ने ‘धर्म और धर्मनिरपेक्ष राजव्यवस्था पर गांधी’ (गांधी ऑन रिलीजन एंड सेक्यूलर पोलिटी) प्रसंग पर दिनांक 4 अक्टूबर, 2020 को एक वेबिनार आयोजित किया । यह कार्यक्रम इस कार्यक्रम के समन्वयक, श्री शिवम द्वारा कराए गए परिचय के साथ आरंभ हुआ और उसके पश्चात् प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान और संरक्षक एआईएलआईए द्वारा स्वागत भाषण दिया गया । इस पैनल में श्री संजय आर. हेगड़े, ज्येष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय, प्रोफेसर (डा.) एम. एच. इलियास, निदेशक, स्कूल आफ गांधीयन थॉट एंड डेवलपमेंट स्टडीज, महात्मा गांधी युनिवर्सिटी सम्मिलित थे । इस कार्यक्रम का समापन सुश्री नीमा नूर मोहम्मद, कार्यक्रम समन्वयक और सदस्य, कार्यकारी समिति, एआईएलआईए के स्वागत प्रस्ताव के साथ हुआ । सुश्री सुरभि पांडे, सदस्य, कार्यकारी समिति, एआईएलआईए ने भी कार्यक्रम के समन्वयक

के रूप में सेवा की ।

### ‘fjyod vkQ xkxh u ih IVI bu vkVZlgfVx jfl LVd \* fo"k ij fnukd 3 vDrwjl 2020 dks ofcukj

देशभर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर को श्रद्धापूर्वक गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है । सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा पर गांधी के नैतिक मूल्य विश्वभर के उन लोगों को प्रेरित करते रहे हैं जो उस बदलाव की खोज में लगे हैं जो वे विश्व में देखना चाहते हैं । एआईएलआईए ने ‘रिलेवेंस आफ गांधीयन प्रीसेप्ट्स इन आर्टिकुलेटिंग रेसिस्टेंस’ विषय पर दिनांक 3 अक्टूबर, 2020 को एक वेबिनार आयोजित किया । यह कार्यक्रम इस कार्यक्रम के समन्वयक श्री शिवम और सुश्री नीमा नूर मोहम्मद के स्वागत भाषणा से आरंभ हुआ । पैनल में सम्मिलित विद्वानों में, जिन्होंने इस विषय पर अपने सारगर्भित वचनों से इस विर्चुअल सभा को अलंकृत किया, प्रोफेसर (डा.) मृदुला मुखर्जी, प्रोफेसर, आधुनिक भारत का इतिहास (सेवानिवृत्त), सेंटर फार हिस्टोरिकल स्टडीज, जेएनयू, प्रोफेसर (डा.) जॉन एस. मूलक्कट्टू, प्रोफेसर एवं समन्वयक, सेंटर फार गांधीयन स्टडीज, केरल सेंट्रल युनिवर्सिटी, सुश्री शोभा गुप्ता, ज्येष्ठ काउंसिल और एडवोकेट आन रिकार्ड, भारत का उच्चतम न्यायालय थे । इस वेबिनार का समापन सुश्री सुरभि पांडे, कार्यक्रम समन्वयक और सदस्य, कार्यकारी समिति, एआईएलआईए के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ ।

### ‘Hkjr jRu Jh yky cglngj 'WL=h dh 116ohat le t a rli\* ij fnukd 2 vDrwjl 2020 dks ofcukj

भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और अकादमिक सत्यनिष्ठा के धनी राजनेता, श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर, 1904 को हुआ था । एआईएलआईए के सदस्यों द्वारा इस वर्ष उनकी 116वीं जन्म जयंती मनाने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया । उपायकुशल व्यक्तियों में श्री संजय दीक्षित, सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, राजस्थान

सरकार, विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल अवाड़ी मेजर जनरल जी. डी. बख्शी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री पर अनेक पुस्तकों के रचयिता श्री अनुज धर सम्मिलित थे । संयोजक सुश्री मिनि श्रीवास्तव, भारतीय विधि संस्थान की पूर्व-छात्रा और एआईएलआईए की कार्यकारी सदस्य तथा सहायक प्रोफेसर, एमिटी लॉ स्कूल, नोयडा थीं । सह-संयोजक श्री अमित राज अग्रवाल, भारतीय विधि संस्थान के पूर्व-छात्र और एआईएलआईए कार्यकारी परिषद् के सदस्य एवं विधि के क्षेत्र में एक स्वतंत्र अनुसंधानकर्ता थे । इस वेबिनार का समापन श्री आर. सी. मीणा, अध्यक्ष, एआईएलआईए के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ ।

### fof/k vkj dksom 19 ofcukj J[kyk

भारतीय विधि संस्थान और इस संस्थान के पूर्व-छात्र संघ ने कोविड-19 और विधि पर वेबिनार श्रृंखला आयोजित की । यह वेबिनार मई, 2020 में लॉक डाउन के दौरान आरंभ हुआ और जून, 2020 में इसका समापन हुआ । लॉक डाउन के दौरान मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा यूजीसी ने शैक्षणिक संस्थाओं और शिक्षाविदों को ऑनलाइन बौद्धिक क्रियाकलापों और अनुसंधान संबंधी प्रयास में लगने का निदेश दिया । यूजीसी ने प्राख्यानों की वेबिनार श्रृंखला के लिए घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर काम करने का सुझाव दिया । भारतीय विधि संस्थान के अनेक पूर्व-छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षण के पेशे में हैं । उन्होंने प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक के मार्गदर्शन और डा. अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर के पर्यवेक्षणाधीन ऑनलाइन अनुसंधान क्रियाकलाप की इस चुनौती को हाथ में लिया । तदनुसार, यह सोचा गया कि 20 मई, 2020 को उद्घाटन वेबिनार से आरंभ करके सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को वेबिनार का आयोजन किया जाए । ‘कोविड-19 के दौरान प्रवासी श्रमिकों के अधिकार, लॉ मीडिया और कोविड-19, कोविड-19 के पश्चात् के विश्व में संधार्य विकास का भविष्य, स्वास्थ्य का अधिकार और कोविड-19 तथा विधि शिक्षा के सेक्टर पर कोविड-19 का प्रभाव जैसे समकालीन विषयों को हाथ में लिया गया । वेबिनार श्रृंखला की समन्वयक

सुश्री मिनि श्रीवास्तव, भारतीय विधि संस्थान की पूर्व-छात्रा/सहायक प्रोफेसर, एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा थीं ।

**11th of July** में दिनांक 20 मई, 2020 को पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों अर्थात् श्री राकेश द्विवेदी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय, प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान और संरक्षक एआईएलआईए तथा श्री अमित वशिष्ठ, आंचलिक भविष्य निधि आयुक्त, श्रम मंत्रालय और मुखिया, लीगल डिविजन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालक डा. अनुराग दीप, एसोसिएट प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान एवं मुख्य सलाहकार, एआईएलआईए और संयोजक सुश्री मिनि श्रीवास्तव, सहायक प्रोफेसर, एमिटी लॉ स्कूल, नोएडा एवं कार्यकारी सदस्य, एआईएलआईए की मौजूदगी में 'कोविड-19 में भारत का शासन, प्रवासी कर्मचारों पर विशेष रूप से फोकस करते हुए' पर चर्चा की गई । इस वेबिनार में 55 वकील, शिक्षाविद् और विधि के छात्र सम्मिलित हुए । श्री राकेश द्विवेदी ने प्रवासी कर्मचारों की दुर्दशा और उनके द्वारा झेली जा रही समस्याओं का वर्णन किया । प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएन चार्टर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रुमेंट और भारत के संविधान को रेखांकित करते हुए कोविड-19 के दौरान विकसित देशों के मुकाबले भारत के प्रदर्शन की चर्चा की । श्री अमित वशिष्ठ, आंचलिक भविष्य निधि आयुक्त ने प्रवासी मजदूर संकट : कानूनी संरक्षण, सरकार की प्रतिक्रिया और दीर्घकालीन योजना पर कर्मचारों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न चुनौतियों पर बल देते हुए तथा नियोजक-कर्मचारी संबंध को साबित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए ।

**12th of July** दिनांक 7 मई, 2020 को आयोजित किया गया जिसमें 'लॉ, मिडिया और कोविड-19 मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर चर्चा की गई, जिसमें प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा, निदेशक, भारतीय विधि संस्थान और मुख्य संरक्षक, भारतीय विधि संस्थान पूर्व-छात्र संघ मुख्य अतिथि थे । पैनल में डा. मोहन परासेन, संयुक्त निदेशक, लोक सभा और भारत की संसद तथा डीडी न्यूज में टीएच

वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्यरत श्री सुधांशु रंजन सम्मिलित थे । श्री अमित राज, विधि अनुसंधानकर्ता, विधि परामर्शी, एआईएलआईए प्रतिनिधि संयोजक थे और सह-संयोजक सुश्री उपासना सिंह, सहायक प्रोफेसर (विधि), दिल्ली मेट्रोपोलिटन एजुकेशन (जीजीएसआईपीयू) और एआईएलआईए प्रतिनिधि थीं । इस वेबिनार में वकील, शिक्षाविद् और विधि के छात्र सम्मिलित हुए । डा. मोहन परासेन ने मुख्यधारा में की मिडिया द्वारा संचालित कार्यक्रमों में जांच-पड़ताल की कमी को उजागर किया । उन्होंने संस्थाओं की प्रति-संस्थागत जवाबदेही के महत्व को समझने पर भी जोर दिया । श्री सुधांशु रंजन ने यह कहा कि 'कोई विधि स्वयंमेव मिडिया को विनियमित नहीं कर सकती है' । उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि जब व्यक्तिगत एजेंडा हावी होता है तो सर्वप्रथम सत्य को चोट पहुंचती है । अंततः प्रोफेसर (डा.) मनोज कुमार सिन्हा द्वारा यह कहते हुए इसका समापन किया गया कि जब तक बनावटी समाचारों से किसी स्त्री, अल्पसंख्यक, समुदाय, व्यक्ति को क्षति न पहुंच रही हो, यह लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे आत्मचिंतन करें और सच्चाई का निर्णय करें । यह कार्यक्रम श्री अमित राज, संयोजक और सुश्री उपासना सिंह, सह-संयोजक द्वारा निर्बाध रूप से आयोजित किया गया ।

**13th of July** दिनांक 3 जून, 2020 को आयोजित किया गया जिसमें पर्यावरण और कोविड-19 के बीच परस्पर-संबंध का विश्लेषण कोविड-19 के पश्चात् विश्व में संधार्य विकास के भविष्य पर विशेष जोर देते हुए किया गया । पैनल में भारत के उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री संजय सेन और श्री संजय उपाध्याय, अधिवक्ता, पर्यावरण विधि विशेषज्ञ एवं इनवायरो-लीगल डिफेंस लॉ फर्म के मनेजिंग पार्टनर सम्मिलित थे । डा. विष्णु कोनूरायर, विभागाध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फार पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडीज, टीईआरआई ने सत्र का संचालन किया । संयोजक सुश्री सुरभि पांडे, अधिवक्ता, दिल्ली एवं कार्यकारी सदस्य, एआईएलआईए और सुश्री भावना मेहरोत्रा, रिसर्च स्कॉलर, विधि संकाय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं एआईएलआईए प्रतिनिधि थीं । इस

वेबिनार में लगभग 55 वकील, शिक्षाविद् और विधि के छात्र सम्मिलित हुए। श्री संजय सेन, अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय ने इस संकट के दौरान संस्थाओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में कमी के महत्वपूर्ण तथ्य को श्रोताओं के ध्यान में लाया गया तथा संकट की इस घड़ी में जब मानव अधिकारों को खुल्लम-खुल्ला अतिक्रमण हो रहा है, केवल जिस एक संस्था का आश्रय लिया गया वह भारत का उच्चतम न्यायालय है। श्री संजय उपाध्याय, अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच सह-संबंध पर एक व्यापक दृष्टिकोण रखा और इस बात पर बल दिया कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था सदैव सह-अस्तित्वशील रह सकते हैं और कारोबारों को इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।

**प्रोफेसर** 'लाक डाउन के दौरान घरेलू हिंसा : एक अदृश्य महामारी' विषय पर दिनांक 10 जून, 2020 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और संयोजक श्रीमती नीमा नूर मोहम्मद, सहायक लोक अभियोजक, महिला न्यायालय, राष्ट्रीय राजधारी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार थीं तथा माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष डीएसएलएसए और श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिष्ठित वक्ता थीं और संचालक (डा.) पी. पुनीत, एसोसिएट प्रोफेसर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली थे। वेबिनार में विभिन्न श्रोताओं की सहभागिता देखने को मिली जिनमें विधि के छात्र, विधि के क्षेत्र के शिक्षाविद् और बार के सदस्य सम्मिलित थे। माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली ने यह कहा कि जब तत्काल राहत की आवश्यकता पड़ती है तो संरक्षा अधिकारी, जिनके पास शक्ति है, इस पर कार्यवाही कर सकते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि न्यायालय ने अत्यावश्यकता होने के बावजूद कार्यवाही नहीं की है तो अपील न्यायालय है जिनका आश्रय लिया जा सकता है। जैसा कि कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम में है, आकस्मिक स्थितियों में अन्य न्यायालय सदैव कार्यवाही करने और राहत

प्रदान करने का सवोत्तम प्रयास करते हैं। इस लाक डाउन के दौरान भी, डीएसए ने भी विपदग्रस्त व्यक्तियों को राहत प्रदान करने और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा मोबाइल ऐप आरंभ किया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव एक कड़वी सच्चाई है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी होती है। सुश्री रेखा शर्मा ने रेखांकित किया कि घरेलू हिंसा के मामलों के संबंध में संपूर्ण लॉक डाउन के दौरान अनुभव सकारात्मक नहीं रहा है। यह महामारी हमारा पहला अनुभव है और इसलिए चर्चा अधिक प्रभावी और नवीकृत रीति में कार्य करने के तरीकों पर की गई। बहुत सारे उपाय किए जाने हैं और काम किया जाना शेष है।

**16 जून** दिनांक 17 जून, 2020 को आयोजित किया गया जिसमें 'कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य का अधिकार और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच के लिए चुनौतियों' पर गणमान्य वक्ताओं प्रोफेसर ए. पी. सिंह, 'सकायाध्यक्ष, स्कूल आफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ युनिवर्सिटी; श्री राणा मुखर्जी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय और श्री अशोक अग्रवाल, सोशल एक्टिविस्ट और अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा चर्चा की गई। इस सत्र का संचालन सुश्री मेघा नागपाल, सहायक प्रोफेसर, सिमबोसिस लॉ स्कूल द्वारा किया गया और संयोजन सुश्री राधिका, अधिवक्ता और भारतीय विधि संस्थान के पूर्व-छात्र संघ की संयुक्त सचिव द्वारा किया गया। इस वेबिनार में विभिन्न श्रोताओं की सहभागिता देखने को मिली जिनमें विधि के छात्र, विधिक शिक्षाविद् और बार के सदस्यों सहित कुल 175 सहभागी थे। प्रोफेसर ए. पी. सिंह ने नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच के अधिकार और इस पहलू पर न्यायालय के पूर्व-निर्णयों और ऐतिहासिक निर्णयों का भी उल्लेख किया। श्री मुखर्जी ने स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच के अधिकार को कार्यान्वित करने में न्यायालयों की भूमिका और नागरिकों के लिए इस अधिकार को सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों



को रेखांकित किया। श्री अग्रवाल ने उल्लेख किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोविड-19 के रोगियों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच के अधिकार को राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाए, उनके द्वारा एक एक्टिविस्ट के रूप में न्यायालयों के समक्ष रिट याचिकाएं फाइल की गई हैं।

**NBk ofculj** दिनांक 24 जून, 2020 को आयोजित किया गया जिसका मुख्य प्रसंग 'विधिक शिक्षा के सेक्टर पर कोविड-19 का प्रभाव और उस पर इसकी प्रतिक्रिया' (इम्पेक्ट आफ कोविड-19 आन लीगल एजुकेशन एंड इट्स रिस्पॉन्सिज देयरआन) था और मुख्य वक्ता प्रोफेसर (डा.) जी. एस. बाजपेयी, प्रोफेसर एवं रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली थे जिन्होंने कोविड-19 के समय में विधिक शिक्षा के विकास पर चर्चा की। कोविड-19 में जनशक्ति में कटौती और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता कम है इसलिए प्रौद्योगिकी के ज्ञान में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है और प्रशिक्षण के द्वारा यह किया जा सकता है। प्रोफेसर अर्जुना बी. मजूमदार, प्रोफेसर एवं संकायाध्यक्ष, एडमिशन एंड आउटरीच, सेंटर फार ग्लोबल कार्पोरेट एंड फाइनेंशियल लॉ एंड पालिसी,, जेजीएलएस ने पांच व्यवहारिक पहलुओं : मूलभूत शिक्षण और प्रशिक्षण, परीक्षाएं, दाखिले, इंटरनशिप और विदेशी दाखिले पर ध्यान केंद्रित किया। तकनीकी ज्ञान, इंटरनेट कनेक्टिविटी एक समस्या है और अभी

भी चुनौती बनी हुई है। इंटरनेट तक पहुंच अभी भी कुछ लोगों के हाथों में है। अनुसंधान तक पहुंच भी आफलाइन तरीके से होने के कारण समस्या रही है। प्रोफेसर (डा.) एम. के. प्रसाद, फुलब्राइट स्कॉलर, प्राध्यापक, वी. एम. साल्गोवाकर, कालेज आफ लॉ, गोवा ने भी पांच क्षेत्रों—दाखिले, ऑनलाइन कक्षाएं, अवसंरचना, मूल्यांकन और निर्धारण तथा शिक्षक और छात्र का मनोभाव पर ध्यान केंद्रित किया। तकनीकी ज्ञान का स्तर व्यापक नहीं है इसलिए यह विभाजन लाता है। नई कुशलाओं की आवश्यकता है। बिजली की कटौती, इंटरनेट भी समस्या बनी हुई है। कक्षाओं की अवधि के बारे में समय एक समस्या बनती है। जर्नल आफलाइन होने कारण घर पर उपलब्ध न होने की समस्या रहती है। लेपटॉप तक पहुंच सबसे बड़ी बाधा है। ऑनलाइन आमने-सामने कक्षाएं होना संभव है।

### इंटरनशिप

संस्थान ने अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के विधि के छात्रों को इंटरनशिप के अवसर प्रदान किए। विभिन्न विश्वविद्यालयों अर्थात् विवेकानंद इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, जोधपुर, जितेन्द्र चौहान कालेज आफ लॉ, मुम्बई, सेंट्रल युनिवर्सिटी, साउथ बिहार से लगभग 16 इंटरनशिप ने भाग लिया।

## XIII ई-लर्निंग सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम

### (i) बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

संस्थान द्वारा आईपीआर पर ई-लर्निंग प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम देशभर के अधिक से अधिक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री पहुंचाने के लिए पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियों के स्थान पर एक विकल्प और पूरक के रूप में प्रारंभ किया गया। इसमें अध्यापन की नई प्रणालियों, विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रम सामग्री, मूल्यांकन उपकरणों, डिर्लीवरी के सुसज्जित माध्यमों और अधिकाधिक पहुंच को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत अध्यापन संस्थान की वेबसाइट पर प्रभावशाली वातावरण में आयोजित होगा। भारतीय

विधि संस्थान के सूचीबद्ध अध्यापकों का एक नेटवर्क छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध है। छात्र और अध्यापक पाठ्यक्रम के दौरान प्रायः संपर्क में रह सकेंगे क्योंकि संप्रेषण ई-मेल द्वारा होगा।

जिस किसी के भी पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा है, वह संस्थान के ई-लर्निंग कार्यक्रम का लाभ उठा सकता है। पाठ्यक्रम को चार भागों में बांटा गया है: (1) पेटेंट्स (2) कॉपीराइट एंड नेबरिंग राइट्स (3) ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडीकेशनस एंड डोमेन नेम्स (4) मैनेजमेंट आफ आईपीआर। पाठ्यक्रम की अवधि तीन माह है। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान



47 से 49 बैच (तीन बैच) संचालित किए गए और नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या निम्नानुसार थी:-

47 बैच	42 अभ्यर्थी
48वां बैच	42 अभ्यर्थी
49वां बैच	47 अभ्यर्थी

डा. दीपा खरब, सहायक प्रोफेसर इस कार्यक्रम की समन्वयक थीं ।

## (ii) साईबर लॉ

आईपीआर पर ऑन लाईन सर्टीफिकेट कोर्स की ही तरह से भारतीय विधि संस्थान ने 2008-2009 में

साईबर लॉ पर तीन महीने का कोर्स शुरू किया जिसे चार अध्यायों में विभाजित किया गया – (1) साईबर विश्व का परिचय (2) विधिक रीतियां (3) साईबर अपराध (4) ई-कामर्स एवं साईबर लॉ में आईपीआर । रिपोर्टाधीन अवधि में 36वें से 38वां बैच (3 बैच) सम्पन्न हुए । प्रत्येक बैच के लिए नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित थी :-

36वां बैच	68 अभ्यर्थी
37वां बैच	71 अभ्यर्थी
38वां बैच	85 अभ्यर्थी

सुश्री आर्या ए. कुमार, सहायक प्रोफेसर इस कार्यक्रम की समन्वयक थी ।

## xiv l dk fdz kdyki

### lks 1/2eukl dckj fl Ugl funskdl Hkjrhl fof/k l LFku

- एल. सी. 2, विधि संकाय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित ओरियंटेशन कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करने के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
- महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2021 को 'रिसर्च मेथाडोलॉजी' विषय पर विधि विभाग के रिसर्च स्कालर्स को एक प्राख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
- स्वदेशी आत्म निर्भर भारत, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2021 को 'न्यू एजुकेशन पालिसी एंड सेल्फ एम्प्लायमेंट' विषय पर मुख्य भाषण देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
- नोलिज स्टीज, नई दिल्ली में दिनांक 14 मार्च, 2021 को 'लिट्रेचर एपिटोमाइजिंग सोसायटी एंड जस्टिस' विषय पर उद्घाटन भाषण देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया !

- नीति आयोग, भारतीय शिक्षण मंडल और नेशनल लॉ स्कूल, असम द्वारा 'रोल इन न्यू एजुकेशन पालिसी, 2020 इम्प्लीमेंटेशन: अवेयरनेस, ओरियंटेशन, चेलेंजिज एंड रिस्पोंसिबल विद स्पेशल थीम लीगल एजुकेशन फार रिस्पोंसिबल सिटिजनशीप' विषय पर दिनांक 13 मार्च, 2021 को उद्घाटन भाषण देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
- 'ह्यूमन राइट्स एज दि न्यू फ्रंटियर टु लीगल प्रेक्टिस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन – ट्रेंड्स टूवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन्स' विषय पर एक वेबिनार का संचालन करने के लिए आमंत्रित किया गया । इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सुश्री चैरी ब्लेयर और श्री एडम स्मिथ एंथनी थे । यह कार्यक्रम इंडियन सोसायटी आफ इंटरनेशनल लॉ द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2021 को आयोजित किया गया ।
- लॉ मंत्रा ट्रस्ट द्वारा विश्व महिला दिवस पर दिनांक 8 मार्च, 2021 को आयोजित एक दिवसीय वेबिनार में 'वायलेंस अगेंस्ट वूमेन एंड गर्ल्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज इन

- इंडिया : अंडरस्टैंडिंग दि इशूज एंड प्रमोटिंग लीगल इम्पावरमेंट' विषय पर एक वक्तव्य देने के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
- धर्मशास्त्र नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, जोधपुर के पीएच.डी. रिसर्च स्कालर्स के लिए 'वेरियस सोर्सिज टु कंडक्ट लीगल रिसर्च' विषय पर दिनांक 4 मार्च, 2021 को एक वक्तव्य दिया ।
  - महाराष्ट्र नेशनल लॉ स्कूल, नागपुर द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 201 को 'रिफोर्स इन इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी लॉज इन इंडिया' विषय पर आयोजित दो दिवसीय विर्चुअल नेशनल कांफ्रेंस का उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - आल्टरनेटिव अप्रोचिज टु इंटरनेशनल लॉ, 2020-2021 द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2021 को आयोजित 'क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन राइट्स: दि अनऐक्सपेक्टेड टेरेन्स' विषय पर एक वक्तव्य दिया ।
  - बिहार जूडिशियल एकेडमी द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए आयोजित 'ह्यूमन राइट्स: इशूज एंड चेलेंजिज' विषय पर दिनांक 19 फरवरी, 2021 को एक वक्तव्य दिया ।
  - भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2021 को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स' विषय पर एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - एस. एस. खन्ना गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद युनिवर्सिटी और ड्रॉयट पिनाले ग्रुप द्वारा संकाय विकास कार्यक्रम के सहभागियों के लिए दिनांक 16 फरवरी, 2021 को आयोजित 'राइट टू हेल्थ: इशूज एंड चेलेंजिज' विषय पर एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - मैसर्स श्याम पदमन एसोसिएट, केरल द्वारा दिनांक 14 फरवरी, 2021 को 'रिफ्यूजी लॉज : नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रस्पेक्टिव्स' विषय पर एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - दिनांक 30 जनवरी, 2021 को नई दिल्ली में 'न्यू एजुकेशन पालिसी एंड लीगल एजुकेशन' विषय पर डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल पब्लिक लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - इंस्टीच्यूट आफ आब्जेक्टिव स्टडीज, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2021 को 'अडेंटिफिकेशन आफ प्रिंसिपल फाउंडेशन फार ग्लोबल पीस' विषय पर दो दिवसीय ऑनलाइन इंटरनेशनल कांफ्रेंस में एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सहयोग से आयोजित एक वेबिनार में दिनांक 15 जनवरी, 2021 को 'प्रोटेक्शन आफ ह्यूमन राइट्स आफ वूमेन एंड चिल्ड्रन' विषय पर एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - गुजरात नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, अहमदाबाद द्वारा आयोजित 'हाव टु राइट डोक्टर्नल रिसर्च प्रोजेक्ट' पर दिनांक 15 जनवरी, 2021 को एक वक्तव्य दिया ।
  - प्रेस सूचना ब्यूरो, गुवाहटी द्वारा 'साईंस एंड टेक्नालॉजी एंड डेवलपमेंट आफ फोरस्ट्री' विषय पर दिनांक 11 जनवरी, 2021 को आयोजित एक वेबिनार में एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - सेंट्रल युनिवर्सिटी, कश्मीर द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 को एलएल.बी. और एलएल.एम. के छात्रों के लिए आयोजित अधिष्ठापन कार्यक्रम में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - इंडियन सोसायटी आफ इंटरनेशनल लॉ, नई दिल्ली के 49वें वार्षिक सम्मेलन में महामारी के दौरान दिनांक 19 दिसम्बर, 2020 को

- इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, ह्यूमनेटेरियन लॉ पर एक सत्र की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया ।
- शोभित युनिवर्सिटी, मेरठ द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 को आयोजित अधिष्ठापन कार्यक्रम में एल.एल. एम. के छात्रों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - सीयूएसएटी, कोच्चि द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 को आयोजित अधिष्ठापन कार्यक्रम में एल.एल. एम. के छात्रों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - नोलिज स्टीज, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2020 को 'ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर जस्टिस' विषय पर आयोजित एक वेबिनार में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - चाणक्य लॉ युनिवर्सिटी, पटना द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के सौजन्य में दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 को 'ह्यूमन राइट्स, ड्यूटिज एंड रिसपोन्सिबिलिटिज' विषय पर आयोजित एक वेबिनार में सम्मानित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - पश्चिम बंगाल विधिक सेवा प्राधिकरण, कोलकाता द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के सौजन्य में दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 को 'प्रोटेक्शन आफ ह्यूमन राइट्स' विषय पर आयोजित एक वेबिनार में सम्मानित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - इंद्रप्रस्थ युनिवर्सिटी, नई दिल्ली द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के सौजन्य में दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 को 'कांस्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया: कंटेम्परेरी इशूज एंड चेलेंजिज' विषय पर आयोजित एक वेबिनार में सम्मानित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - डीएसएनएलयू, विशाखापटनम द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 को आयोजित एक वेबिनार में सम्मानित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - रबिन्द्र भारती युनिवर्सिटी द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर, 2020 को 'वर्ल्डबल गुप्स एंड ह्यूमन राइट्स' विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - संविधान दिवस मनाने के लिए लॉ सोसायटी आफ फैकैल्टी आफ लॉ, अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को 'इंटरफेस बिटविन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटिज' विषय पर एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - आईआईटी लॉ स्कूल, खड़गपुर द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2020 को 'एमर्जिंग इशूज आन इंटरनेशनल लॉ' विषय पर एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - एमएनएलयू, औरंगाबाद द्वारा दिनांक 20 नवम्बर, 2020 को 'फाउंड दि लॉ इन लॉ लाइब्रेरी' विषय पर एल.एल. एम. और पीएच. डी. के छात्रों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - कांस्टीट्यूशनल लॉ सोसायटी, नेशनल लॉ स्कूल, उड़ीसा द्वारा दिनांक 01 नवम्बर, 2020 को 'ह्यूमन राइट्स विज-ए-विज ह्यूमन ड्यूटिज' विषय पर कोविड-19 महामारी के दौरान एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - सरदार वल्लभभाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता के 70 वर्षों को मनाने के लिए दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 को 'युनिटि एंड इंटिग्रिटी आफ नेशन' पर एक विशेष वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - जेआईएमएस, ग्रेटर नोएडा द्वारा दिनांक 26

- अक्टूबर, 2020 को आयोजित 'रिफ्यूजी लॉ एंड रिसैंट चेलेंजिज इन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ' विषय पर एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
- हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, शिमला द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 को ऑनलाइन एल.एल. एम. छात्रों के लिए आयोजित 'लीगल रिसर्च मेथाडालॉजी' विषय पर एक वक्तव्य देने लिए आमंत्रित किया गया ।
  - सेंट थॉमस कालेज आफ लॉ, ग्रेटर नोएडा द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 2020 को आयोजित 'दि कोविड-19 एंड दि लीगल प्रोफेसन-चेलेंजिज एंड प्रोस्पेक्ट्स' विषय पर सहभागियों को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, शिमला द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 2020 को 'लीगल रिसर्च मेथाडालॉजी, रिसर्च एंड पब्लिकेशन ऐथिक्स' विषय पर 16 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक ऑनलाइन 12 दिवसीय कंफेसिटी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागियों को पब्लिकेशन ऐथिक्स पर दिनांक 18 अक्टूबर, 2020 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - वीआईटी-एपी लॉ, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के छात्रों को 14 अक्टूबर, 2020 को 'इंडियन कांस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स' विषय पर एक वक्तव्य दिया ।
  - जीजी3 (कनेक्टिंग गवर्नड गर्वनिंग गवर्नेस) और ग्लोबल ट्रिब्यून द्वारा आयोजित 'ह्यूमन राइट्स विज-ए-विज ज्यूडिशियरी' विषय पर एक वेबिनार में दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को मुख्य भाषण दिया ।
  - सिमबायोसिस लॉ स्कूल, हैदराबाद द्वारा प्रो. (डा.) शामंद बशीर की स्मृति में 'चेंजिंग डाइमेंशंस आफ इंटेलेक्ट्यूअल प्रापर्टी फार डेवलेपमेंट' विषय पर आयोजित एक वेबिनार में दिनांक 11 अक्टूबर, 2020 को विदाई भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - गल्गोटियाज युनिवर्सिटी द्वारा 'लीगल रिसर्च पेपर राइटिंग' विषय पर दिनांक 10 अक्टूबर, 2020 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - लॉयड कालेज, ग्रेटर नोएडा के छात्रों को दिनांक 4 अक्टूबर, 2020 को 'हाव टु राइट ए रिसर्च पेपर' विषय पर एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के इटर्नस को 'इंटरनेशनल ह्यूमेनिटेरियन लॉ' पर 16 सितम्बर, 2020 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया
  - एचआरडीसी, पं. रविशंकर शुक्ला युनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एक वेबिनार में सहभागियों को 'राइट टु हेल्थ इशूज एंड चेलेंजिज' विषय पर दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - नरसी मोंजी इंस्टिट्यूट आफ मनेजमेंट स्टडीज, बंगलौर द्वारा आयोजित विर्चुअल मूट कोर्ट कम्पीटिशन के अंतिम राउंड में दिनांक 13 सितम्बर, 2020 को निर्णायक रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - दिनांक 12 और 14 सितम्बर, 2020 को ऑनलाइन रिफ्रेशर प्रोग्राम के सहभागियों को मानव अधिकारों के विषय पर कई सारे प्राख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - गुवाहटी युनिवर्सिटी द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को आयोजित वेबिनार के सहभागियों को 'राइट टु हेल्थ इशूज एंड चेलेंजिज' विषय पर एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - किशनचंद चेल्लाराम लॉ कालेज, मुम्बई के ऑनलाइन फेकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागियों को 'रोल आफ रेगुलेटरी बोडिज इन लीगल एजुकेशन' विषय पर दिनांक 25 अगस्त, 2020 को एक वक्तव्य देने के लिए

- आमंत्रित किया गया ।
- एस. एस. खन्ना गर्ल्स डिग्री कालेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और ज्योयट पेनल ग्रुप द्वारा ऑनलाइन कपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के सहभागियों के लिए आयोजित 'राइट टु हेल्थ: इशूज एंड चेलेंजिज' विषय पर दिनांक 22 अगस्त, 2020 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के इंटरनेशनल ह्युमन राइट्स विषय पर दिनांक 18 अगस्त, 2020 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - महाराष्ट्र नेशनल लॉ स्कूल, नागपुर द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2020 को आयोजित 'टाइप्स आफ सेम्पलिंग' विषय पर पीएच. डी. के छात्रों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - इंडिपेंडेंट थॉट, नई दिल्ली द्वारा 'चाइल्ड राइट्स एंड दि कांस्टिट्यूशन आफ इंडिया' विषय पर आयोजित वेबिनार का दिनांक 15 अगस्त, 2020 को उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - रोनल्ड डिवाकिन स्टडी सर्कल एंड कांस्टिट्यूशनल लॉ सोसायटी एनएलयूओ, उड़ीसा द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2020 को आयोजित 'हाव कांकिंग ओपिनियन मेटर?' विषय पर न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर मेमोरियल पब्लिक लेक्चर में भाग लेने के लिए सम्मानित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - केएसएलयू हुबली, कर्नाटक द्वारा आयोजित पब्लिक लॉ में सात दिवसीय नेशनल लेवल फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागियों के लिए 'राइट टु हेल्थ इशूज एंड चेलेंजिज' विषय पर दिनांक 8 अगस्त, 2020 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - फैकल्टी आफ एजुकेशन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा आयोजित 'नई शिक्षा नीति, 2020' विषय पर दिनांक 6 अगस्त, 2020 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के इंटरनेशनल ह्युमन राइट्स विषय पर दिनांक 28 जुलाई, 2020 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - लीगल अवेरनेस एंड लिटरेसी कमेटी (एलएलसी), एमिटी लॉ स्कूल द्वारा एडवोकेट कम्पेन फार थॉट रिवोल्यूशन के साथ मिलकर आयोजित एडव्यूजीपी, शांति कुंज, हरिद्वार के तत्वाधान में दिनांक 23 जुलाई, 2020 को 'इम्पोर्टेंस आफ फंडामेंटल राइट्स इन डे टु डे लाइफ' विषय पर एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - विधि विभाग, शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा 'इनोवेटिव टिचिंग लर्निंग मेथड्स एंड रिसर्च इन लॉ: चेलेंजित ऐंहेड' विषय पर एक दिवसीय फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागियों के लिए दिनांक 18 जुलाई, 2020 को विदाई भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, शिमला द्वारा आयोजित 'थिमेटिक इन क्लीनिकल लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च पर 'एन आरग्यूमेंट फार ह्युमन राइट्स क्लीनिक: ए मोड टू हैव एक्सप्रियेंस एंड सेंसिटाइज्ड प्रोफेशनल्स' वेबिनार श्रृंखला-सह-एफडीपी पर दिनांक 16 जुलाई, 2020 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - इंडियन सेंटर फार क्लीनिकल लीगल एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'क्लीनिकल लीगल एजुकेशन, 2020' पर इंटरनेशनल एफडीपी के सहभागियों को दिनांक 12 जुलाई, 2020 को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित

- किया गया ।
- बंगलोर युनिवर्सिटी, बंगलोर द्वारा आयोजित 'प्रोटेक्शन आफ ह्युमन राइट्स ड्यूरिंग पेंडामिक' विषय पर इंटरनेशनल विर्चुअल वर्कशाप में 'राइट टु हेल्थ: नेशनल प्रस्पेक्टिव्स' पर दिनांक 10 जुलाई, 2020 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - राजीव गांधी नेशनल युनिवर्सिटी आफ लॉ के पीएच. डी. स्कॉलर के लिए 'पब्लिकेशंस एथिक्स' पर दिनांक 5 जुलाई, 2020 को एक प्राख्यान दिया ।
  - आईसीएआई युनिवर्सिटी, त्रिपुरा द्वारा फैकल्टी डेवलेपमेंट प्रोग्राम के सहभागियों के लिए आयोजित 'कोविड 19 एंड राइट टु हेल्थ' विषय पर दिनांक 4 जुलाई, 2020 को एक वक्तव्य दिया ।
  - ऐडम्स युनिवर्सिटी, कोलकाता के छात्रों को 'स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरनेशनल लॉ' पर दिनांक 4 जुलाई, 2020 को एक वक्तव्य दिया ।
  - कृस्तु जयंती कालेज आफ लॉ, बंगलुरु द्वारा आयोजित 'ज्यूडिशियल डिले इन एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस' विषय पर दिनांक 3 जुलाई, 2020 को वक्तव्य देने के लिए एक मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - लीगल एकेडमिया द्वारा आयोजित 'राइट टु हेल्थ: नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रस्पेक्टिव' विषय पर दिनांक 27 जून, 2020 को एक विशेष वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - आईएमएस, नोएडा द्वारा आयोजित प्रथम नेशनल मूट कोर्ट कम्पीटिशन के सहभागियों को दिनांक 25 जून, 2020 को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - लीगल फोक्सिज और जेईएमटीईसी द्वारा डीएलएसए, नई दिल्ली के साथ मिलकर आयोजित प्रथम नेशनल मूट कोर्ट कम्पीटिशन के सहभागियों को दिनांक 22 जून, 2020 को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - स्कूल आफ लीगल स्टडीज, कोचिन युनिवर्सिटी आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, केरल द्वारा 'कंटेम्परेरी इशूज आफ लॉ' विषय पर वेबिनार श्रृंखला-सह-एफडीपी के सहभागीरों के लिए आयोजित 'राइट टु हेल्थ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ स्टेट' पर दिनांक 20 जून, 2020 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - जैन बुंदेलखंड कालेज आफ लॉ, ललितपुर द्वारा 'मनेजिंग दि इम्पैक्ट आफ कोविड-19 आन हायर एजुकेशन टिचिंग पेडागोजी: एक्सेसिबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ग्लोबली' विषय पर आयोजित इंटरनेशनल वेबिनार के उद्घाटन समारोह में दिनांक 13 जून, 2020 को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया ।
  - आईसीएफआई युनिवर्सिटी, देहरादून द्वारा 6 जून से 12 जून, 2020 तक आयोजित 'स्ट्रक्चर्ड एक्सप्रीएंशियल लर्निंग आन वेरियस प्रेक्टिल लीगल ऐरिनाज' पर वेबिनार-सह-एफडीपी के सहभागियों को 'इंटरनेशनल लॉ विद रिस्पेक्ट टु ह्युमन राइट्स' विषय पर दिनांक 11 जून, 2020 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - वीआईपीएस द्वारा 1-6 जून, 2020 तक 'टीचिंग टेक्नीक टु टीच इंटरनेशनल ह्युमन राइट्स लॉज इन दि प्रेजेंट ईरा' पर आयोजित वेबिनार श्रृंखला-सह-एफडीपी में दिनांक 2 जून, 2020 को एक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित किया गया ।
  - नार्थ कैप युनिवर्सिटी द्वारा दिनांक 30 मई से 02 जून, 2020 तक वेबिनार श्रृंखला-सह-एफडीपी के सहभागियों के लिए आयोजित 'कोपिंग विद दी ट्रांजिशन इन लीगल एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19: दि वे फार्वर्ड' विषय पर दिनांक 30 मई, 2020



- को एक वक्तव्य दिया ।
- सेटर फार कांस्टीट्यूशन एंड पब्लिक युनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट आफ लीगल स्टडीज, पंजाब युनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 'कोविड-19 वउ टुडेज वर्ल्ड: चेलेंजिज टु दि प्रोटेक्शन आफ फंडामेंटल राइट्स' विषय पर एक वेबिनार में दिनांक 16 मई, 2020 को एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया ।
- काइस्ट युनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 'इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड रोल आफ स्टेट इन प्रोटेक्टिंग राइट्स टु हेल्थ' विषय पर दिनांक 8 मई, 2020 को एक वक्तव्य दिया ।

## इस मकल, l - f' lodekj] fl fu; j i kQl j

- & मेनन इंस्टीच्यूट आफ एडवोकेसी ट्रेनिंग (एमआईएलएटी) द्वारा कामनवेल्थ इंस्टीट्यूट आफ जस्टिस एजुकेशन एंड रिसर्च (सीआईजेआईआर) के साथ मिलकर लायड लॉ कालेज, नोएडा में दिनांक 20 मार्च, 2020 को 'कामनवेल्थ कम्परेटिव कांस्टीट्यूशन एंड पब्लिक लॉ साउथ एशियन कोलोक्वम आन राइट्स एंड लिबर्टीज इन पेंडामिक-कांस्टीट्यूशनल चेलेंजिज एंड ज्यूडिशियल रिस्पोंस इन साउथ एशिया' में आरंभिक भाषण दिया ।
- गर्वनमेंट लॉ कालेज, थिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित मीडिया लॉ एंड एथिक्स सर्टीफिकेट प्रोग्राम में दिनांक 2 मार्च, 2021 को 'रेगूलेशन आफ दि प्रिंट मीडिया' पर एक व्याख्यान दिया ।
- एमसीटी कालेज आफ लीगल स्टडीज, माल्लापुरम, केरल द्वारा आयोजित 'मीडिया एंड डिमाक्रेसी: ट्रेंड्स एंड चेलेंजिज इन इंडिया' विषय पर दिनांक 25 फरवरी, 2021 को एक व्याख्यान दिया ।
- गर्वनमेंट लॉ कालेज, थिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स सर्टीफिकेट प्रोग्राम' के उद्घाटन सत्र में

दिनांक 17 फरवरी, 2021 को मुख्य भाषण दिया ।

- कॉमन वेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (सीएलईए) और लॉयड लॉ कालेज, नोएडा द्वारा आयोजित 'ह्यूमन राइट्स डे सैलिब्रेशंस' पर एक वेबिनार में दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 को सम्मानित अतिथि थे ।
- कॉमन वेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (सीएलईए) और एशिया एंड मार ग्रीगोरियस कालेज आफ लॉ त्रिवेंद्रम द्वारा आयोजित 'ह्यूमन राइट्स डे' पर एक वेबिनार में दिनांक 10 दिसम्बर, 2020 को सम्मानित अतिथि थे ।
- विधि विभाग, श्री वेंकटेश्वर युनिवर्सिटी, तिरुपति, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित 'कांस्टीट्यूशन डे सैलिब्रेशंस' पर एक वेबिनार में दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को सहभागियों को संबोधित किया ।
- स्कूल आफ लॉ, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी एंड साइंस, तमिलनाडु द्वारा आयोजित 'कांस्टीट्यूशन डे प्रोग्राम' पर एक वेबिनार में सहभागियों को संबोधित किया ।
- मेनन इंस्टीच्यूट आफ लीगल एडवोकेसी ट्रेनिंग (एमआईएलएटी) द्वारा भारतीय विधि संस्थान (आईएलआई) और अन्य प्रमुख विधि संस्थानों के साथ 'पुलिस सिस्टम इंडिया सीरिज' पर वेबिनारों की एक श्रृंखला आयोजित की, अध्यक्षता की और सहभागियों को संबोधित किया:
  - ' दिनांक 8 अगस्त, 2020 को 'उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था' पर प्रथम वेबिनार ।
  - ' दिनांक 22 अगस्त, 2020 को 'उत्तराखंड और बिहार में पुलिस व्यवस्था' पर द्वितीय वेबिनार ।
  - ' दिनांक 29 अगस्त, 2020 को 'महाराष्ट्र में पुलिस व्यवस्था' पर तृतीय वेबिनार ।
  - ' दिनांक 12 सितम्बर, 2020 को 'दिल्ली में

- पुलिस व्यवस्था और केन्द्रीय पुलिस' पर चतुर्थ वेबिनार ।
- ' दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को 'असम और अरुणाचल प्रदेश में पुलिस व्यवस्था' पर पांचवा वेबिनार ।
  - ' दिनांक 19 सितम्बर, 2020 को 'तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था' पर छठा वेबिनार ।
  - ' दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को 'आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पुलिस व्यवस्था' पर सातवां वेबिनार ।
  - ' दिनांक 26 सितम्बर, 2020 को 'लक्षदीप, हिमाचल प्रदेश और केरल में पुलिस व्यवस्था' पर आठवां वेबिनार ।
  - ' दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को 'सिक्किम और मेघालय में पुलिस व्यवस्था' पर नौवां वेबिनार ।
  - ' दिनांक 2 अक्टूबर, 2020 को 'मिजोरम, पंजाब और हरियाणा में पुलिस व्यवस्था' पर दसवां वेबिनार ।
  - ' दिनांक 3 अक्टूबर, 2020 को 'कर्नाटक और गुजरात में पुलिस व्यवस्था' पर ग्यारहवां वेबिनार ।
  - ' दिनांक 7 अक्टूबर, 2020 को 'अंडमान, झारखंड और मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था' पर बारहवां वेबिनार ।
  - ' दिनांक 10 अक्टूबर, 2020 को 'मणिपुर, और नागालैंड में पुलिस व्यवस्था' पर तेरहवां वेबिनार ।
  - ' दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 को 'पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर तथा लदाख में पुलिस व्यवस्था' पर चौदहवां वेबिनार ।
  - ' दिनांक 17 अक्टूबर, 2020 को 'राजस्थान, उड़ीसा और त्रिपुरा में पुलिस व्यवस्था' पर पंद्रहवां वेबिनार ।
  - ' दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 को 'केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए)' पर सोलहवां वेबिनार ।
  - ' दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 को 'गोवा और पांडिचेरी में पुलिस व्यवस्था' पर सतरहवां वेबिनार ।
- एएलआईएन की 16वीं आम बैठक में भाग लिया और दिनांक 18 सितम्बर, 2020 को कोरियन लीगल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सियोल, साउथ कोरिया द्वारा विर्चुअल तरीके से आयोजित 'इंटरनेशनल कांफ्रेंस फार फेडिंग बोर्डर्स इन एशिया' में एक वक्ता थे ।
  - बनारस हिंदू युनिवर्सिटी लॉ स्कूल द्वारा दिनांक 2 जून, 2020 को 'लॉ रिलेटिंग टु पेंडामिक एंड हेल्थ सर्विसिज इन इंडिया' पर आयोजित नेशनल वेबिनार में मुख्य वक्ता थे ।
  - मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै न्यायापीठ, मदुरै द्वारा तमिलनाडु ज्यूडिशियल अकेडमी रीजनल सेंटर, मदुरै में दिनांक 29 फरवरी, 2021 और 01 मार्च, 2021 को 'सैक्सुअल ह्रासमेंट आफ वुमेन एट दि वर्कप्लेस—प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिडरेशन' पर प्रशिक्षण—सह—जागरूका कार्यक्रम में 'प्रिवेंशन और सैक्सुअल ह्रासमेंट एट वर्कप्लेस, बेस्ट प्रक्टिसिज एंड ग्लोबल नार्मस इंटरनेशनल लॉज कन्वेंशन्स एंड ट्रिटीज' विषय पर एक व्याख्यान दिया ।
  - लॉयड लॉ कालेज द्वारा एसएएआरसीएलएडब्ल्यू (साउथ एशियन एसोसिएशन फार रीजनल कोआप्रेसन इन लॉ) और एमआईएलएटी (मेनन इंस्टीट्यूट आफ लीगल एडवोकेसी ट्रेनिंग) के साथ मिलकर दिनांक 21 से 23 फरवरी, 2021 तक आयोजित पांचवा प्रो. एन. आर. माधव मेनन एसएएआरसीएलएडब्ल्यू मूट कम्पीटिशन, लॉ स्टुडेंट्स कांफ्रेंस एंड कोलोक्यूअम 2020-21 में आरंभिक भाषण दिया । उन्होंने इस विषय का परिचय कराया और 'पब्लिक लॉ एंड गुड गवर्ननेंस' पर कामनवेल्थ कम्परेटिव कांस्टीट्यूशनल एंड पब्लिक लॉ (3सीपीएल) कोलोक्यूअम के

उद्घाटन सत्र में दिनांक 22 और 23 फरवरी, 201 को अपना वक्तव्य दिया ।

### इस 1/2 वृत्त नहीं

- & हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुरुग्राम में 23 दिसम्बर, 2020 को रूल आफ लॉ पर अपना वक्तव्य दिया ।
- & सीआरपीफ अकादमी, गुरुग्राम में एंटी टेरेर लॉज एंड ह्यूमन राइट्स: एंटी टेरेर लॉज एंड जेंडर सेंसिटिवाइजेशन विषय पर दिनांक 8, 12, 16 दिसम्बर, 2020 को अपना वक्तव्य दिया । इस कार्यक्रम में डीआईजी सहित बहुत सारे अधिकारी सम्मिलित हुए ।
- राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उत्तरी क्षेत्र के लिए 'महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध I—क्या महिला अश्लिल प्रदर्शन अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य वर्तमान विधियां पर्याप्त हैं' पर दिनांक 02 दिसम्बर, 2020 को लॉ रिव्यू कंसलटेशन ।
- काइस्ट युनिवर्सिटी, नोएडा के विधि संकाय के पीएच. डी. छात्रों के लिए दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 को एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण में संबोधन किया ।
- & केरल सेंट्रल युनिवर्सिटी में दिनांक 30 नवम्बर, 2020 को 'लीगल एंड ज्यूडिशियल प्रेस्पेक्टिव आफ हेल्थकेयर मॉडल्स' पर तीन दिवसीय सम्मेलन में 'राइट टू हेल्थ—ज्यूडिशियल डिस्कॉर्स' में अपना वक्तव्य दिया ।
- इंडीग्रल युनिवर्सिटी, लखनऊ में दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को संविधान दिवस पर अपना वक्तव्य दिया ।
- 'साइबर काइम्स अगेन्स्ट वूमेन' के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित और महाराजा अग्रेसर इंस्टिट्यूट आफ मनेजमेंट स्टडीज (एमएआईएमएस), इंदरप्रस्थ युनिवर्सिटी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 'जेंडर बेस्ड वायलेंस इन डिजिटल स्पेस' पर एक दिवसीय नेशनल वेबिनार में दिनांक 6

नवम्बर, 2020 को अपना वक्तव्य दिया ।

- एशियन लॉ कालेज (एएलसी) में दिनांक 17 अक्टूबर, 2020 को 'गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी: ए ग्लोबल प्रेस्पेक्टिव' पर विर्चुअल कांफ्रेस 2020 में एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की ।
- लॉ लेबोरेटरी द्वारा कोर्ट कचेहरी के सहयोग से दिनांक 4 अक्टूबर, 2020 को आयोजित 'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एंड एनडीपीएस ऐक्ट' पर के वेबिनार के लिए उपायकुशल व्यक्ति के रूप में ऑनलाइन व्याख्यान दिए ।
- उपायकुशल व्यक्ति के रूप में आमंत्रण पर निम्नलिखित रिसर्च वर्क तैयार किया गया:
- दांडिक विधि सुधार समिति (2020) के लिए अर्नेश कुमार वाले मामले के दिशा-निर्देशों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में सम्मिलित करने के लिए एक मॉडल संशोधन विधेयक—10 अक्टूबर, 2020.
- कानूनों का निर्वचन पर (15 नवम्बर को) पंजाब युनिवर्सिटी, चंडीगढ़ के लिए एल. एल. एम. पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन सामग्री और मेंस रिया, क्रिमिनल लॉ थीम— 10 दिसम्बर, 2020.
- अनुराग दीप ने आमंत्रण प्राप्त होने पर उपायकुशल व्यक्ति के रूप में निम्नलिखित वेबिनारों में भाग लिया:
- लॉ लेबोरेटरी ने कोर्ट कचेहरी के सहयोग से दिनांक 19 सितम्बर, 2020 को डिजिटलाइजेशन आफ लीगल रिसर्च एंड ड्राफ्टिंगपरएक वेबिनार आयोजित किया ।
- पं. रविशंकर शुक्ला युनिवर्सिटी, रायपुर (सी. जी.) द्वारा 07—19 सितम्बर, 2020 को 'करंट चेलेंजिज एंड लीगल इसुज' — रिफ्रेशर कोर्स इन लॉ । व्याख्यान के लिए विषय 'कोविड —लेजिसलेटिव मयिर्स' (16 सितम्बर) और को 'ज्यूडिशियल रिव्यू—करंट ट्रेंड्स (18 सितम्बर, 2020) था ।

- आरएमएलएनएलयू लखनऊ और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को 'प्रोस्पेक्टस एंड चेलेंजिज इन मल्टी-लिंग्वल लीगल एजुकेशन इन दि प्रेस्पेक्टिव आफ न्यू एजुकेशन पालिसी 2020' पर नेशनल वेबिनार ।
- वीएसएसडी कालेज, कानपुर के विधि विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति, 2020 पर दिनांक 8 सितम्बर, 2020 को एक नेशनल वेबिनार ।
- प्रशांत भूषण अवमानना मामले में दोषसिद्धि और दंड पर (31 अगस्त) और 'क्या महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है' पर देश मंथन, ऑनलाइन न्यूज मीडिया चैनल पर 13 सितम्बर, 2020 को पैनल चर्चा ।
- इंडो पाक डायलॉग पर वेबिनार – भारत और पाकिस्तान शैक्षणिक मुद्दों पर कैसे सीख ले सकते हैं, 31 अगस्त, 2020.
- ग्राफिक ईरा हिल युनिवर्सिटी, देहरादूर में दिनांक 25 अगस्त, 2020 को 'राइट टू हेल्थ एंड लेसन्स फ्राम कोविड-19' विषय पर 'चेंजिंग सोशियो-लीगल डायनामिक्स एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एमिडस्ट कोविड-19' पर पांच दिवसीय विर्चुअल कोलोक्यूम ।
- स्कूल आफ इंवायरमेंट साइंसिज (एसईएस) और स्पेशल सेंटर फार डिजास्टर रिसर्च (एससीडीआर), जेएनयू, नई दिल्ली द्वारा रोल आफ ज्यूडिशियरी डयूरिंग एमरजेंसी, 14 जुलाई को और लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, विधि संकाय, लखनऊ युनिवर्सिटी द्वारा 6 जुलाई से 10 जुलाई तक दो पांच दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम में 06 जुलाई, 2020 को 'दि इंटरोडक्शन आफ दि लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी' ।

### ikQl j ½Mk½T; kfr Mxjk l w

- जीएलएस युनिवर्सिटी के एल.एल. एम. के छात्रों को 'किमिनोलॉजी, पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी पर दिनांक 5 मार्च, 2021 को एक विशेष व्याख्यान दिया ।

- इंडीपेंडेंट थॉट द्वारा दिनांक 12 सितम्बर, 2020 को 'चाइल्ड इन कांफ्लिक्ट विद लॉ: नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रेस्पेक्टिव' विषय पर आयोजित चाइल्ड राइट्स लॉ एजुकेशनल वेबिनार सीरिज 2020 में एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया ।
- दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण की मेजबानी में 'एक्सेस टू जस्टिस थ्रो विडियो-कांफ्रेंसिंग-ए वे फारवर्ड' विषय पर दिनांक 12 मई, 2020 को एक तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की गई ।
- दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण की मेजबानी में दिनांक 1 मई, 2020 को 'चेलेंजिज इन लीगल ऐंड डयूरिंग लॉक डाउन एंड बियॉड' पर एक वेबिनार में 'लीगल ऐंड फार चिल्ड्रन' विषय पर एक वक्तव्य दिया ।

### Mk nhik [kj] l gk d i kQl j ¼l , l ½ i z k ku

- विले के जर्नल आफ वर्ल्ड इंटेलेक्ट्युल प्रापर्टी लॉ में वाल्यूम 24, अंक 1-2, 2021 में 'लीगल कंन्डम ओवर रेगुलेशन आफ ऐक्सस एंड बेनिफिट शेयरिंग ओब्लिगेशंस इन डिजिटल सिक्वेस इंफोर्मेशन ओवर जेनेटिक रिसार्सिज -एसेसिंग इंडियन पोजिशन' नामक शीर्षक पर लेख ।
- एएसआईएल 2018 में 'साइबर लॉ' पर लेख का प्रकाशन ।
- एसएजीई के मेडिको लीगल जर्नल, 2021 में 'शेयरिंग जेनेटिक रिसोर्सिज फेयरली बिटविन नेशन्स' शीर्षक पर लेख ।
- 'रोल आफ इंटेलेक्ट्युल प्रापर्टी राइट्स इन एग्रीकल्चर इन इंस्योरिंग फुड सिक्योरिटी: एन इंडियन प्रेस्पेक्टिव' शीर्षक के एक अध्याय का सह-लेखन जो ऐकुमेन पब्लिसर्स यूटरेष्ट, दि नीदरलैंड द्वारा संपादित पुस्तक 2020 में प्रकाशित हुआ ।
- साइबर लॉ 2019, 2020 में एएसआईएल

- 2019 में प्रकाशित ।
- 'राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी: ए न्यू टूल टू अनलॉक डिजिटल कम्पीटिशन' शीर्षक लेख

का सह-लेखन जो आईएलआईएलआर, वाल्यूम 2020 अंक 2 में प्रकाशित हुआ ।

## xv. l okfuofRr

श्री आर. राधाकृष्णन्, सिनियर स्टेनाग्राफर भारतीय विधि संस्थान में लगभग 35 वर्ष की सफलतापूर्वक सेवा करने के उपरांत दिनांक 31 जुलाई, 2020 को सेवानिवृत्त हुए ।

## xvi. vkxkeh dk Zdyki

, y, y- , e- vls LukrdlRj fMykek ijk{k a

पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाएं माह जुलाई, 2021 में आरंभ होंगी और एलएल. एम. के समेस्टर अंत की परीक्षाएं सितम्बर, 2021 से आरंभ होना तय किया गया हैं ।

### भावी प्रकाशन

**भारतीय विधि संस्थान की पत्रिका (जर्नल आफ दि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट)**

- खंड 63 (2) ( अप्रैल - जून, 2021)
- खंड 63 (3) ( जुलाई - सितम्बर 2021)
- खंड 63 (4) (अक्टूबर - दिसम्बर, 2021)
- खंड 64 (1) (जनवरी- मार्च, 2022)

**भारतीय विधि संस्थान समाचार पत्रक**

- खंड XXIII सं. 2 (अप्रैल - जून, 2021)
- खंड XXIII सं. 3 (जुलाई - सितम्बर, 2021)
- खंड XXIII सं. 4 (अक्टूबर - दिसम्बर, 2021)
- खंड XXIV सं. 1 (जनवरी - मार्च, 2022)
- ऐन्युअल सर्वे आफ इंडियन लॉ - 2020
- इंडेक्स टू इंडियन लीगल पीरियोडिकल्स - 2018 और 2019

**पुस्तकें :** लीगल रिसर्च एंड राइटिंग: न्यू प्रस्पेक्टिव



## दाखिले

पी.एच.डी. / एल.एल.एम. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (2021-2022 बैचों के लिए) दाखिला प्रक्रिया 01 जुलाई, 2021 से आरंभ होगी।

**l fesyu@i f' k k k dk Zle**

**vk knh dk ver egkl o% Hkjr dh**

## Lorark dh 75ohao"lkB dsl ekjkg

भारतीय विधि संस्थान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मनाने के लिए स्वतंत्रता के अमृत समारोह के प्रसंग 'आजादी का अमृत महोत्सव' के सूत्रपात के रूप में विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से चालू वित्त वर्ष के शेष भाग के दौरान विर्चुअल तरीके से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना जारी रखेगा, जो निम्नलिखित हैं:—

fnul fnukd vls l e;	Uke@dk Zle dk Fke
शुक्रवार 16 अप्रैल, 2021, 4.00 बजे अपराह्न	आजादी का अमृत महोत्सव : कांफ्रेंस आन कम्पूनल हारमनी एंड गांधी मुख्य वक्ता : प्रो. सुचेता महाजन, जेएनयू
सोमवार 9 अगस्त, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	विषय : कंटेम्परेरी डेवलेपमेंट आफ लीगल एजुकेशन इन इंडिया मुख्य वक्ता : एन. एल. मित्रा, भूतपूर्व कुलपति, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, बंगलोर और जोधपुर
मंगलवार 10 अगस्त, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	विषय : हयूमन सफरिंग, दि कांस्टिट्यूशन एंड दि इंडियन स्टेट : रिफ्लेक्शन्स / 75 मुख्य वक्ता : प्रो. जी. मोहन गोपाल, भूतपूर्व निदेशक, नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी भोपाल और एनएलएसआईयू, बंगलोर/मेम्बर, एकेडमिक कौंसिल, आईएलआई
बुधवार 11 अगस्त, 2021 3.00 बजे अपराह्न	विषय : इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर एंड कोआपरेटिव फेडरलिजम मुख्य वक्ता : प्रो. वी. विजय कुमार, कुलपति, नेशनल लॉ इंस्टीच्यूट युनिवर्सिटी, भोपाल
वीरवार 12 अगस्त, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	विषय : कांस्टीट्यूशनेलिजम एंड डिमोक्रेसी इन इंडिया, थ्योरी एंड प्रेक्टिस मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) एम. पी. सिंह, प्रोफेसर आफ लॉ, ओ. पी. जिंदल ग्लोबल युनिवर्सिटी
शुक्रवार 13 अगस्त, 2021 2.00 बजे अपराह्न	विषय : वर्किंग आफ दि कांस्टीट्यूशन एंड कंटेम्परेरी चेलेंजिज मुख्य वक्ता : प्रो. पी. एस. जसवाल, कुलपति, एसआरएम युनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा
वीरवार 19 अगस्त, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	विषय : दि प्रोग्रेसिव अनफोल्डिंग आफ दि इंडियन कांस्टीट्यूशन मुख्य वक्ता : प्रो. सुबीर के. भटनागर, कुलपति, आरएमएलएनएलयू, लखनऊ
मंगलवार 7 सितम्बर, 2021 3.00 बजे अपराह्न	विषय : ज्यूडिशियल एक्टिविजम : फंडामेंटल राइट्स एंड दि ब्राजिलियन सुप्रीम कोर्ट हाउस डिसिजन्स डयूरिंग कोविड-19 मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) डेलटान रिबेरो ब्रासिल युनिवर्सिटी आफ लताउना, मिनास जेराइस, ब्राजील

वीरवार 9 सितम्बर, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	लॉ, लिट्रेचर एंड लाइफ मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) आर. वेंकट राव अध्यक्ष, वीआईआईपीएस भूतपूर्व कुलपति, एनएलएसयू, बंगलोर
शनिवार 25 सितम्बर, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	विषय : थिंकिंग कांस्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड कांस्टीट्यूशनल कल्चर्स : दि टास्क एहेड मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) उपेन्द्र बख्शी, मानद प्रोफेसर, युनिवर्सिटी आफ वारविक
वीरवार 30 सितम्बर, 2021 1.30 बजे अपराह्न	विषय : दि लिमिट्स आफ लिबर्टी : राइट्स एंड ड्यूटिज इन दि इंडियन कांस्टीट्यूशन मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) विनय कपूर मिश्रा, कुलपति, डा. बी. आर. अम्बेडकर नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, सोनीपत
मंगलवार 5 अक्टूबर, 2021 5.00 बजे अपराह्न	विषय : ह्यूमन राइट्स इन दि ब्राजिलियन सुप्रीम कोर्ट : अचिवमेंट्स एंड चेलेजिंग मुख्य वक्ता : प्रो. जैरो मिया लिमा
सेमवार 11 अक्टूबर, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	विषय : एक्सेस टू जस्टिस: सेंसिटाइजिंग लॉ स्टुडेंट्स टू दि अनमैट जस्टिस नीड्स आफ दि सोसायटी मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) रणबीर सिंह, भूतपूर्व कुलपति, एनएलएसएआर/एनएलयू
बुधवार 20 अक्टूबर, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	विषय : इनवायरमेंटल रूल आफ लॉ एंड प्रोटेक्शन आफ दि इनवायरमेंट मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) सतीश सी. शास्त्री, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, मोदी इंस्टिट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिकर, राजस्थान
मंगलवार 26 अक्टूबर, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	विषय : जेंडर इक्वेलिटी एंड लेबर लॉज इन इंडिया मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) मंजूला बतरा, प्रोफेसर आफ लॉ, स्कूल आफ लॉ, नार्थकेप युनिवर्सिटी, गुरुग्राम
रविवार 31 अक्टूबर, 2021 9.30 बजे पूर्वाह्न	विषय : नेशनल युनिटी डे एंड कंटेम्परेरी इम्परेटिव्स फार लीगल रिसर्च इन इंडिया मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) एम. ए. फजल वाणी, प्रोफेसर आफ लॉ एवं संकायाध्यक्ष, युनिवर्सिटी स्कूल आफ लॉ एंड लीगल स्टडीज
बुधवार 3 नवम्बर, 2021 3.30 बजे अपराह्न	विषय : दि राइट्स आफ दि इंडिजिनियस एंड दि रिलेशनशिप विद दि राइट्स आफ नेचर इन दि इंटर-अमेरिकन कोर्ट आफ ह्यूमन राइट्स मुख्य वक्ता : प्रो. एलेक वाल्ले फ्रांको, प्रोफेसर आफ लॉ, आईईईएन/पीयूसीई युनिवर्सिटी, एक्वाडोर
सेमवार 8 नवम्बर, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	विषय : इंडियन फिलोसॉफी रिफ्लेक्टिंग थ्रो दि कांस्टिट्यूशन मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) एस. पी. सिंह, संकायाध्यक्ष, जीजीएस आई. पी. युनिवर्सिटी
मंगलवार 9 नवम्बर, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	विषय : विक्टिम जस्टिस एंड लॉ रिफार्म इन इंडिया मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) निर्मल कांति चक्रवर्ती, कुलपति, एनयूजेएस, कोलकाता

बुधवार 10 नवम्बर, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	विषय : क्वेस्ट फार बलेंस एपरोच आन मेंटिनेंस लॉज इन इंडिया मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) विजेन्द्र कुमार, कुलपति, एमएनएलयू, नागपुर
वीरवार 11 नवम्बर, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	विषय : दि कांस्टिट्यूशन इन इट्स एटथ डिकेड मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) सुधीर कृष्णास्वामी, कुलपति, एनएलएसआईयू, बंगलूरु
शुक्रवार 12 नवम्बर, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	विषय : कांस्टिट्यूशन एंड कम्पोजिट कल्चर मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) एस. सूर्य प्रकाश, कुलपति, संजीव्या नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, विशाखापटनम
शनिवार 13 नवम्बर, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	विषय : दि लिमिट्स आफ लिबर्टी : राइट्स एंड ड्युटिज इन दि कांस्टिट्यूशन मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) दिलिप उकी, कुलपति, महाराष्ट्र नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, मुम्बई
रविवार 14 नवम्बर, 2021 11.00 बजे पूर्वाह्न	विषय : कार्टोग्राफिंग आईपी इसूज इन सोशल मडिया मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) वी. सी. विवेकानंदन, मानद प्रोफेसर, एचएनएलयू
शुक्रवार 26 नवम्बर, 2021 9.15 बजे पूर्वाह्न	विषय: इंडियन कांस्टिट्यूशन: लिविंग डाक्यूमेंट मुख्य वक्ता : प्रो. (डा.) टी. वी. सुब्बा राव, मानद प्रोफेसर वीआईपीएस

## लेखक विवरण

संस्थान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सहयोग से पुलिस अधिकारियों, कारागार के पदधारियों, मीडिया कार्मिकों और न्यायिक अधिकारियों के वित्त वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करेगा।

## प्रस्तावित ढांचागत विकास

संस्थान निम्नलिखित ढांचागत और आईटी विकास कार्य के लिए योजना बना रहा है -

- अग्निशमन व्यवस्था और सौर उर्जा व्यवस्था का संस्थापना करना

- स्टोरेज एरिया नेटवर्क और इसके सहायक उपकरणों का उपापन
- विडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम का उपापन और प्लेनरी हाल के लिए पीए व्यवस्था
- संस्थान के एलएएन और वाई-फाई नेटवर्क की पुनःसंरचना
- साफ्टवेयर (विंडोज सर्वर 2019, विंडोज 10 और एमएस आफिस 2019)
- कस्टमाइज्ड केम्पस मनेजमेंट सोफ्टवेयर के उपापन के लिए प्रस्ताव
- संस्थान की वेबसाइट की पुनःसंरचना और अपग्रेडेशन।

## भारतीय विधि संस्थान की गवर्निंग कौंसिल के सदस्यों की सूची

### अध्यक्ष

- माननीय न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे  
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।

### उपाध्यक्ष

- श्री रवि शंकर प्रसाद  
विधि और न्याय मंत्री,  
भारत सरकार  
नई दिल्ली ।

### कोषाध्यक्ष

- माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव,  
न्यायाधीश,  
भारत का उच्चतम न्यायालय,  
नई दिल्ली ।

### सदस्यगण

- माननीय न्यायमूर्ति सूर्य कांत  
न्यायाधीश,  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।
- अध्यक्ष,  
भारत का विधि आयोग  
नई दिल्ली ।
- माननीय न्यायमूर्ति ए. एम. सपरे,  
भूतपूर्व न्यायाधीश,  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।
- भारत के अर्टनी जर्नल  
उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।
- भारत के महा सालिसिटर  
उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।

## भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली सदस्य - कार्यकारी समिति

### अध्यक्ष

- माननीय न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे  
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।

- प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा,  
निदेशक,  
भारतीय विधि संस्थान ।

### उपाध्यक्ष

- श्री रवि शंकर प्रसाद  
विधि और न्याय मंत्री,  
भारत सरकार  
नई दिल्ली ।

### सचिव

- श्री श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी,  
रजिस्ट्रार  
भारतीय विधि संस्थान ।

### कोषाध्यक्ष

- माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव,  
न्यायाधीश,  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।

### सदस्यगण

- माननीय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल,  
न्यायाधीश,  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।
- सचिव,  
विधिक मामले विभाग  
विधि और न्याय मंत्रालय,  
भारत सरकार,  
नई दिल्ली ।
- सचिव,  
व्यय विभाग  
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार  
नई दिल्ली ।
- सभापति-या सभापति का नामनिर्देशिती,  
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
नई दिल्ली ।



## भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली सदस्य - शैक्षणिक परिाद्

### अध्यक्ष

1. माननीय न्यायमूर्ति यू. यू. ललित  
न्यायाधीश  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।
2. प्रो. जी. मोहन गोपाल  
भूतपूर्व निदेशक, एनजेए और एनएलएसआईयू  
अध्यक्ष, एनसीएमएस, समिति  
भारत का उच्चतम न्यायालय,  
नई दिल्ली ।
3. प्रो. अफजल एम. वाणी  
प्रोफेसर, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय
4. प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा,  
निदेशक,  
भारतीय विधि संस्थान ।
5. प्रो. (डा.) एस. शिवकुमार  
ज्येष्ठ प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान
6. प्रो. (डा.) ज्योति डोगरा सूद  
प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान
7. डा. दीपा खरब  
सहायक प्रोफेसर, भारतीय विधि संस्थान
8. श्री श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी,  
रजिस्ट्रार, भारतीय विधि संस्थान



## भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली सदस्य - वित्त समिति

### अध्यक्ष

1. माननीय न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव,  
न्यायाधीश,  
भारत का उच्चतम न्यायालय  
नई दिल्ली ।

### सदस्यगण

2. शासी परिषद् से नामनिर्देशिति
3. सचिव,  
विधि और न्याय मंत्रालय,
4. सचिव,  
वित्त मंत्रालय
5. नामनिर्देशिती,  
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
6. प्रो. (डा.) मनोज कुमार सिन्हा,  
निदेशक,  
भारतीय विधि संस्थान

### सचिव

7. श्री श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी,  
रजिस्ट्रार  
भारतीय विधि संस्थान ।

# भारतीय विधि संस्थान

वार्षिक वित्तीय विवरणी  
वित्तीय वर्ष 2020-21

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.  
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
गांधी पीस फाउंडेशन केम्पस  
221-223, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग  
नई दिल्ली-110002

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एवं कं.  
सनद लेखाकार,  
नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई  
पटना और चंडीगढ़

221-223, दीन दयाल मार्ग, नई दिल्ली-11001  
दूरभाष : 91-11-23236958-60, 23237772  
फैक्स : 91-11-23230831  
ई मेल : tvande@rediffmail.com  
: tvandeca@gmail.com

## अंकेक्षक का स्वतंत्र प्रतिवेदन

शासी परिषद,  
भारतीय विधि संस्थान,  
भगवान दास रोड,  
नई दिल्ली - 110001

हमने भारतीय विधि संस्थान की सलग्न वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक का तुलन-पत्र और समाप्ति वर्ष की आय और व्यय विवरणी तथा वित्तीय विवरणियों पर टिप्पण सहित महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां और अन्य स्पष्टीकारक जानकारी समाविष्ट है।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, संस्थान का सलग्न वित्तीय विवरण लेखा-संबंधी नीति और लेखाओं पर टिप्पणों के साथ पठित लागू विधियों के अनुसार अपेक्षित रीति में तथा भारत में साधारणतया स्वीकृत अन्य लेखा-संबंधी सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्ट्यावलोकन के लिए तैयार किया गया है।

### राय का आधार

हमने लेखा परीक्षण के मानकों के अनुरूप अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अधीन हमारा अतिरिक्त उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण में अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक का उत्तरदायित्व वाले भाग में वर्णित किया गया है। हम भारत के सनद लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नीति-संहिता के साथ-साथ उन नीति संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार संगठन से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन वित्तीय विवरण के अंकेक्षण के लिए सुसंगत हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नीति-संहिता के अनुसार अपने अन्य नीति-संबंधी उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और समुचित है।

### वित्तीय विवरण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्व

संस्थान का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लागू विधियों के अनुसार और ऐसे आंतरिक नियंत्रण, जो प्रबंधन ऐसा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए समर्थ बनाने हेतु आवश्यक होना अवधारित करता है और जो तात्त्विक गलत-विवरण से मुक्त है, चाहे यह कपट या त्रुटि के कारण हो और वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धांतों, जिसमें लेखा संबंधी मानक भी हैं, के अनुसार सही और उचित दृष्टिकोण देता हो, के लिए उत्तरदायी है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रहने के लिए सत्ता के सामर्थ्य का अवधारण करने, चालू समुत्थान से संबंधित उन विषयों को प्रकट करने, जो लागू हों, और चालू समुत्थान द्वारा तब तक लेखा के आधार का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक प्रबंधन का या तो सत्ता का परिसमापन करने का या प्रचालन बंद करने का

आशय न हो या ऐसा करने का वास्तविक अनुकल्प न हो। जिन पर शासन का प्रभार है, उनका सत्ता की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है।

### वित्तीय विवरणों के अंकक्षण के लिए अंकक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में तात्त्विक गलत विवरण से मुक्त है या नहीं, चाहे यह कपट या गलती के कारण हो और अंकक्षक की एक ऐसी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च कोटि का आश्वासन है, किंतु यह एक ऐसी गारंटी नहीं है कि नीति-मानकों के अनुसार किए गए अंकक्षण से सदैव तात्त्विक गलत विवरण का पता लग जाएगा जब यह विद्यमान हो। गलत विवरण कपट या गलती से उद्भूत हो सकता है और इसे तब तात्त्विक समझा जाता है यदि व्यक्तिगत तौर पर या कुल मिलाकर उनसे युक्तियुक्त रूप से प्रयोक्ता के इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक विनिश्चयों को प्रभावित करने की प्रत्याशा की जा सके।

नीति-मानकों के अनुसार अंकक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और संपूर्ण अंकक्षण के दौरान पेशेवर संदेह बना रहता है। हमने-

- \* वित्तीय विवरणों में तात्त्विक गलत-विवरण, चाहे यह कपट से हो या गलती से हो, के जोखिमों की पहचान की और निर्धारण किया, उन अंकक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई और निष्पादन किया जो उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी हैं और अंकक्षण साक्ष्य प्राप्त किए जो हमारी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं। कपट के परिणामस्वरूप कारित तात्त्विक गलत-विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से उच्चतर होता है क्योंकि कपट में सांठ-गांठ, जालसाजी, जानबूझकर लोप, मिथ्या-निरूपण या आंतरिक नियंत्रण अभिभावी होना अंतर्लित हो सकता है।
- \* अंकक्षण के सुसंगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ उन अंकक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिए जो परिस्थितियों में समुचित हों अपितु न कि सत्ता के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए प्राप्त की।
- \* प्रयुक्त की गई लेखा-संबंधी नीतियों की समुचितता और लेखा-संबंधी आकलनों की युक्तियुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन किया।
- \* हमने अभिशासन का प्रभार रखने वालों के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, अंकक्षण की योजनाबद्ध व्याप्ति और समय के संबंध में और महत्वपूर्ण अंकक्षण निष्कर्षों को, जिनमें ऐसी कोई आंतरिक कमियां भी हैं जिसकी हमारे अंकक्षण के दौरान पहचान की गई, संप्रेषित भी किया।

### अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- क. हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार हमारे अंकक्षण के लिए आवश्यक थे।
- ख. हमारी राय में, संस्थान द्वारा सुसंगत विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार उचित बहियां रखी गई हैं।
- ग. जहां तक कि हमारे द्वारा की गई इन बहियों, जिसमें हमारे द्वारा दौरा न किए गए आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त विवरणियां/रिपोर्टें भी हैं, परीक्षा से प्रतीत होता है।



- घ. इस रिपोर्ट में विचार किया गया तुलन-पत्र और आय-व्यय की विवरणी हमारे द्वारा दौरा न किए गए आंचलिक कार्यालयों से प्राप्त लेखा बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं ।
- ङ हमारी राय में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण लेखा-संबंधी मानकों के अनुरूप हैं ।

द्वारा ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कं.  
सनद लेखाकार  
एफआरएन : 000038एन

हस्ता/-  
(अनिल के. ठाकुर)  
भागीदार  
एम. नं. : 088722  
यूडीआईएन - 20088722AAAAABI 1480

स्थान : नई दिल्ली  
तारीख : 28 दिसम्बर, 2021





## भारतीय विधि संस्थान

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

### तुलन पत्र 31 मार्च 2021

अनुसूची		31.03.2021 (Rs.)	31.03.2020 (Rs.)
<b>कोष के स्रोत</b>			
पूँजी परिसंपत्ति फंड	1	10,52,629	14,32,153
सामान्य निधि	2	11,44,50,120	12,12,34,213
यूजीसी से अनुदान योजना	3	2,67,50,264	3,08,66,527
विशिष्ट फंड	4	2,39,52,646	2,10,93,652
वर्तमान देनदारियां	5	92,07,879	1,23,61,845
<b>TOTAL</b>		<b>17,54,13,538</b>	<b>18,69,88,390</b>

#### निधि के अनुप्रयोग

<b>अचल संपत्तियां</b>		6		
सकल ब्लॉक				
			12,43,13,209	11,57,29,063
घटाया: संचित मूल्यहास			9,17,19,525	8,62,79,803
<b>शुद्ध ब्लॉक</b>			<b>3,25,93,684</b>	<b>2,94,49,260</b>
केपिटल वर्क इन प्रोग्रेस			-	-
निवेश		7	11,92,69,645	12,51,17,772
मौजूदा परिसंपत्तियों, जमा और अग्रिम		8	2,35,50,209	3,24,21,358
<b>TOTAL</b>			<b>17,54,13,538</b>	<b>18,69,88,390</b>

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट्स 19

अनुसूची नंबर 1 के लिए 19 रूपों खातों का अभिन्न अंग

संलग्न तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

FRN: 000038N

हस्ता./-  
अनिल के ठाकुर  
साथी, चार्टर्ड एकाउंटेंट

हस्ता./-  
प्रो मनोज कुमार सिन्हा  
निदेशक

हस्ता./-  
श्रीनिवास चन्द्र पृष्ठी  
रजिस्ट्रार

हस्ता./-  
डॉ ए के वर्मा  
डिप्टी रजिस्ट्रार

हस्ता./-  
आशीष बावा  
लेखा अधिकारी

जगह: नई दिल्ली  
तारीख: 28 दिसंबर 2021



## भारतीय विधि संस्थान

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

### आय और व्यय खाता 31 मार्च 2021 को समाप्त

	अनुसूची	वर्ष के अंत 31.03.2021 (Rs.)	वर्ष के अंत 31.03.2020 (Rs.)
<b>आय</b>			
सहायता अनुदान	9	2,66,50,000	3,00,00,000
किराया	10	1,28,73,512	1,45,02,282
फीस	11	1,78,94,294	1,74,60,785
ब्याज	12	51,52,941	72,44,141
पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों की बिक्री	13	1,14,917	8,14,714
विविध आय	14	9,71,669	6,15,732
आखरी बचा हुआ माल		23,75,464	16,79,023
<b>कुल ( 1 )</b>		<b>6,60,32,797</b>	<b>7,23,16,677</b>
<b>व्यय</b>			
वेतन और भत्ते	15	5,53,84,796	5,64,84,787
प्रशासनिक व्यय	16	1,11,89,265	1,27,22,315
जर्नल और प्रकाशन व्यय	17	22,69,937	22,12,842
व्याख्यान, सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय	18	13,49,934	22,90,485
अचल संपत्ति पर मूल्यहास	6	9,43,935	10,97,949
आरंभिक स्टॉक		16,79,023	14,68,409
<b>कुल ( 2 )</b>		<b>7,28,16,890</b>	<b>7,62,76,787</b>
वर्ष के लिए अधिशेष / घाटा जनरल फंड में स्थानांतरित(i - ii)		<b>(67,84,093)</b>	<b>(39,60,110)</b>

खातों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और नोट्स 19

अनुसूची नंबर 1 के लिए 19 रूपों खातों का अभिन्न अंग

संलग्न तारीख के बारे में हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN: 000038N

हस्ता./-  
अनिल के ठाकुर  
साथी, चार्टर्ड एकाउंटेंट

हस्ता./-  
प्रो मनोज कुमार सिन्हा  
निदेशक

हस्ता./-  
श्रीनिवास चन्द्र पृष्ठी  
रजिस्ट्रार

हस्ता./-  
डॉ ए के वर्मा  
डिप्टी रजिस्ट्रार

हस्ता./-  
आशीष बावा  
लेखा अधिकारी

जगह: नई दिल्ली  
तारीख: 28 दिसंबर 2021



**भारतीय विधि संस्थान**  
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

**प्राप्ति और भुगतान खाता (31 मार्च 2021)**

	(Rs.)	31.03.2021 (Rs.)	(Rs.)	31.03.2020 (Rs.)
<b>प्राप्ति</b>				
विधि एवं न्याय मंत्रालय से अनुदान सहायता		2,66,50,000		3,00,00,000
यूजीसी से अनुदान		-		-
किराया		1,28,73,512		39,01,747
फ्रीस		1,42,11,469		1,38,38,785
ब्याज		2,85,748		4,60,670
पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों की बिक्री		1,14,917		8,14,714
विविध आय		3,34,321		1,28,016
निर्दिष्ट फंड		3,37,709		3,26,204
वर्तमान देनदारियां		60,24,309		67,25,030
परियोजना अनुदान		-		2,95,400
निवेश		3,07,51,056		2,44,95,136
मौजूदा परिसंपत्तियों, जमा और अग्रिम		55,66,935		1,61,02,494
प्रारंभिक शेष :				
रोकड़	9,672		10,935	
बैंक में नकदी	1,25,08,957	1,25,18,629	1,89,26,515	1,89,37,450
<b>कुल</b>		<b>10,96,68,605</b>		<b>11,60,25,646</b>
<b>भुगतान</b>				
वेतन और भत्ते		4,03,85,063		4,09,27,165
प्रशासनिक व्यय		1,24,44,984		1,11,74,193
जर्नल और प्रकाशन व्यय		15,39,877		24,82,365
व्याख्यान, सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय		11,40,962		17,99,361
यूजीसी से अनुदान		-		-
परियोजना अनुदान		-		6,40,876
वर्तमान देनदारियां		2,24,96,418		1,92,15,727
अचल संपत्तियां		6,98,323		13,40,554
निवेश		1,78,00,000		2,00,00,000
मौजूदा परिसंपत्तियों, जमा और अग्रिम		18,84,153		59,26,776
अंतिम शेष :				
रोकड़	8,950		9,672	
बैंक में नकदी	1,12,69,875	1,12,78,825	1,25,08,957	1,25,18,629
<b>कुल</b>		<b>10,96,68,605</b>		<b>11,60,25,646</b>

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर और कंपनी  
चाार्टर्ड अकाउंटेंट  
FRN: 000038N

हस्ता./-  
अनिल के ठाकुर  
साथी, चाार्टर्ड एकाउंटेंट

हस्ता./-  
प्रो मनोज कुमार सिन्हा  
निदेशक

हस्ता./-  
श्रीनिवास चन्द्र पृष्ठी  
रजिस्ट्रार

हस्ता./-  
डॉ ए के वर्मा  
डिप्टी रजिस्ट्रार

हस्ता./-  
आशीष बावा  
लेखा अधिकारी

जगह: नई दिल्ली  
तारीख: 28 दिसंबर 2021



	31.03.2021	31.03.2020
<b>अनुसूची 1</b>		
<b>पूँजी संपत्ति फंड</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2020 की स्थिति के अनुसार शेष	14,32,153	18,70,826
कम: आस्तियों वर्ष के दौरान बंद लिखा	-	-
	14,32,153	18,70,826
कम: संचित मूल्यहास को हस्तांतरित	3,79,524	4,38,673
	<b>10,52,629</b>	<b>14,32,153</b>

	31.03.2021	31.03.2020
<b>अनुसूची - 2</b>		
<b>सामान्य निधि</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2020 की स्थिति के अनुसार शेष	12,12,34,213	12,51,94,323
जोड़ें : यात्रा सहायता कोष से हस्तांतरण		
जोड़ें : आय एवं व्यय खाते से राशि हस्तांतरित	(67,84,093)	(39,60,110)
	<b>11,44,50,120</b>	<b>12,12,34,213</b>

	31.03.2021	31.03.2020
<b>अनुसूची - 3</b>		
<b>ग्रुप सी से योजना अनुदान</b>		
	(Rs.)	(Rs.)
01.04.2020 पर शेष	3,08,66,527	3,47,66,837
जोड़ें : अनुदान वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-
जोड़ें : आय एवं व्यय खाता हस्तांतरित राशि	-	-
जोड़ें : अप्रयुक्त अनुदान पर ब्याज	-	-
कम: योजना व्यय साल के दौरान किए गए		
- अतिथि संकाय के लिए भुगतान	-	-
- प्रकाशन के डिजिटलीकरण	-	-
- संगोष्ठी व्यय और बैठक	-	-
- मरम्मत और रखरखाव का खर्च	-	-
-अचल संपत्ति पर मूल्यहास (योजना )	41,16,263	39,00,310
	<b>** 2,67,50,264</b>	<b>** 3,08,66,527</b>

\*\*

द्वारा प्रतिनिधित्व:

अचल संपत्ति में शेष (नेट बुक वैल्यू)	2,63,53,884	2,25,84,324
अग्रिम ( संदर्भ ले अनुसूची 9 - ई)	5,31,329	84,17,152
शेष राशि उपलब्ध एफडीआर में निवेश / ( अतिरिक्त राशि खर्च)	(1,34,949)	(1,34,949)
	<b>2,67,50,264</b>	<b>3,08,66,527</b>

<u>अनुसूची - 4</u> <u>निर्दिष्ट फंड</u>	<u>31.03.2021</u>	<u>31.03.2020</u>
	(Rs.)	(Rs.)
<b>आजीवन सदस्यता फंड</b>		
01.04.2020 पर शेष	1,68,74,781	1,54,21,981
जोड़ें : ब्याज / लाभांश निधि के निवेश पर	10,64,926	11,26,596
जोड़ें : शुल्क वर्ष के दौरान प्राप्त	15,23,750	3,26,204
<b>उप कुल (ए)</b>	<b>1,94,63,457</b>	<b>1,68,74,781</b>
<b>सुलखना देवी फंड</b>		
01.04.2020 पर शेष	5,93,951	5,54,678
जोड़ें : ब्याज वर्ष के लिए फंड के निवेश पर	36,542	39,273
<b>उप कुल (बी)</b>	<b>6,30,493</b>	<b>5,93,951</b>
<b>स्वर्ण पदक फंड</b>		
01.04.2020 पर शेष	36,24,920	33,79,031
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	2,33,776	2,45,889
<b>उप कुल (सी)</b>	<b>38,58,696</b>	<b>36,24,920</b>
<b>महायोग (ए + बी + सी)</b>	<b>2,39,52,646</b>	<b>2,10,93,652</b>

<u>अनुसूची - 5</u> <u>चालू दायित्व</u>	<u>31.03.2021</u>	<u>31.03.2020</u>
	(Rs.)	(Rs.)
देय व्यय	63,43,763	84,83,642
सुरक्षा जमा	16,10,186	16,44,908
बयाना जमा	1,31,500	1,36,500
आउटपुट जीएसटी	2,48,040	-
अन्य देनदारियां	8,74,390	20,96,795
	<b>92,07,879</b>	<b>1,23,61,845</b>



अनुसूची - 6

अवत संपत्तियां

विवरण	दर	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध कूल संपत्तियां			
		वर्ष के दौरान इसक अलावा		वर्ष के दौरान		वर्ष के दौरान		वर्ष के दौरान		वर्ष के दौरान		वर्ष के दौरान	
		01.04.2020 की स्थिति के अनुसार	अन्य अनुदान / स्वयं के धन	पूर्वोत्ती योजना अनुदान	अन्य अनुदान / स्वयं के धन	31.03.2020 तक	पूर्वोत्ती योजना अनुदान	अन्य अनुदान / स्वयं के धन	पूर्वोत्ती योजना अनुदान	अन्य अनुदान / स्वयं के धन	31.03.2021 पर कूल	पूर्वोत्ती योजना अनुदान	अन्य अनुदान / स्वयं के धन
		(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
पट्टाधृत भूमि		-	57,894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,894
इमारत	10%	1,80,10,836	55,13,771	26,85,211	-	29,97,673	14,63,189	2,51,610	75,27,359	32,49,283	1,31,68,688	22,64,488	1,19,46,666
पट्टा-मार्ग	10%	-	5,000	-	-	3,257	-	174	-	3,431	-	1,569	-
विद्युत उपकरण	15%	91,08,883	25,00,984	52,00,612	-	17,68,772	57,95,630	1,09,832	70,72,880	18,78,604	72,36,615	6,22,380	33,13,053
फर्नीचर और जुड़नार	10%	88,97,670	14,56,634	-	1,21,009	8,12,214	42,58,164	70,493	47,22,116	8,82,707	41,75,554	6,94,936	46,39,506
कार्यालय उपकरण	15%	5,59,264	19,30,752	-	-	12,41,286	4,44,797	1,03,420	4,61,967	13,44,706	97,297	5,86,046	1,14,467
लाइब्रेरी में क्रियाबै	40%	1,71,15,959	2,73,58,269	-	3,88,514	2,81,63,123	1,59,75,182	5,55,761	1,64,31,493	2,67,18,884	6,84,466	10,27,899	11,40,777
कंप्यूटर्स	40%	90,60,007	76,69,270	-	1,88,800	74,74,831	81,61,963	1,15,536	85,21,180	75,90,367	5,38,827	2,67,703	8,98,044
लाइब्रेरी उपकरण	15%	25,18,428	24,75,678	-	-	19,82,690	19,94,602	73,949	20,73,177	20,56,639	4,45,251	4,19,039	5,23,826
खेल उपकरण	10%	-	28,519	-	-	18,576	-	984	-	19,570	-	8,949	-
स्टाफ कार	15%	-	5,15,000	-	-	4,13,610	-	15,209	-	4,28,819	-	86,181	-
<b>उप कूल (₹)</b>		<b>6,52,71,047</b>	<b>4,95,11,771</b>	<b>78,85,823</b>	<b>6,98,323</b>	<b>4,28,76,032</b>	<b>4,26,94,708</b>	<b>12,96,978</b>	<b>4,68,10,172</b>	<b>4,41,73,010</b>	<b>2,63,46,698</b>	<b>60,37,884</b>	<b>2,25,76,339</b>
निर्देशक के आवास पर अवत परिसंपत्तियां													
विद्युत उपकरण	15%	-	3,29,890	-	-	2,64,941	-	9,742	-	2,74,683	-	55,207	-
फर्नीचर और जुड़नार	10%	22,899	4,53,580	-	-	2,95,427	14,914	15,815	15,713	3,11,242	7,186	1,42,338	7,985
कार्यालय उपकरण	15%	-	30,765	-	-	24,708	-	909	-	25,617	-	5,148	-
कंप्यूटर्स	60%	-	1,09,111	-	-	1,09,073	-	15	-	1,09,088	-	23	-
<b>उप कूल (₹)</b>		<b>22,899</b>	<b>9,23,346</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,94,149</b>	<b>14,914</b>	<b>26,451</b>	<b>15,713</b>	<b>7,20,630</b>	<b>7,186</b>	<b>2,02,716</b>	<b>7,985</b>
<b>कुल लागत (₹ + बी)</b>		<b>6,52,93,946</b>	<b>5,04,35,117</b>	<b>78,85,823</b>	<b>6,98,323</b>	<b>4,35,70,181</b>	<b>4,27,09,622</b>	<b>13,23,459</b>	<b>4,68,25,885</b>	<b>4,48,93,640</b>	<b>2,63,53,884</b>	<b>62,39,800</b>	<b>2,25,84,324</b>
													<b>68,64,936</b>



अनसूची - 7 निवेश									
फंड के नाम	अनसूचित बैंकों के साथ					यूटीआई के साथ (Rs.)	कुल		
	केनरा बैंक (Rs.)	यूको बैंक (Rs.)	बैंक ऑफ़ बड़ोदा (Rs.)	ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (Rs.)	कुल (Rs.)		31.03.2021 (Rs.)	31.03.2020 (Rs.)	
<u>(क) जनरल फंड</u>									
फिक्स्ड डिपॉजिट में	-	6,44,04,888	2,94,49,370	-	9,38,54,258	-	9,38,54,258	10,30,05,005	-
<u>(ख) निर्दिष्ट फंड</u>									
आजीवन सदस्यता फंड	-	2,03,87,971	-	-	2,03,87,971	3,00,300	2,06,88,271	1,76,70,511	-
सुलखना देवी फंड	1,25,836	5,15,731	-	-	6,41,567	-	6,41,567	6,02,449	-
स्वर्ण पदक फंड	-	40,85,549	-	-	40,85,549	-	40,85,549	38,39,807	-
TOTAL	1,25,836	8,93,94,139		-	11,89,69,345	3,00,300	11,92,69,645	12,51,17,772	



<b>अनुसूची - 8</b>		<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2020</b>
<b>मौजूदा परिसंपत्तियों, जमा और अग्रिम</b>		<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
<b>(ए) नकदी और बैंक बैलेंस</b>			
रोकड़		2,315	4,300
डाक अग्रदाय		6,635	5,372
<b>बैंक खातों की शेष:</b>			
यूको बैंक खाता संख्या 9792		2,18,152	19,91,099
यूको बैंक खाता संख्या 257036		1,09,07,254	74,39,373
बैंक बड़ौदा खाता संख्या 13830100006557		1,33,320	30,74,611
केनरा बैंक खाता संख्या 2417101021884		-	1,000
यूको बैंक खाता संख्या 88227		11,149	2,874
		<b>1,12,78,825</b>	<b>1,25,18,629</b>
<b>बी) प्रकाशन के समापन स्टॉक</b>		<b>23,75,464</b>	<b>16,79,023</b>
<b>सी) निवेश पर अर्जित ब्याज</b>			
सामान्य निधि		13,46,155	21,24,087
सुलखना देवी फंड		11,409	13,985
आजीवन सदस्यता फंड		3,33,985	4,89,528
स्वर्ण पदक फंड		53,737	65,703
		<b>17,45,286</b>	<b>26,93,303</b>
<b>(डी) प्राप्य राशि</b>			
विधि एवं न्याय मंत्रालय		38,99,163	42,08,034
विदेश मंत्रालय		-	1,19,635
वित्त मंत्रालय		-	2,57,298
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग		2,53,698	1,78,873
परियोजना अनुदान प्राप्य		75,149	4,07,266
प्राप्त करने योग्य ब्याज		44,816	38,965
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)		2,27,251	34,965
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (GST)		-	12,920
टीडीएस वसूली		11,95,763	11,90,934
स्टाफ से बिजली शुल्क		-	912
कैंटीन ठेकेदार		-	11,221
		<b>56,95,840</b>	<b>64,61,023</b>
<b>(ई) जमा और अग्रिम</b>			
सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम			
योजना फंड	5,31,329		84,17,152
गैर-योजना फंड	31,919	5,63,248	31,919
		1,500	84,49,071
कर्मचारियों को अग्रिम			24,404
दूसरों को अग्रिम			
योजना फंड	-		-
गैर-योजना फंड	3,500	3,500	3,500
जमा		60,000	60,670
पूर्वदात व्यय		18,26,546	5,31,735
		<b>24,54,794</b>	<b>90,69,380</b>
<b>भव्य कुल (ए + बी + सी + डी + ई)</b>		<b>2,35,50,209</b>	<b>3,24,21,358</b>

	वर्ष के अंत 31.03.2021	वर्ष के अंत 31.03.2020
<b>अनुसूची - 9</b>		
<b>सहायक अनुदान</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)

अनुदान सहायता विधि एवं न्याय मंत्रालय से प्राप्त	2,66,50,000	3,00,00,000
--	-------------	-------------

	2,66,50,000	3,00,00,000
--	-------------	-------------

<b>अनुसूची - 10</b>		
<b>किराये की आय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 आधिकारिक भाषा विंग - कानून एवं न्याय मंत्रालय	51,19,320	51,19,320
2 केन्द्रीय एजेंसी - कानून एवं न्याय मंत्रालय	77,52,192	77,52,192
3 कैटीन	-	1,84,042
4 एनेक्सी और बैठक कमरे	2,000	14,46,728
	1,28,73,512	1,45,02,282

<b>अनुसूची - 11</b>		
<b>फीस और सदस्यता</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम	74,75,358	73,18,175
2 एलएलएम कोर्स	36,07,717	32,30,750
3 पीएच.डी. कोर्स	4,15,000	3,61,000
4 प्रवेश प्रक्रिया शुल्क (डिप्लोमा / एलएलएम / पीएचडी)	35,92,500	36,22,000
5 ऑनलाइन आईपीआर कोर्स	9,86,700	8,60,350
6 ऑनलाइन साइबर लॉ कोर्स	16,50,500	17,84,150
7 लाइब्रेरी फीस	2,765	74,272
8 भर्ती आवेदन शुल्क	-	87,041
9 सदस्यता शुल्क - साधारण सदस्य	1,63,754	1,23,047
	1,78,94,294	1,74,60,785



	वर्ष के अंत 31.03.2021	वर्ष के अंत 31.03.2020
<b>अनुसूची - 12</b>		
<b>प्राप्त ब्याज</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 जनरल फंड निवेश पर ब्याज	48,22,377	67,44,505
2 बचत बैंक खातों पर ब्याज	3,30,564	4,99,636
	<b>51,52,941</b>	<b>72,44,141</b>

<b>अनुसूची - 13</b>		
<b>जर्नल और अन्य प्रकाशन की बिक्री</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 वार्षिक सर्वेक्षण	29,500	1,20,620
2 जर्नल आय	55,888	5,42,917
3 प्रकाशन आय	29,509	1,51,037
4 न्यूज़लेटर आय	20	140
	<b>1,14,917</b>	<b>8,14,714</b>

<b>अनुसूची - 14</b>		
<b>विविध आय</b>		
क्र.सं.	(Rs.)	(Rs.)
1 फोटोस्टेट / कंप्यूटर प्रिंटिंग प्रभार	2,405	83,869
2 रॉयल्टी	3,467	17,924
3 परियोजना प्रशासन प्रभार	-	4,86,944
4 डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रभार	600	12,000
5 सदस्यता पहचान पत्र कार्ड शुल्क	800	6,180
6 अन्य	9,64,397	8,815
	<b>9,71,669</b>	<b>6,15,732</b>

	वर्ष के अंत 31.03.2021	वर्ष के अंत 31.03.2020
<b>अनुसूची - 15</b>		
<b>वेतन और भत्ते</b>		
<b>क्र.सं.</b>	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
1 वेतन और भत्ते	4,59,16,176	4,61,07,221
2 भविष्य निधि में अंशदान	45,44,933	45,84,025
3 ग्रेच्युटी व्यय एलआईसी के लिए भुगतान	5,73,739	22,72,197
4 एलआईसी के लिए भुगतान किया नकदीकरण व्यय	12,68,066	10,01,420
5 एलटीसी के साथ नकदीकरण	1,98,978	50,000
6 डीए बकाया	-	4,62,478
7 एलटीसी / एचटीसी व्यय	7,93,350	77,222
8 ग्रुप मेडिकलेम प्रीमियम	9,80,304	8,37,465
9 चिकित्सा के खर्चे	-	3,059
10 स्टाफ को मानदेय	56,250	9,700
11 बाल शिक्षा भत्ता	10,53,000	10,80,000
	<b>5,53,84,796</b>	<b>5,64,84,787</b>

<b>अनुसूची - 16</b>		
<b>प्रशासनिक व्यय</b>		
<b>क्र.सं.</b>	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
1 यात्रा और वहन	1,15,923	2,31,746
2 सुरक्षा सुविधाएँ	25,17,696	25,77,718
3 हाउसकीपिंग और आउटसोर्सिंग व्यय	40,62,348	33,33,413
4 बिजली और जल	10,29,342	21,31,001
5 टेलीफोन और फैक्स	1,00,321	1,04,880
6 फोटोस्टेट , मुद्रण और स्टेशनरी	2,46,968	5,79,611
7 डाक और स्टाम्प	1,41,755	1,56,986
8 बीमा	3,25,366	2,97,830
9 जलपान	78,490	1,05,187
10 सांविधिक लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक	60,000	60,000
11 आंतरिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	2,30,000	2,30,000
12 कानूनी और व्यावसायिक खर्च	20,000	26,800
13 सदस्यता शुल्क	93,660	86,580
14 मरम्मत एवं रखरखाव	14,62,910	18,33,684
15 स्टाफ के लिए वर्दी	60,000	60,000
16 स्टाफ कार व्यय	15,767	58,771
17 अखबार प्रतिपूर्ति व्यय	1,62,100	1,62,150
18 टेलीफोन प्रतिपूर्ति व्यय	1,16,908	1,29,036
19 भर्ती व्यय	44,961	2,82,428
20 कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	26,600	84,179
21 लाइब्रेरी बुक बंधन प्रभार	22,360	36,805
22 विविध	2,55,790	1,53,510
	<b>1,11,89,265</b>	<b>1,27,22,315</b>

	वर्ष के अंत 31.03.2021	वर्ष के अंत 31.03.2020
<b>अनुसूची - 17</b>		
<b>जर्नल / प्रकाशन व्यय</b>		
<b>क्र.सं.</b>	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
1 पत्रिका खर्च	4,86,368	4,37,422
2 प्रकाशन / वार्षिक सर्वेक्षण / डिजिटलीकरण व्यय	3,91,793	5,41,418
3 न्यूज़लेटर व्यय	1,72,707	1,23,153
4 पत्रिकाओं / डेटाबेस की सदस्यता	12,19,069	11,10,849
	<b>22,69,937</b>	<b>22,12,842</b>

<b>अनुसूची - 18</b>		
<b>व्याख्यान , सेमिनार और पाठ्यक्रम व्यय</b>		
<b>क्र.सं.</b>	<b>(Rs.)</b>	<b>(Rs.)</b>
1 डिप्लोमा कोर्स व्यय	5,71,239	9,64,437
2 पीएच.डी. व्यय	1,05,025	63,000
3 एलएलएम कोर्स व्यय	3,65,775	5,78,034
4 ऑनलाइन आईपीआर कोर्स	24,000	24,000
5 ऑनलाइन साइबर लॉ कोर्स	24,000	24,000
6 संगोष्ठी व्यय और बैठक	2,29,895	5,37,014
7 छात्रवृत्ति	30,000	1,00,000
	<b>13,49,934</b>	<b>22,90,485</b>





समायोजित की गई थी और पूंजी आस्ति फंड में जमा की गई थी। तथापि, कार्यपालक समिति के विनिश्चय के अनुसार वार्षिक अवमूल्यन को आयकर अधिनियम 1961 में विहित दरों के अनुसार 31 मार्च, 2011 में वर्ष की समाप्ति पर संस्थान के नियत आस्तियों पर गणना किया गया था। जैसाकि विनिश्चय किया गया 31 मार्च, 2010 से पूर्व अभिप्राप्त नियत आस्तियों पर वार्षिक अवमूल्यन जो 2,30,74,958/- रुपए राशि थी को पूंजी आस्ति फंड में समायोजित किया जा रहा है और यही प्रक्रिया तब तक अनुसरण की जाएगी जब तक आस्तियों का पूर्ण रूप से अवमूल्यन न हो जाए और पूंजी आस्ति फंड निःशेष हो जाता है।

(ख) एकल अवधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से अभिप्राप्त आस्तियां भी नियत आस्तियों के रूप में पूंजीकृत की गई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त योजना अनुदान से अभिप्राप्त नियत आस्तियां विश्वविद्यालय अनुदान से योजना अनुदान में समायोजित की गई हैं। (देखिए अनुसूची - 3)

3. पुस्तकालय पुस्तकों और पुस्तकालय में संदर्भ सामग्री के रूप में रखे जाने के लिए आशयित अन्य प्रकाशनों का मूल्य पूंजीकृत किए गए हैं।
4. पुस्तकों और 01 अप्रैल, 2004 के पश्चात् प्रकाशित वार्षिक सर्वेक्षण का मूल्य और वर्ष के अंत में बचे अविक्रीत को प्रकाशनों के बंद स्टॉक में सम्मिलित किया गया है।

### (ख) लेखाओं संबंधी टिप्पण

1. भारतीय विधि संस्थान आयकर आयुक्त नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा जारी किए गए पत्र सं. जेई-3(34)/62/8250 तारीख 9 जुलाई, 1974 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
2. संस्थान महानिदेशक आयकर (छूट), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश सं. फा. सं. डीजीआईटी(ई)/10(23सी)(VI)/2010-11/1579 तारीख 29 मार्च, 2011 द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(vi)(via) के अधीन अनुमोदित है।

इसके अतिरिक्त संस्थान पत्र सं. फा. सं. 203/75/2009/आईटीए- II तारीख 28 जनवरी, 2010 के द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(i)(iii) के अधीन अधिसूचना सं. 5/2010 की मार्फत भी अनुमोदित है।

3. वर्ष 2001-2002 से 2018-2019 के लिए नई दिल्ली नगर निगम द्वारा संपत्ति कर के रूप में रु. 4,09,62,027/- के लिए मांग का संस्थान द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रतिवाद किया गया है जिसमें वर्ष 2018 19 के लिए रु. 23,13,750/- सम्मिलित है। आय और व्यय लेखा में इस निमित्त कोई प्रावधान नहीं किया गया है इसलिए इसके लिए एक आपातिक दायित्व है।
4. संस्थान ने भारतीय जीवन बीमा निगम से छुट्टी नकदीकरण और समूह उपदान के लिए बीमा पॉलिसी ली है। क्रमिक फंडों के लिए किए गए अभिदाय और/या संदाय के लिए अवधारित राशि खर्च के रूप में गणना में ली गई हैं।
5. संस्थान की किराय आय और सदस्यता सब्सक्रिप्शन पर जीएसटी लागू है और तदनुसार संस्थान ने दिनांक 28 मई, 2019 को जीएसटी के अधीन पंजीकृत किया है। संस्थान ने अपनी किराया संबंधी सेवाओं और सदस्यता सब्सक्रिप्शन पर जुलाई, 2019 से जीएसटी प्रभारित करना आरंभ किया है और

तदनुसार संस्थान ने जीएसटी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जीएसजी जमा करना और मासिक आधार पर जीएसटी विवरणी फाइल करना आरंभ किया है ।

6. तारीख 31 मार्च, 2020 को 84,17,152/-रुपए की राशि (योजना फंड) और रु. 31,919/- (गैर योजना फंड) संस्थान द्वारा भवन के नवीनीकरण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम के तौर पर दिया गया दर्शित किया गया है ।
7. प्रबंधतंत्र ने अपने वित्त पर पड़ने वाले कोविड-19 के असर का निर्धारण किया है और इसका कोई तात्त्विक असर नहीं है ।
8. पूर्व वर्ष के आंकड़े जहां कहीं आवश्यक हैं पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहीकृत किए गए हैं ।

प्रो० (डा) मनोज कुमार सिन्हा  
निदेशक

श्रीनिवास चंद्र प्रुष्टी  
कुलसचिव

डा. ए. के. वर्मा  
उप कुलसचिव

आशिष बावा  
लेखाअधिकारी

स्थान - नई दिल्ली

तारीख - 24 दिसम्बर, 2021



# INDIAN LAW INSTITUTE

## List of Available Publications

S. No.	Description of Publication	INR
1	Rethinking Law and Violence (2020) -Dr. Jyoti Dogra Sood and Dr. Latika Vashist	##
2	Bail : Law and Practice in India (2019) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Dr. Anurag Deep	350.00 400.00 Soft Bound Hard Bound
3	Dispelling Rhetorics Law of Divorce and Gender Inequality in Islam (2019) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Prof. Furqan Ahmad	500.00
4	Law of Sedition in India and Freedom of Expression (2018) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Dr. Anurag Deep	400.00
5	IPR and Human Rights with Special Emphasis on India (2018) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Ms. Jupi Gogoi	500.00
6	Towards the Renaissance : Shibli and Maulana Thanvi on Sharia (2018) - Prof. Furqan Ahmad	600.00
7	Emerging Competition Law (2017) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Dr. Sushmita P. Mallaya	#
8	Copyright Law in the Digital World : Challenges and Opportunities (2016) - Prof. Manoj Kumar Sinha and Dr. Vandana Mahalwar	*
9	Environment Law and Enforcement : The Contemporary Challenges (2016) - Prof. Manoj Kumar Sinha, Prof. S.Sivakumar and Dr. Furqan Ahmad	480.00
10	Legal Research Methodology -Prof. Manoj Kumar Sinha and Dr. Deepa Kharb (2016)	**
11	Compendium of Bilateral and Regional Instruments for South Asia : International Cooperation in Criminal Matters Volume I & II (2015) – <b>Digitized version is available on Institute's website</b>	-
12	A Treatise on Consumer Protection Laws - <i>Updated version (2016)</i>	700.00
13	<i>Directory of Law Colleges in India</i> - Compiled by Prof. Manoj Kumar Sinha & Jupi Gogoi (2015)	200.00
14	<i>Broadcasting Reproduction Right in India: Copyright and Neighbouring Rights Issues'</i> - Prof. S. Sivakumar and Dr. Lisa P. Lukose (2013)	300.00
15	Services under the State (Revised and updated)	650.00
16	Indian Legal System (Revised edition)	600.00
17	Legislative Drafting Shaping the Law for the New Millennium (Revised and updated by T.K. Viswanathan)	600.00
18	Digitized Version of the Journal of Indian Law Institute (1958-2014)	2000.00
19	Digitized Version of the Annual Survey of Indian Law (1965 – 2013)	2000.00
20	Disaster Management – Edited by Vishnu Konoorayar & Jaya V.S. (2006)	400.00
21	Essays on the Indian Penal Code – revised by Prof. K.N. Chandrasekharan Pillai (2005)	400.00
22	Legal Dimensions of Cyber Space - <i>S.K. Verma and Raman Mittal (2004)</i>	380.00
23	Labour Law and Labour relations : Cases and Materials (revised) 2007 – Prof. S. C. Srivastava	425.00
24	Prevention of Money Laundering – Legal and Financial Issues (2008) - Prof. K.N.C.Pillay and A. Francis Julian	275.00



25	Annual Survey of Indian Law 1997-98 & 1999 & 2000	400.00
	2001	450.00
	2002	450.00
	2003 (Hard bound)	600.00
	2004 (Hard bound)	600.00
	2005 (Hard bound)	600.00
	2006 (Hard bound)	600.00
	2007 (Hard bound)	600.00
	2008 (Hard bound)	600.00
	2009 (Hard bound)	700.00
	2010 (Hard bound)	700.00
	2011 (Hard bound)	700.00
	2012 (Hard bound)	700.00
	2013 (Hard bound)	700.00
	2014 (Hard bound)	700.00
	2015 (Hard bound)	700.00
	2016 (Hard bound)	700.00
	2017 (Hard bound)	700.00
	2018 (Hard Bound)	700.00
26	Journal of the Indian Law Institute (Quarterly)	
	Vol. 43 Part I to IV (Annual Subscription) – 2001	350.00
	Vol. 44 Part I to IV (Annual Subscription) – 2002	350.00
	Vol. 45 Part I to IV (Annual Subscription) – 2003	350.00
	Vol. 46 Part I to IV (Annual Subscription) – 2004	400.00
	Vol. 47 Part I to IV (Annual Subscription) – 2005	400.00
	Vol. 48 Part I to IV (Annual Subscription) – 2006	400.00
	Vol. 49 Part I to IV (Annual Subscription) – 2007	400.00
	Vol. 50 Part I to IV (Annual Subscription) – 2008	600.00
	Vol. 51 Part I to IV (Annual Subscription) – 2009	700.00
	Vol. 52 Part I to IV (Annual Subscription) – 2010	700.00
	Vol. 53 Part I to IV (Annual Subscription) – 2011	700.00
	Vol. 54 Part I to IV (Annual Subscription) – 2012	700.00
	Vol. 55 Part I to IV (Annual Subscription) – 2013	700.00
	Vol. 56 Part I to IV (Annual Subscription) – 2014	700.00
	Vol. 57 Part I to IV (Annual Subscription) – 2015	700.00
	Vol. 58 Part I to IV (Annual Subscription) – 2016	700.00
	Vol. 59 Part I to IV (Annual Subscription) – 2017	700.00
	Vol. 60 Part I to IV (Annual Subscription) – 2018	700.00
	Vol. 61 Part I to IV (Annual Subscription) – 2019	700.00
	Vol. 62 Part I to IV (Annual Subscription) – 2020	700.00
27	Index to Indian Legal Periodicals Bi-annual	
	1987-1988	350.00
	1990 & 1991	800.00
	1992	300.00
	1993-1996	800.00
	1997-2000	800.00
	2001	300.00
	2002	300.00
	2003	300.00
	2006	300.00
	2007	300.00
	2008	300.00
	2009	300.00
	2010	300.00
	2011	300.00
	2012	300.00
	2013	300.00
	2014	300.00
	2015	300.00
	2016	300.00

\* Sale through Springer

\*\* Sale through Lexis Nexis

# Sale through Wolters Kluwer India(P) Ltd.

## Sale through Oxford University Press







**Phones : 23387526, 23382190,  
23386321, 23389429  
Telefax : 011-23386321/ 23782140**

**E-mail: [ili@ili.ac.in](mailto:ili@ili.ac.in)  
Website: <http://www.ili.ac.in>**